राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ८] तृतीय विधान सभा के अष्टम् सत्र, १९६५ का ९ वां दिवस [संख्या ७

मंगलवार, दिनांक २८ सितम्बर, १९६५

विधान सभा की कार्यवाही विधान सभा भवन, जयपुर में म. पू. ११.३ बजे प्रारम्भ हुई।
(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सार्वजनिक निर्माण, वक्फ, जन-स्वास्थ्य, यातायात, स्वायत्त शासन, उद्योग, समाज कल्याण, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, विद्युत एवं खनिज-विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।
प्रश्न संख्या १४२
श्री गंगासिंह (जायल)।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

निम्बाहेड़ा में महालक्ष्मी टाकीज की जमीन

१४३. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या मंत्री, वक्फ विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा में श्री महालक्ष्मी टॉकीज़ ओकाफ की जमीन पर बना हुआ है? यदि हां, तो उसका किराया कौन लेता है?

(२) क्या यह सही है कि इस जमीन पर चारों ओर तामीर का काम हुआ है और हो रहा है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की है?

(३) क्या इस सम्बन्ध में सरकार कुछ कार्यवाही करना चाहती है? यदि हां, तो क्या?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां, तामीरात की इजाजत लोकल म्यूनिसिपैलिटी से हांसिल की गई है। सरकार से स्वीकृति लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अब्दुल जब्बार : नम्बर एक में आपने फरमाया कि जी नहीं। इसका क्या मतलब समझें?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका मतलब यह कि यह बिल्डिंग ओकाफ की जमीन पर बनी हुई नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : अकोर्डिंग टू दी रिकार्ड फरमा रहे हैं या याददाश्ती से फरमा रहे हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बिलकुल रिकार्ड के आधार पर।

Page No 2

श्री अब्दुल जब्बार : मैं याद दिलाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इसकी प्रोपर्टी की लिस्ट वक्फ में लगी है और भी अगर आपको संशय हो तो विदिन् १० मिनिट्स में रिकार्ड लाकर आपको दिखा सकता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो लोग यह कहते हैं कि यह ओकाफ की प्रोपर्टी है उनकी तरफ से सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है। वहां अगर यह एस्टेब्लिश हो जावेगा तो मान लेंगे। बाकी अभी भी अब्दुल रहीम जो नसीम खां के लड़के हैं उनकी जायदाद है और उनकी ओर से और शख्स को किराये पर है। मेरी सूचना के अनुसार ओकाफ की तरफ से सिविल कोर्ट में कार्यवाही चल रही है।

श्री अब्दुल जब्बार : यह भी आपका फरमाना मुनासिब नहीं है कि सिविल कोर्ट में कार्यवाही चल रही है। ओकाफ कमेटी ने कोर्ट में दावा करने की सरकार से स्वीकृति चाही थी, अब वह दी गई या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार के सामने कोई पेपर इस तरह के पेंडिंग नहीं हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं निवेदन कर दूं कि सरकार के सेक्रेटरियट में नहीं होगा, और किसी ट्रस्ट या एडवोकेट जनरल के पास होगा। वक्फ बोर्ड को कौन कन्ट्रोल करता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह अपने आप में ओटोनोमस बॉडी है।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या सरकार इस पर नियन्त्रण रखती है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सुपरवाइजरी कन्ट्रोल है, डे-टू-डे वर्क में इन्टरफियरेन्स करने का प्रावधान नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं निवेदन करूं कि जब प्रश्न पूछा गया तो सरकार के पास स्वीकृति के पेपर नहीं होंगे, वक्फ बोर्ड के पास पेपर चल रहे हैं, तो उनसे रिपोर्ट मांग कर बता देते।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन कर दूं कि जब सरकार ने माना है कि यह ओटोनोमस बॉडी है तो आप हमें बता देते कि वहां पेपर आपके चल रहे हैं तो वहां से सूचना मंगा कर दे देते।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं निवेदन करता हूं कि जब सरकार ने स्वयं ने माना है कि वक्फ की प्रोपर्टी है और सरकार ने सदन में एक प्रश्न के उत्तर में ऐसा ही निवेदन किया था। यह मस्जिद जमशेदजी के नाम से बोर्ड की बता रहे हैं। तो सरकार कमिट करने के बाद कैसे इन्कार करती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार ने यह कभी नहीं माना।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं प्रोसीडिंग्ज असेम्बली की निकाल कर बता दूं कि आपने मान लिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मान लिया होता तो इजाजत लेने के लिये सरकार को नहीं कहते ? इसकी फिर क्या जरूरत थी ?

श्री अब्दुल जब्बार : इजाजत तो कल मिली। इस तरह से मन्दिर मस्जिद की जमीनें लोग लेते रहेंगे तो पूजा नहीं होने पाती, इबादत नहीं होती, अजान देने वाला

(श्री अब्दुल जब्बार)
नहीं है वहां कोई, दिया तक नहीं जलता। आप तो ओटोनोमस बॉडी का यह काम है कहकर हट जाते हैं, पर हालत यह है जो मैंने बयान की है। इसलिये मैं इस वाक्ये की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। सरकार ऐसे मामलों में मौन न रहे, कार्यवाही करे।

प्रतापगढ़ शहर में वाटर वर्क्स

१४४. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ शहर में वाटर वर्क्स द्वारा पूरा पानी नहीं मिलता है? यदि हां, तो क्यों और इसकी पूर्ति के लिये क्या कदम उठाया जा रहा है?

(२) क्या यह भी सही है कि प्रतापगढ़ में पूरा पानी देने के लिये चनीया खेड़ी की नदी से पानी देने की योजना थी? यदि हां, तो इस विषय में क्या कदम उठाया जा रहा है?

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) कुओं में पानी कम हो जाने के कारण पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। आस-पास पानी के साधन की तलाश हो रही है।

(२) जी हां, पर वहां भी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण योजना हाथ में नहीं ली गई।

श्री हरलाल मीणा : यह योजना कब तक हाथ में ले ली जावेगी?

श्री हरिदेव जोशी : अभी पानी के स्त्रोत ठीक से मालूम नहीं हो सके हैं। इसलिये जबतक उसकी तलाश नहीं हो जावे तबतक कुछ नहीं कहा जा सकता निश्चित रूप से।

श्री हरलाल मीणा : क्या यह सही है कि चनीया खेड़ी की नदी से पानी लाने की योजना चल रही है?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि प्रतापगढ़ के प्रति सरकार की वृत्ति उपेक्षा की है। यह भूतपूर्व रियासत में एक राजधानी रही है। आज यहां पर कॉलेज भी नहीं है, न सड़कें ही हैं। वाटर वर्क्स का प्रश्न भी है जिसके बारे में भी कोई सन्तोषजनक उत्तर मन्त्री महोदय के द्वारा नहीं मिल रहा है।

क्या मैं आशा करूं कि कम से कम वाटर वर्क्स के सम्बन्ध में व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करने के सम्बन्ध में सरकार तत्परता बरतेगी?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि उसकी उपेक्षा की जा रही है।

जहां तक वाटर वर्क्स का सवाल है वह है वहां पर। किन्तु इस वर्ष वर्षा के अभाव में, अकाल के कारण कुओं में पानी कम हो गया और इसलिये पानी की कमी पड़ गई है।

अब जहां तक चनीया खेड़ी की नदी के प्रोजेक्ट का सवाल है उसके लिये जांच की जा रही है कि कितना पानी वहां मिल सकेगा। अब जबतक इसकी मालूम न हो जाय तब तक निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयपाल।

Page No 4

डूंगरपुर से साबला वाया आसपुर व डूंगरपुर से पीठ मार्गों पर चलने वाली बसें

१४५. **श्री विजयपाल कटारा** (डूंगरपुर-सु.) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सच है कि डूंगरपुर से साबला वाया आसपुर व डूंगरपुर से पीठ रूट्स पर चलने वाली बसों की हालत बहुत खराब है? यदि हां, तो क्या सरकार ने कभी इस सम्बन्ध में कोई जांच की है? यदि हां, तो कब ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : यह सही नहीं है। डूंगरपुर साबला वाया आसपुर पूर्व में नवम्बर, ६४ में इस रूट की गाड़ियों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर एम. वी. एस. आई. व एम. आई. ने तारीख १३-११-६४ व २६-११-६४ को जांच की। उस समय आर. जे. जे. १३७ श्री फजल हुसैन, आर. जे. जे. ८५ में वागड मोटर सर्विस व आर. जे. जे. २४६ मुल्ला रसूलभाई की गाड़ियां के ठीक नहीं होने से एम. आई. ने फिटनैस सर्टिफिकेट नहीं दिये थे। और फिर उन गाड़ियों की दुरूस्ती के बाद उनको फिटनैस दिये गये। वर्तमान में ये गाड़ियां ठीक हालत में हैं। इसके बाद फिर एम.आई. को फिटनैस सम्बन्धी जांच के लिये आदेश दिया और एम.आई.व एम.वी. एस. आई. ने तारीख १९–६–६५ को गाड़ियों के खराब होने की शिकायत नहीं की है। इसके बाद तारीख १३-८-६५ को फिर एम. वी. एस. आई. से रिपोर्ट मांगी गई तो जिसमें भी गाड़ियां ठीक हालत में बताई हैं। केवल आर.जे.वी. २४६ वर्षा के कारण अभी बन्द है। इस रूट पर चौथी गाड़ी आर.जे.एस. ६२९७ काफी अर्से से नहीं चलने के कारण परमिट कैन्सिल कर दिये गये हैं।

डूंगरपुर-पीठ रूट के सम्बन्ध में भी बराबर एम. वी. एस. आई. व एम. आई. द्वारा उपरोक्त तिथियों पर चैकिंग किया गया। इस रूट की गाड़ियां ठीक हालत में उन्होंने बताई, केवल आर.जे.वाई. २११५ मैकेनिकल अनफिट पाई गई और उसका फिटनैस सर्टिफिकेट तारीख १७–६–६५ को सस्पेण्ड किया गया व वापिस गाड़ी के ठीक होने पर फिटनैस ३१–१२–६५ तक का एम.आई. ने इश्यू किया है। इस प्रकार समय समय पर बसों पर बराबर चैकिंग किया गया है।

श्री विजयपाल कटारा : डूंगरपुर से साबला जाने वाली बसें हैं उनका समय क्या है ?

श्री भीमसिंह : इस प्रश्न में समय नहीं पूछा इसलिए नहीं बता सकता।

श्री विजयपाल कटारा : आपने इतना बताया कम से कम समय तो और बता देते।

श्री भीमसिंह : माननीय सदस्य के प्रश्न में केवल यह पूछा गया था कि कब कब इन गाड़ियों का फिटनैस चैक हुआ और कब कब खराब थीं और इनकी क्या हालत है, इसके बारे में सारा उत्तर है; यदि आप समय के पूछने का कष्ट करते तो अवश्य निवेदन किया जाता।

श्री विजयपाल कटारा : वहां पर गाड़ियों की हालत इतनी खराब है कि गाड़ियां समय पर नहीं चलतीं और समय आपने नहीं दिया है और जो गवर्नमेन्ट ने अपना समय निर्धारित कर रखा है वह भी नहीं बताया।

Page No 5

श्री भीमसिंह : यदि आपको समय के बारे में शिकायत है तो आप लिखकर भेज दें, आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री विजयपाल कटारा : डूंगरपुर से साबला बस जाती है उसका समय निर्धारित नहीं है कृपया इसका समय निर्धारित करने का कष्ट जल्दी से जल्दी करें।

श्री भीमसिंह : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है इसलिए अभी कोई निवेदन नहीं कर सकता। मैंने निवेदन किया है कि कोई शिकायत हो तो लिखकर भेज दें ताकि वह दूर की जा सके।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): माननीय सदस्य का कहना यह है कि गाड़ियों की हालत ठीक नहीं है और समय पर भी नहीं चलतीं।

श्री भीमसिंह : जो गाड़ियां नहीं चलने की हालत में हैं वह बन्द करदी गई हैं समय, का पूछते तो वह भी मैं निवेदन कर देता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने कैंसिल किया लाइसेन्स यह तो मालूम नहीं है। सरकार माने या नहीं माने, यह तो सरकार की मर्जी है, लेकिन यह आम शिकायत है कि मोटरें बराबर नहीं चलतीं, वक्त-सर नहीं चलतीं, पुरानी मोटरें हैं, टैक्सेस भी अदा नहीं होते, हजारों रुपये चढ गये हैं, कोई पैनल्टी की भी व्यवस्था नहीं है क्योंकि बस चलाने वाले जो मालिक हैं वह शायद शासन रूढ़ दल के पिट्ठू हैं। खैर, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो शिकायतें सदन के अन्दर रखी जायें उनकी तरफ ध्यान तो देना चहिये कि बसें ठीक ढंग से वक्त-सर नहीं चलतीं, पुरानी हैं और रद्दी हैं।

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बसें हैं वह कच्चे रास्ते पर पुरानी ही चलेंगी और वह मॉडल जो एप्रूव करते हैं एस.टी.ए. उसके हिसाब से जो मॉडल नहीं चल सकते तो वह हम चैक कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में और खास तौर से इस प्रश्न के अन्दर, क्योंकि वह कच्चा रास्ता है और बरसात में बन्द हो जाता है और इस कारण वहां नई हों या पुरानी हों नहीं चल सकतीं, जबतक कि पुलिया वगैरह बनकर अच्छी सड़कें नहीं बनें। पुलियायें और सड़कें बनाई भी जाती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि बरसात में बंद हो जाता है रास्ता। इस समय माननीय सदस्य ने कहा कि पुरानी चलती हैं तो वह तो कच्चा रूट है और उस पर पुराना मॉडल ही एप्रूव होता है और वह वहां चलती हैं । ६२ का मॉडल है और अगर ६० का कोई चलाता है तो हम चैक कर सकते हैं। यह मॉडल सब एप्रूव एस.टी.ए. करती हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं उससे मेरी एक हद तक सहानुभूति है, लेकिन वहां तो अभी बिल्कुल सूखा पड़ा है बरसात का तो कहना केवलमात्र बहाना है। बसें बराबर चलनी चाहिएं, यह निवेदन है। वहां न नाला है और न पुलिया है, सूखे पड़े की स्थिति में अगर बसें नहीं चलें तो मेरे ख्याल में नाचन न आवे आंगन टेढ़ा वाला प्रश्न है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, आपका प्रश्न तो ऐसा है कि बसें वर्षाकाल

Page No 6

(श्री मथुरादास माथुर)

में नहीं चलती हैं तो वर्षाकाल में बन्द रहती हैं, सो तो ठीक है और यह सी रूट है इस कारण ऊंचे शॉडल प्रेस्काइव नहीं होते। लोग चलाते हैं और अगर नहीं चलाते तो लाइसेन्स कैंसिल कर देते हैं। दूसरे आदमी बसें चलाने के लिए तैयार नहीं होते। वहां का रूट ऐसा होने की वजह से ऐसी हालत हैं।

प्रश्न संख्या १४६

श्री अध्यक्ष: श्री दिग्विजयसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये।)

श्री मुरलीधर व्यास ।

बीकानेर में नालियों के निर्माण का ठेका

१४७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर नगरपालिका ने नालियों के निर्माण के लिये टेन्डर मांगने के बावजूद निर्माण का ठेका प्रति फुट ९६ पैसे की रेट वाले को न देकर १ रु. ५० पैसे वाले टेन्डरार को दिया तथा इस प्रकार ४५ हजार फुट नाली का निर्माण हुआ ?

(२) यदि हां, तो इससे बोर्ड को कितनी हानि, किसकी गलती से, उठानी पड़ी?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) यह सही नहीं है।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री मुरलीधर व्यास: अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित बात है कि जो ठेका दिया गया उसके अन्दर कम से कम टेन्डर यह था इसके ऊपर म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर रेकार्ड पड़ा हुआ है और म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों ने काफी एतराज किया है और काफी हजारों का नुकसान हुआ है; जब कि ९६ पैसे के अन्दर टेन्डर किसी ने मांगा और सबसे कम था इससे ज्यादा दिया गया है इसका रेकर्ड मौजूद है। मंत्री महोदय ने कहा है कि नहीं है, तो मैं इतना ही कहता हूं कि पुनः जांच करलें; आपके पास रिपोर्ट बिल्कुल गलत आई है।

श्री दौलतराम सारण: रेकार्ड मंगवाकर मैं देख लूंगा ।

श्री अध्यक्ष: श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

उदयपुर में बन रहे जिक स्मेल्टर कारखाने का लाइसेन्स

१४८. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर में बन रहे जिंक स्मेल्टर कारखाने का लाइसेन्स किसे, कौन से साल में दिया गया था? इसकी लागत का क्या अनुमान था व कब तक तैयार होने को था?

(२) सरकार ने और फाइनेन्शल कोर्पोरेशन ने इस कारखाने के लिए कितनी सिक्योरिटी व कितना लोन किन किन तारीखों में किस शर्त पर दिया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) अब इस कारखाने में कितनी रकम और लगने का अनुमान है? क्या भारत सरकार या राज्य सरकार इस कारखाने के लिए और धन-राशि दे रही है? यदि हां, तो कितनी?

Page No 7

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

(४) अब यह कारखाना कब तक बनकर तैयार हो जावेगा ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) दिनांक १८-६-६० को मैटल कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता को उदयपुर में जिंक स्मलटर प्लान्ट लगाने का लाइसेन्स दिया था और इसकी लागत का अनुमान ७.५ करोड़ रुपयों का था और इसके तैयार होने की संभावना जुलाई, ६४ तक थी ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) लगभग ४ करोड़। उक्त धन-राशि भारत सरकार द्वारा दिये जाने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

(४) यदि चाही गई आर्थिक सहायता मिल गई तो लगभग ७-८ माह में यह कारखाना तैयार हो जायेगा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सूची के अन्दर १ से लेकर ६ तक आइटम्स किस किस तारीख को इस कारखाने के मालिक को कितना कितना रुपया दिया गया, वह सब बताया गया है। आइटम नं० ६ में ४ करोड़ ३५ लाख रुपये की गारन्टी गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन ने दिया है, यह कौन सी तारीख को दिया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : तारीख इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही है कि यह रुपया अभी तक नहीं दिया गया है ?

श्री चन्दनमल वैद : फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन ऑफ इन्डिया ने दिया है, उसमें न तो राजस्थान सरकार का हाथ है, न राजस्थान फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन का हाथ है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने प्रश्न नं० १ में साफ बताया है कि १८-६-६० को यह कारखाने को लगाने का लाइसेन्स दिया गया था और यह कारखाना ९ जुलाई, ६४ तक कम्प्लीट हो जाना चाहिए था, आज दिन तक जैसा कि सरकार ने अभी यह लिस्ट दी है इस कारखाने के मालिक को गारन्टी, लोन राजस्थान सरकार, राजस्थान फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन, ऑल इन्डिया कोर्पोरेशन ने कुल मिला कर ६ करोड़ ७७ लाख ५० हजार रु० दे दिये हैं और फिर भी यह कारखाना ६४ को बनने वाला था और आज ६५ हो गया फिर भी नहीं बना है और इतना लोन, एडवान्स और गारन्टी सब कुछ दे देने के बाद इसकी मशीनें अभी भी बाम्बे के पोर्ट पर पड़ी हुई हैं जिसको आज ८-९ महीने हो गए, उनके ऊपर डैमरेज लग रहा है और कारखाने का मालिक उन मशीनों को छुड़ाने की व्यवस्था नहीं कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि सन् ६१ में लोन दिया, ६३ में दिया, इनकी क्या शर्तें थीं और अब तक जो रकम वापिस आ जानी चाहिए थी उसमें से कितने परसेन्ट वसूल कर ली गई है ?

श्री चन्दनमल वैद : अभी तक कुछ भी पैसा वापिस नहीं आया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : किन शर्तों के ऊपर ४० लाख रुपया दिया, किन शर्तों के ऊपर ६५ लाख दिया और एक करोड़ रुपये की गारन्टी दी, १२½ लाख रुपया दिया वह किन शर्तों पर दिया,यह सारी शर्तें हाउस के सामने आप वतायें और उसमें यह भी है कि इतने साल वाद इन्टरेस्ट के साथ रुपया जमा हो जाना चाहिए। ६१ में दिया हुआ पैसा आज ६५ हो गया, कितना वसूल कर लिया, नहीं किया तो क्यों और अब सरकार क्या करने जा रही है?

श्री चन्दनमल वैद : आपको भाषण ही देना है तो मुझे ऐतराज नहीं, वैसे मैं जवाब दे चुका हूं। किस शर्त पर पैसा दिया गया और कितना दिया गया और अभी तक कारखाना बना या नहीं, कब तक बन जायेगा, क्या कमी है,यह सारी बातें मैं बता चुका हूं। अगर आपको भाषण देने का ही शौक है तो मुझे ऐतराज नहीं।

उ रावसिंह ढाबरिया : उसमें यह शर्त भी है कि कब वापिस लिया जायेगा और क्या क्या तरीका होगा?

श्री चन्दनमल वैद : आप चाहते तो एग्रीमेन्ट की कॉपी मैं सदन की मेज पर रख देता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जो अलग अलग तारीखों को लोन और ग्रान्ट दी है उनकी शर्तें क्या हैं, वह शर्तनामे की कापी सदन की मेज पर रखें। शर्तनामे में यह है कि इतना इतना रुपया इन इन तारीखों को वापिस दे दिया जायेगा और सरकार ने वापिस लिया नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : जो सूची आप चाहते थे वह मैंने सदन की मेज पर रख दी; अगर आप शर्तनामे की कापी चाहें तो मैं रखने के लिए तैयार हूं, मगर इसमें आपने ऐसा चाहा नहीं है।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): क्या सरकार ने तसल्ली कर ली है कि जिन-एग्रीमेन्ट के बेसिस पर लोन दिया गया है उसका कहीं भी वायलेशन नहीं हुआ है?

उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : वायलेशन तो साफ दिखता है कि हुआ है।

श्री भैरोंसिह : वायलेशन हुआ है तो जो एग्रीमेन्ट में पीनल क्लॉज़ है उसके अनुसार क्या एक्शन लिया गया है?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी तो कहने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन उस पर पीनल क्लॉज होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी होगी, वह की जाएगी।

श्री भैरोंसिह : अभी आप डेफिनेट ही नहीं हैं कि पीनल क्लाज एग्रीमेन्ट में है या नहीं?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी तो डेफिनेट नहीं कह सकता, इस समय मेरे पास एग्रीमेन्ट की कापी नहीं है।

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या राज्य सरकार ने इस बात को एग्जामिन कर लिया है कि कितने करोड़ की आवश्यकता इस कम्पनी को अभी जिंक स्मैल्टर चालू करने के लिए, होगी ? इस सम्बन्ध में कोई एग्जामिनेशन किया गया है, किसी ऑफिसर की कोई रिपोर्ट है या कम्पनी का को रिप्रेजेंटेशन है?

श्री चन्दनमल वैद : यह प्रश्न के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि अभी चार करोड़ चाहिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : चार करोड़ और चाहिए उसको चालू करने के लिए। आपका कहना यह है कि यह योजना कुल साढे सात करोड़ की है जिसमें से ६ करोड़ ७७ लाख ५० हजार रुपया गारण्टी के रूप में और ऋण के रूप में मिला कर अभी तक राज्य सरकार से, फाइनेंस कॉरपोरेशन से और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से प्राप्त हो गया है। तो फिर क्या कारण है कि उसकी जो मशीनरी बम्बई पोर्ट में आई हुई पड़ी हुई है, जंग खा रही है और वह उसको रिलीज नहीं करा पाया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : उसके पास पैसा नही है। पैसे के बिना नहीं करा सकता होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जो बताया कि उसकी साढे सात करोड़ की योजना है और उसमें से उसे छः करोड़ ७७ लाख रुपया मिल गया है, उसके बावजूद वह मशीनरी जो बम्बई पोर्ट में आई हुई पड़ी है क्यों नहीं रिलीज़ हो पा रही है ? क्या वह सारा रुपया खा गया है या वह हजम कर गया है रुपये को, आप प्रकाश डालें इस पर कि क्यों नहीं मशीनें रिलीज हो पाई हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जैसा निवेदन किया कि भारत सरकार से उसके लिए और रुपया मांगा जा रहा है। सेंट्रल सेक्टर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेन्ट उसको और ऋण देगी, उसके बाद वह छुड़ा लेगा। पहले यह प्लाण्ट पन्द्रह हजार टन की क्षमता का था, अब २५ हजार टन का करना चाहते हैं। जब १५ हजार टन से २५ हजार टन का प्लाण्ट बन रहा है तो भारत सरकार इसके लिए और ऋण देगी और जब भारत सरकार पैसा देगी तो वह राज्य सरकार को पैसा दे देगा, ऐसा उसने कहा है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): जिस समय यह प्लान बना था और उसके लिए जितनी धन-राशि आम तौर पर मांगी गई थी वह धन-राशि उसे दी जा चुकी है। तो यह जो चार करोड़ मांगा जा रहा है वह उस योजना के अलावा मांग जा रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जैसा आपसे अर्ज किया प्रश्न ३ में जो उत्तर दिया गया है कि चार करोड़ रुपया भारत सरकार से और मांगे जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो दिया है उसके अलावा ही है।

श्री मुरलीधर व्यास : मांगा जा रहा है का क्या सवाल है ? जिस समय जिन्क स्मैल्टर की योजना बनाई गई थी उसके लिए जितनी धन-राशि की आवश्यकता थी और जो धन-राशि इसके लिए मांगी गई थी वह उसको दे दी गई है। लेकिन चूंकि कारखाना चालू नहीं हो रहा है और जो रुपया दिया हुआ है वह डूब नहीं जावे इसलिए उसे और रुपया दिया जा रहा हो, ऐसा तो नहीं है ? इस तरीके से सरकार को धोखा तो नहीं दिया जा रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : पहले तो नहीं मांगा, ग्रेजुअली मांगा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : ग्रेजुअली मांग रहा है तो वह तो दस करोड़ भी मांग सकता है। यह तो योजना के पहले ही तय होना चाहिए कि कुल कितने की योजना है, कितना देना है; अब तक कितना दे चुके हैं।

Page No 10

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस मामले में कमिटेड हैं कि इस जिन्क स्मैल्टर को लगाकर और चालू करने तक सरकार को, इतना लोन देना पड़ेगा या लोन सिक्योर करने के लिए गारण्टी देनी पड़ेगी? क्या सरकार का कोई कमिटमेंट है?

श्री हरिश्चन्द्र : यह मेरे को मालूम नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह ....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ जानकारी यहां मिली है उसके अनुमान से मेरा निवेदन यह है कि सरकार को यह तो पता है कि इस प्लान के आधार पर आपका एक एग्रीमेन्ट था, फिर उस एग्रीमेन्ट को मोडिफाई किया गया। जब वह एग्रीमेन्ट मोडिफाई हुआ, जब वह प्लान मोडिफाई हुआ तो उस मोडिफाइड प्लान के अनुसार दूसरा एग्रीमेन्ट बना या नहीं बना, यह सदन को जानकारी देने के लिए मेरा आपसे निवेदन है। और अगर मोडिफाइड प्लान के अनुसार मोडिफाइड एग्रीमेन्ट है तो ओरीजिनल एग्रीमेन्ट और मोडिफाइड एग्रीमेन्ट, दोनों की प्रतियां हाउस में मंत्री महोदय रखने की कृपा करेंगे, यह मेरा निवेदन है।

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह सही है कि ओरिजिनल प्लान मोडिफाइड प्लान से छोटा था। बाद में कई एक्सपर्ट्स की राय से मोडिफाइड प्लान बना उसके अनुसार कम्पनी को अधिक लोन दिया जाना जरूरी है। उसके बाद गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने जिंक की रेट वगैरा तय की। इन सारी चीजों की एक मिली-जुली स्थिति है जिसके ऊपर भारत सरकार के हाइएस्ट लेवल पर चर्चा हो रही है और उस पर बहुत जल्दी ही किसी न किसी प्रकार का फाइनल फैसला हो जाएगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसके अलावा भी तो प्रश्न है, जैसा कि आपके उत्तर से स्पष्ट है कि यह प्लान साढे सात करोड़ का है। इस साढे सात करोड़ के प्लान पर उसको छः करोड़ ७७ लाख रुपया मिल चुका है और फिर आप यह कह रहे हैं कि चार करोड़ की और जरूरत है। इसका मतलब यह है कि साढे सात करोड़ के प्लान में से उसे ६ करोड़ ७७ लाख तो मिल चुका है और अस्सी लाख रुपया ही इण्डस्ट्रियलिस्ट को लगाना है तो क्या वह इण्डस्ट्रियलिस्ट दिवालिया है जो अपनी तरफ से एक करोड़ भी नहीं लगा सकता और सरकार उसको पौने सात करोड़ रुपये उधार दे देती है? बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस योजना को पूरा करने के लिए साढे सात करोड़ रुपया चाहिए और उसमें से ६ करोड़ ७७ लाख रुपया मिल चुका है और अब कम्पनी को करीब ८० लाख रुपये ही लगाने हैं। यानि जो इंडस्ट्रियलिस्ट पौने सात करोड़ उधार लेने के बाद भी अस्सी लाख रुपये नहीं लगा सकता उसको किस आधार पर सरकार इतना लोन, इतनी सिक्योरिटी दे रही है और उसके बाद फिर भारत सरकार को यह सिफारिश की जा रही है कि इसको चार करोड़ रुपये और दे दिए जावें। जब कि प्लान ही साढे सात करोड़ का है।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसी बात नहीं है। ओरिजिनल प्लान के अनुसार इतना दिया जाना चाहिए था। मगर इसके बाद में रिवाइज्ड प्लान के अनुसार, जिसमें माइन्स की कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता हुई, जिन्क स्मैल्टर की कैपेसिटी बढ़ाने की बात हुई

(श्री हरदेव जोशी)
तो उसके लिए इतना लोन और चाहिए। आप और हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बगैर सारी चीजों को एग्जामिन किए लोन नहीं देता है। गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया इन सारी चीजों को एग्जामिन कर रही है और वह जिस नतीजे पर पहुंचेगी उसके अनुसार ही लोन दिया जाएगा, वरना नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस कम्पनी की कुल पूंजी कितनी है? इसकी सबसीडाइज्ड कैपिटल कितनी है?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास में इस समय तो सारे फिगर्स अवेलेबल नहीं है। मगर यह मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि राजस्थान सरकार काफी इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू हो। लेकिन जहां तक इस कम्पनी की पूंजी का प्रश्न है इसके फीगर अभी मेरे पास नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फीगर्स मंत्री महोदय के पास में नहीं हैं और और भी जानकारी जो चाही गई है वह उनके पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब इन सारे प्रश्नों की सम्पूर्ण रूप से जानकारी देने की स्थिति में मंत्रीजी आ जावें, तब तक के लिए इस प्रश्न को पोस्टपोन्ड कर दें। मंत्रीजी सारे एग्रीमेंट्स, कम्पनी की पूंजी, ओरीजिनल स्कीम आदि सभी चीजों के साथ सदन में प्रस्तुत करें।

श्री हरिदेव जोशी : जो प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब दे दिया है। अब तो आप एडीशनल इन्फोर्मेशन मांग रहे हैं। एडीशनल इन्फोर्मेशन के लिए आप उसके अनुसार जब प्रश्न पूछेंगे तो उसके अनुसार उसका जवाब दे दिया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : जो एग्रीमेन्ट किया हुआ है वह ओरीजिनल प्लान का है या मोडिफाइड प्लान का?

श्री हरिदेव जोशी : पहले के प्लान का है।

श्री भैरोंसिह : मोडिफाइड प्लान के अन्दर क्या राज्य सरकार ने लोन सिक्योर करने के लिए कोई कमिटमेंट किया है?

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेन्ट चाहती है कि मोडिफाइड प्लान स्वीकार कर लिया जाय और उसके अनुसार काम शुरू हो, फिर चाहें वह इस कम्पनी के द्वारा हो चाहे दूसरी किसी कम्पनी के द्वारा, चाहे गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के द्वारा, लेकिन जिन्क स्मैल्टर का काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाय, यही हम चाहते हैं। इसी की हमने गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया को सिफारिश की है और वहां पर हाईयेस्ट लेवल पर विचार किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिह : क्या सिफारिश भारत सरकार को इन शब्दों के साथ की गई है कि इनको लोन की आवश्यकता है वह दिलवाया जाय?

श्री हरिदेव जोशी : जो मोडिफाइड प्लान गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने बनाया है उस मोडिफाइड प्लान के अनुसार तो लोन चाहिए ही। उसके बगैर कम्पनी नहीं चल सकती है।

श्री भैरोंसिह : कोई कमिटमेंट तो नहीं है हार्ड एण्ड फास्ट? लोन मन्जूर हुआ तो यह मोडिफाइड प्लान भी मन्जूर हो जावेगा

Page No 12

श्री हरिदेव जोशी : एक चीज बहुत साफ है कि गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया और गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान का जितना भी पैसा है उसकी अपेक्षा ज्यादा पूंजी कम्पनी की लगी हुई है और कहीं भी किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं है। हमारा सेकण्ड प्लान के लिए कोई भी कमिटमेंट नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह आप किस आधार पर कहते हैं कि जितना पैसा राज्य सरकार का इस कम्पनी में लगा हुआ है उससे अधिक पूंजी कम्पनी की खुद की इस योजना में लगी हुई है ?

श्री हरिदेव जोशी : जानकारी के आधार पर। वह फीगर्स अभी नहीं हैं, मगर...

श्री मानिकचन्द सुराणा : २ करोड़ २० लाख का गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया और साढ़े बारह लाख का राजस्थान सरकार ने लोन दिया है। इस तरह से दो करोड़ ४२ लाख रुपया इन्वोल्व्ड है और ४ करोड़ ३५ लाख रुपया भारत सरकार का इन्वोल्व्ड है। जब आप यह नहीं जानते हैं कि कम्पनी की खुद की पूंजी क्या है, तो किस आधार पर यह कह सकते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कम्पनी पर जो टिन शीट्स लगे हुए हैं वे कम्पनी के ही हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : टिन शीट्स भी वहां पर नहीं हैं, खाली कैंचियां लगी हुई हैं। वह तो इसी तरह से है जैसा कि रामप्रसाद जी ने बताया कि वहां पर प्रोडक्शन शुरू हुआ है और हम झूठ बोलते हैं। यह तो मंत्रियों के जवाब होते हैं।

श्री मनिकचन्द सुराणा : जब कि कम्पनी की पूंजी मालूम नहीं है और जितनी गारन्टी और लोन राज्य सरकार ने दिया है उससे ज्यादा उनका बता रहे हैं, यह कैसे संभव है ? यदि सारा पैसा भारत सरकार और राज्य सरकार को ही लगाना है तो एक व्यक्तिगत पूंजीपति को यह कारखाना क्यों दिया जा रहा है ? हमारे मथुरादासजी माथुर के स्टेट सेक्टर में ही यह क्यों न दिया जाय ? जिस तरह की हमारी गारन्टी से राजस्थान फाइनेन्स कॉरपोरेशन से पैसा आने वाला है, एल० आई० सी० से आने वाला है और भारत सरकार की फाइनेन्स कॉरपोरेशन देने वाली है, तो फिर यह प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है ?

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान सरकार जिंक स्मैल्टर प्लान्ट में इन्ट्रेस्टेड है; वह प्राइवेट सेक्टर में हो या स्टेट सेक्टर में हो, अथवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ले ले। हमारी मन्शा सिर्फ यह है कि जिंक स्मैल्टर प्लान्ट वहां पर काम शुरू कर दे। हमने इस चीज को बहुत साफ कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): इसको पब्लिक सेक्टर में लेकर क्यों नहीं काम करवा लिया जाता है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह इतनी आसान बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एग्जामिन कर रही है। मैंने निवेदन किया कि दूसरा रिवाइज्ड प्लान जब तक तैयार न हो और उसके लिए कम्पनी को कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितना रिजर्व छोड़ा है, इन सारी चीजों को एग्जामिन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी नतीजे पर पहुंचेगी तभी कुछ कह सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चार करोड़ रुपया तो मोडिफ़ाइड प्लान के बाद ही देने का सवाल है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के पास जो कुछ जानकारी उनके पास थी उसके अनुसार जवाब दिया। मेरा यह निवेदन है कि एक योजना के अनुसार एक एग्रीमेंट हुआ। अब वह एग्रीमेंटमो. डिफाइड हुआ, रिवाइज्ड हुआ, या उसके अन्दर कमी-बेशी हुई, उसकी कमी-बेशी के सम्बन्ध में सरकार की ओर से जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें यह जवाब दिया है कि कमी-बेशी के सम्बन्ध में कोई मोडिफाइड एग्रीमेंट नहीं है। खैर, नहीं है। लेकिन मोडिफाइड एग्रीमेंट नहीं हो तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की तरफ से कोई कॉम्युनिकेशन, कोई मेमोरेन्डम, कोई न कोई कारण तो बताया होगा राजस्थान सरकार को कि इन कारणों से इस एग्रीमेंट को एन्लार्ज किया जा रहा है और अगर वे कारण बताये गये हैं तो वे कारण क्या हैं ? कम से कम आप सदन को तो बतायें कि कारण क्या हैं ? रुपया तो वहां लग गया और वहां मामला है ठप्प। इस सम्बन्ध में कम से कम उत्तर तो मिले। यह तो एक अजीब व्यवस्था है। कम से कम सरकार की ओर से यह तो हमें जानकारी प्राप्त होने का अधिकार है कि यह ठप्प कारखाना है या चलेगा। अगर चलेगा तो कब चलेगा ? इसको क्यों बन्द किया गया? किन कारणों से बन्द किया गया ? कब तक चलेगा, जो मोडिफाइड एग्रीमेंट हो रहा है या जो एग्रीमेंट के अन्दर परिवर्तन हो रहा है या प्लान के अन्दर जो परिवर्तन हो रहा है, उसके क्या कारण हैं ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है ? उस बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने का सदन को अधिकार है। कृपा करके आप इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालें।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष, एक प्रश्न है कि यह साफ है कि ६ करोड़ ७७ लाख सरकार की गारेण्टी पर लोन दिया है तो मैं तो मिनिस्टर साहब से...

श्री अध्यक्ष : इसके अलावा शेयर भी खरीदे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो लोन गारन्टी, लोन और शेयर के रूप में दिया है और कारखाने की आज की तारीख में जो पोजीशन है उसके लिए क्या मंत्री महोदय यह कहने को तैयार हैं इस सदन में कि यह ६ करोड़ ७७ लाख रुपया आज तक की तारीख में, जिस तरह की कारखाने की हालत है उसमें, उसकी लागत इतने रुपयों की है या नहीं ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): माननीय अध्यक्ष, मेरे ख्याल से सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने जो सूचना चाही है उसके डिटेल्स इस सदन के आज खतम होने से पहले दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

जयपुर नगर के भावी विकास के लिए मास्टर प्लान

१४९. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) जयपुर नगर के भावी विकास की योजना की दृष्टि से जो एक मास्टर प्लान

Page No 14

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बनाये जाने वाला था वह कब तक तैयार हो जाना चाहिए था और अब बन कर तैयार हो जाने पर सरकार इस पर किस प्रकार अमल करने जा रही है ?

(२) राज्य के अन्य किसी नगर का भी मास्टर प्लान अभी तक तैयार हुआ है या नहीं ?

(३) जयपुर शहर के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

उप-मंत्री, गृहनिर्माण एवं नगर विकास (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जयपुर नगर का मास्टर प्लान तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाया जाना स्वीकार हुआ है। नगर सुधार अधिनियमों के अनुसार कुछ संशोधनों सहित एडवाइजरी कौन्सिल · · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आवाज नहीं आ रही है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : पान की वजह है।

श्री परसराम मदेरणा : (१) जयपुर नगर का मास्टर प्लान तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाया जाना स्वीकार हुआ है। नगर सुधार अधिनियमों के अनुसार कुछ संशोधनों सहित, एडवाइजरी कौन्सिल ने अपनी पिछली मीटिंग में ड्राफ्ट मास्टर प्लान स्वीकृत कर लिया है। जो संशोधन किये गये हैं उनकी पूर्ति करने के पश्चात् मास्टर प्लान को राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट, १९५९ की धारा ५ (१) के अनुसार जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जावेगा। जो सज्जन सुझाव देना चाहें उन सुझावों की जांच कर मुख्य नगर नियोजक मास्टर प्लान को सरकार की स्वीकृति हेतु पेश करेगा तथा सरकार उसे राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट, १९५९ की धारा ६ (३) में स्वीकृत करेगी; तत्पश्चात् वह मास्टर प्लान जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जावेगा और उसको अमल में लाया जावेगा।

(२) नगर आयोजन विभाग द्वारा कोटा, उदयपुर, सीकर, गंगानगर, माऊंट आबू एवं बांसवाड़ा के मास्टर प्लान तैयार किये जा चुके हैं। इन स्थानों पर मुख्य नगर आयोजक को सलाह देने हेतु सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है। सलाहकार समिति का गठन होने पर राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट, १९५९ की धारा ५ व ६ के अनुसार कार्य किया जावेगा।

(३) जयपुर नगर का मास्टर प्लान सन् १९८१ तक १२ लाख की सम्भावित जन-संख्या के लिए बनाया गया है। यह प्लान नगरनिवासियों व राज्य के भविष्य में सम्भावित मुख्य मुख्य आवश्यकताओं व सुख-सुविधाओं के लिए सम्भावित विस्तार का ध्यान रख कर तैयार किया गया है जिनमें आवास, वाणिज्य, एवं उद्योग, पर्यटक आदि सुविधाओं के लिए उचित प्रावधान रखा गया है। सार्वजनिक हित में उपयोगी संस्थाओं,- जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि का भी भिन्न २ क्षेत्रों में उचित प्रावधान रखा है। आवास-गृह एवं शहर में जन-संख्या के उचित वितरण, नये मार्गों का निर्माण, इस प्रकार से प्रस्तावित किया गया है कि नये क्षेत्र और पुराने क्षेत्र एक दूसरे के सम्पर्क में रह सकें और समस्त नगर एक होमोजीनियस एण्ड कम्पेक्ट यूनिट बन

(श्री परसराम मदेरणा)
सके। दूसरी सुविधाएं, जैसे वेयर हाउस, एरोड्रोम, रेलवे आदि के लिए भी प्रावधान रखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर में जो मास्टर प्लान बनाया गया है उस मास्टर प्लान बनाने वाली समिति के सदस्य कौन कौन थे ?

श्री परसराम मदेरणा : सदस्यों के नामों की पूरी जानकारी नहीं है, मगर इस एडवाइजरी कौन्सिल के चेयरमैन मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चेयरमैन हैं वह राज्य भर की एडवाइजरी कौन्सिल है या नगर के लिए जो मास्टर प्लान बनाया गया है उसके लिए ?

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर नगर के मास्टर प्लान के लिए जो एडवाइजरी कौन्सिल है उसके वे चेयरमैन हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर का मास्टर प्लान बनने में कितने दिन लगे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह काम ६२-६३ में शुरू हुआ और तृतीय योजना के अंत तक खत्म करना था, इसमें देरी हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि चीफ टाउन प्लानर, डिप्टी चीफ टाउन प्लानर और असिस्टेन्ट टाउन प्लानर्स की पोस्टें पी० एस० सी० को बार बार लिखने पर भी नहीं भरी जा सकीं। ३२ सेंक्शन्ड पोस्ट्स में से केवल १३ ही भरी जा सकी हैं, बाकी खाली पड़ी हैं। देश भर में इन टैक्निकल आदमियों की कमी है। इसीलिये देरी हुई है। सन् ६२-६३ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाउन एन्ड सिटी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली को शुरू में लिख दिया था कि क्योंकि टैक्निकल आदमियों की कमी है इसलिये तृतीय प्लान के अंत तक इसे पूरा कर सकेंगे।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : ड्राफ्ट मास्टर प्लान कब तक प्रकाशित होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : एडवाइजरी कौन्सिल ने कुछ अमेन्डमेन्ट्स दिये हैं उनके अनुसार ड्राफ्ट मास्टर प्लान में संशोधन करके जनता के लिये अगले महीने के अंत तक पब्लिश करने वाले हैं। चीफ टाउन प्लानर गवर्नमेंट के पास इसको भेजेंगे और उसके एप्रूवल के बाद प्रकाशित होगा।

श्री भैरोंसिह : यह प्रकाशित किस रूप में कराया जायगा ? क्या यह ड्राफ्ट मास्टर प्लान पब्लिक के लिये ईजीली अवेलेबल होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : रूल्स में जैसा प्रावधान है उसके अनुसार किया जायगा।

श्री भैरोंसिह : रूल्स में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि किस प्रकार इसे प्रकाशित कराया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : पेपर्स में पब्लिकेशन करायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पेपर्स से तो ओब्जेक्शन्स मांगेंगे लेकिन लोग उसे देखे बगैर रिप्रेजेन्टेशन, ओब्जेक्शन्स वगैरह कैसे देंगे ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : Copy of the master plan will be placed in the office of the U. I.

Page No 16

(श्री मथुरादास माथुर)
वहां जाकर लोग देख सकते हैं और ऐतराज कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : समय कितना दिया जायगा ओब्जेक्शन्स के लिये ?

श्री मथुरादास माथुर : Not less than three months.

श्री भैरोंसिंह : तीन महीनों में एक ही कॉपी को लोग देखेंगे तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : ३ महीनों का टाइम दिया है, आप चाहें तो ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब इलेक्टोरल रोल्स की कॉपीज कई जगह रखवाते हैं; कलेक्टोरेट में, सिटी मजिस्ट्रेट के यहां म्युनिसिपैलिटी में रखवाते हैं, तो मास्टर प्लान की कॉपीज भी ज्यादा अवेलेबल करवा कर कलेक्टर के यहां, चैयरमैन म्युनिसिपैलिटी के यहां और दूसरी जगह रखवानी चाहियें ताकि लोग उसे आसानी से देख सकें।

श्री बरकतुल्लाखां : मेन प्लान कम्प्लीट फिगरवाइज तो टाउन प्लानिंग ऑफिस में ही रहेगा लेकिन कोशिश की जायगी कि म्युनिसिपैलिटी में, कलेक्टर के दफ्तर में और दूसरी जगह इसके एक्सट्रेक्ट्स रख दिये जायेंगे, लेकिन कम्प्लीट कॉपी डिटेलवाइज इतनी बल्की होगी कि उसको हर जगह नहीं रख सकते। जनरल अखबारों में देंगे, म्युनिसिपैलिटी में रखेंगे और कलेक्टोरेट में रखेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मास्टर प्लान को हरेक वार्ड में प्रोमिनेन्ट प्लेस में रखने की व्यवस्था करना प्रेक्टिकेबल होगा या नहीं ?

श्री बरकतुल्लाखां : यह प्रेक्टिकेबल नहीं होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उस वार्ड से संबंधित एक्सट्रेक्ट ऑफ दि मास्टर प्लान हर वार्ड में रखा जाय और ६ महीने की अवधि दी जाय ओब्जेक्शन्स इन्वाइट करने के संबंध में, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है और करना चाहेगी या नहीं ?

श्री बरकतुल्लाखां : पुराना शहर अपनी जगह पर बसा हुआ है उसमें तो ज्यादा परिवर्तन कर नहीं सकते। जो नयी बस्तियें बसी हैं, नया एक्सटेन्शन हुआ है उसको इस तरह लिन्क-अप किया जा रहा है कि पुराना शहर और नया शहर इन्टीग्रेटेड पार्ट ऑफ दि सेम सिटी लगें, इसलिये जिस जगह एक्सटेन्शन किया जा रहा है वे या तो खेत हैं या खुली जगह हैं या रेल्वे या सिविल एविएशन के लिये जगह रखी गई हैं। मास्टर प्लान का मतलब ऐसी जगह से है। वहां पर वार्ड्स नहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह सिद्धान्त का प्रश्न है, हरेक नगर राजस्थान का है जिसका संबंध मास्टर प्लान से बनता है उससे संबंधित है। मैं समझता हूं कि हरेक नागरिक की इसमें दिलचस्पी होना स्वाभाविक है। सरकार वार्डवाइज विस्तृतरूप से इसकी व्यवस्था नहीं कर सकती है तो मैं समझता हूं यह व्यवस्था असंतोषजनक है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जन-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह) :
साधारण के हित के लिये हरेक मास्टर प्लान को वार्डवाइज़ डिस्प्ले करने के लिये सोच कर व्यवस्था ढंग से करनी चाहिये ।

श्री बरकतुल्लाखां : मुझे बड़ी खुशी होती यदि मैं आपके हुक्म का पालन करता, मश्किल यह है कि जो एरिया ऑलरेडी डेवलप हो गया है उसको एज़ इट इज़ इन-कॉर्पोरेट कर रहे हैं। जो एरिया डेवेलप नहीं हुआ है उसको मास्टर प्लान में रखेंगे, जैसे जयपुर के बाहर का एरिया है जहां खेत हैं उनका वार्ड बना नहीं है । उस एरिया का एक्सटेन्शन करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं जो मास्टर प्लान के अनुसार होगा । यदि यह काम विदिन् दी पीरियड खत्म नहीं हुआ तो जो सेन्टर से असिस्टेन्स मिलने वाली है वह नहीं मिलेगी ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं वे आपके कहने के अनुसार इससे इफेक्टेड नहीं होंगे, यह एक हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन विस्तृत रूप से डेवलप्ड एरियाज़ में कुछ नहीं हो, यह उचित नहीं है । डेवलप्ड एरियाज़ में भी कुछ न कुछ कमीबेशी होना स्वाभाविक है और आवश्यक है । इस संबंध में सरकार विचार करे । मेरा सुझाव है, सरकार ठीक समझे तो व्यवस्था करे । लेकिन मैं समझता हूं यह आवश्यक है हरेक वार्ड में मास्टर प्लान डिस्प्ले करने के लिये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये . . .।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मुझे प्रश्न करना है, सुझाव आप दे सकते हैं, अपोजीशन के लीडर सरकार को सुझाव देते ही रहते हैं; लेकिन मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि अजमेर का मास्टर प्लान सेक्शन ५ के माफिक नहीं बन जाय तब तक टाउन इम्प्रूवमेन्ट वाले अजमेर में और दूसरी जगह क्या काम करते हैं ? अजमेर और दूसरी जगह, जहां पर मास्टर प्लान नहीं बने हैं, वहां पर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट काम कर रहे हैं । मास्टर प्लान बनाया नहीं है तो इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का खर्चा कैसे चलता है ? क्या यह सही है कि अजमेर में वह जमीन बेच कर अपना खर्चा चला रहे हैं। क्या यह सही नहीं है कि कानूनन सारा खर्चा सरकार को देना चाहिये ?

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का ताल्लुक है, टाउन प्लानिंग का ताल्लुक है, हरेक जगह जहां पर ट्रस्ट है वहां पर मास्टर प्लान नहीं बन सकता, फिर भी कोशिश यह हो रही है कि राजस्थान में जिस टाउन की आबादी २५००० से ऊपर हो उसका मास्टर प्लान तैयार करें । अजमेर का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और ट्रस्ट को वक्तन-फवक्तन गाइडेन्स दी जाती है कि पर्टिकुलर टाउन का इम्प्रूवमेन्ट इस तरह से होना चाहिये । इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को सरकार लोन देती है, ग्रान्ट नहीं दी जाती है। उनको कहा गया है कि सिटी को डेवलप करने के लिये जमीन को डेवलप करके बेच सकते हैं जिससे वे अपना भी खर्चा निकालें और शहर की तरक्की भी करें । जहां तक मास्टर प्लान का ताल्लुक है, मैं अर्ज कर चुका हूं कि यह जरूरी नहीं है कि जहां पर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट है वहां का मास्टर प्लान हो । लेकिन जैसे जयपुर का मास्टर प्लान बन रहा है तो जो भी इमारत बनेगी उसके लिये टाउन प्लानिंग से इजाजत लेकर बनानी होगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर के मास्टर प्लान के सिलसिले में कितना सेन्ट्रल असिस्टेन्स मिलता है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अजमेर...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न जयपुर का है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इन्होंने लिस्ट दी है उसमें अजमेर का नाम नहीं है। जब तक मास्टर प्लान सिटी का नहीं होगा उसके वगैर इम्प्रूवमेन्ट कर रहे हैं, तो वह गलत होगा। वगैर मास्टर प्लान के किसी भी शहर का इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट चल नहीं सकता। सेक्शन ५ में रखा गया है उसके अनुसार वगैर मास्टर प्लान बनाये इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट चल रहा है। आज आपने अजमेर को कितना लोन दिया है? वहां की जमीन नोटिफिकेशन के जरिये बेची जा रही है। मास्टर प्लान बन रहा है तो कोई जमीन बेची नहीं जा सकती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर मास्टर प्लान का कितना सेन्ट्रल असिस्टेन्स है और क्या वह जारी रहेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : सेन्ट्रल असिस्टेन्स १० परसेन्ट जारी रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अलदाराम।

एक माननीय सदस्य : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अलदाराम ।

सादडी से अंवलिया होती हुई पिन्डवाडा तक की सडक

१५०. श्री अलदाराम मीणा (सुमेरपुर-सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सादडी से अंवलिया होती हुई पिन्डवाड़ा तक की सड़क बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार ने सन् १९६० में दी थी ?

(२) क्या यह सही है कि उसके बाद प्रत्येक वर्ष के बजट में इस निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जाती है पर उसके अनुसार खर्च कुछ नहीं किया जाता ?

(३) क्या यह सही है कि यह सड़क विशेषकर गीरासीया, मीणा व भील आदिवासी क्षेत्र के ग्रामों से होकर गुजरेगी, अत: इस सड़क का शीघ्र निर्माण आदिवासियों तथा पिछड़े वर्ग को लाभकारी सिद्ध होगा ?

(४) उक्त सडक के निर्माण को कम खर्चीला व अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या सरकार इस सड़क के सादड़ी से लाठाड़ा, लूनावा, सेवाडी, बीजापुर, माटून, बेडा, मन्दर, चामुण्डेरी, नाना स्टेशन, मालणु, सिवेडा, झाडोली, जहां कि सिरोही—आबू रोड सड़क मिलती है, को मिलाते हुए निकालने का विचार करेगी ?

(५) अब इस सडक का निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री, (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) मालणु, सिवेडा, झाडोली को छोड़ कर नाना स्टेशन से पिन्डवाड़ा को सीधा जोड़ने का विचार है।

(५) आशा है, इसी वित्तीय वर्ष में।

Page No 19

श्री भलवाराम मीणा : जब १९६० के अन्दर बजट के अन्दर यह सड़क आई थी तो क्या कारण है कि आज तक हर वर्ष बजट के अन्दर रकम मंजूर होती है, लेकिन काम चालू नहीं होता ?

श्री हरिश्चन्द्र : एलाइनमेंट की डिस्प्यूट था इस वास्ते ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ) : जब यह १९६० से चीज चली आ रही है और हर साल बजट में प्रॉवीजन रखते हैं, तो जो भी डिस्प्यूट हो उसका फैसला करके आपको काम चालू करना चाहिए ।

श्री हरिश्चन्द्र : अब फैसला हो चुका है, वह सुनाया नहीं । एक मीटिंग की थी, जिसमें एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, कलेक्टर और पंचायत समिति थी, उसमें जो एलाइनमेंट तय किया गया, वही हम लेंगे ।

श्री फूलचन्द जैन : यह काम कब तक चालू हो जायगा ? इसके बारे में बतायें ।

श्री हरिश्चन्द्र : इस साल के बजट में दस हजार का प्रावधान रखा है । काम शुरू कर देंगे ।

श्री फूलचन्द जैन : जब डिस्प्यूट खत्म हो चुका है तो यह बतायें कि काम कब चालू हो जायेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो एलाइनमेंट का झगड़ा था वह अब तय हो गया है ; अब काम शुरू करवा देंगे ।

एक माननीय सदस्य : कुल सड़क कितनी लम्बी है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में जल प्रदाय योजनाओं की क्रियान्विति

१५१. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में किस किस कस्बे में जल प्रदाय योजनायें क्रियान्वित की जा चुकी हैं व किन किन कस्बों में कार्य चल रहा है ?

(२) क्या कस्बा फतेहपुर, जिला सीकर में जल प्रदाय योजना के लिए सर्वेक्षण कराया गया था ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

(३) क्या सरकार ने वहां इस शर्त पर जल प्रदाय योजना क्रियान्वित करने की मंजूरी दी थी कि स्थानीय नगरपालिका स्वयं उसके लिये ऋण स्थानीय माध्यमों से जुटाने की व्यवस्था करे ?

(४) जहां जहां भी गत वर्षों में जल प्रदाय योजनायें क्रियान्वित की गई हैं, क्या वहां भी इसी प्रकार की शर्तें लागू की गई थीं ? यदि हां, तो किन किन कस्बों के लिये ये शर्तें लागू की गई ?

(५) जिन शर्तों पर अन्य नगरपालिकाओं को जल प्रदाय योजना के लिए ऋण प्रदान किया गया है, उन शर्तों पर क्या फतेहपुर नगरपालिका को भी राज्य सरकार उक्त उद्देश्य के लिये ऋण देने को तैयार है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में जिन जिन कस्बों में जल प्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं व जिन जिन

(श्री हरिदेव जोशी)
कस्बों में कार्य चल रहा है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। योजना बनाई जा चुकी है

(३) अभी तक योजना भारत सरकार के विचाराधीन है। स्वीकृति नहीं दी गई है।

(४) जी नहीं, सरकार के पास जल प्रदाय योजनाओं के लिए एक मुश्त धनराशि का प्रावधान प्रत्येक वर्ष के लिए होता है और उसी में से जल प्रदाय योजनाओं के लिए नगरपालिका को ऋण स्वीकृत किया जाता है। यदि कोई नगरपालिका अपनी योजना को प्राथमिकता दिलाना चाहती है वह योजना की लागत का कुछ अंश, जो लगभग १।३ होता है, अपने स्थानीय साधनों से किसी भी रूप में जमा करा दे, जैसा कि सुजानगढ़ और लाडनूं के लिए किया गया है। अन्यथा सरकार के पास जब जब और जिस जिस प्रकार की धन-राशि उपलब्ध होती है योजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है।

(५) जी हां, लेकिन यह धन राशि की उपलब्धता पर निर्भर है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मानिकचन्द सुराणा : नम्बर पांच का क्या जवाब है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह धन-राशि की उपलब्धता पर निर्भर है। पैसा मिलेगा तब काम शुरू हो जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह योजना फतेहपुर की भेजी है, यह कितने की है और इसमें कितना ऋण राज्य सरकार के द्वारा दिया जाने को है ?

श्री हरिदेव जोशी : फतेहपुर की स्कीम लगभग १० लाख ३१ हजार की है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें राज्य रकार का ऋण कितना है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह पूरा ही ऋण होता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह योजना भारत सरकार को कब भेजी गई है और कितने अर्से से यह योजना भारत सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हरिदेव जोशी : २२-५-६५, I am sorry, २५-५-६५ को भेजी है।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : इसमें प्रायोरिटी कैसे फिक्सअप करते हैं ? क्या इसमें ऐसी भी स्कीम हैं जिनकी एप्लीकेशन दस साल से दी हुई हैं और उनके सम्बन्ध में सर्वे भी हो चुका है, फिर उनको नहीं लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री हरिदेव जोशी : एप्लीकेशन देने से ही प्रायोरिटी मिल जाय, यह सम्भव नहीं है। हम अमुक आबादी की योजना पहले लेना चाहते हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना में सारी म्यूनिसिपैलिटीज को कवर करना चाहते हैं।

श्री जुझारसिंह : रामगंज मंडी का प्रश्न मैं कई दफा पूछ चुका हूं, वहां के लोग पैसा देने को तैयार हैं और उसका सर्वे भी हो चुका है। उसकी छः वर्ष से अब तक मंजूरी चली आ रही है, लेकिन उसका कुछ नहीं कर पाये

(श्री जुझारसिंह)
हैं । प्रायोरिटी का कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास तत्काल जानकारी देने को नहीं है । लेकिन रामगंज मण्डी एक बड़ा कस्बा है और उसे चौथी पंचवर्षीय योजना में लिया जा सकता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि भारत सरकार से दूसरी योजनायें स्वीकृत होकर आ गई हैं, उनमें कुछ योजनायें ऐसी बाकी हैं जिनमें काम शुरू करना बाकी है ?

श्री हरिदेव जोशी : २३ योजनायें स्वीकृत होकर थोड़े दिनों पहले आई हैं, उनको चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरा करना है ।

प्रश्न संख्या १५२

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री चन्द्रसिंह बर्फा ।

जोधपुर जिले में समाज कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रावास

१५३. **श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये कितने छात्रावास आज दिन तक खोले गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि ऐसे छात्रावास केवल शहरी क्षेत्रों में ही स्थापित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की हायर सैकण्डरी पाठशालाओं के लिये, जहां कि छात्रावास भवन उपलब्ध हैं, छात्रावास स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि भावी ग्राम पंचायत ने अपने यहां ऐसा छात्रावास खोलने की मांग की है ? यदि हां, तो यह मांग कब तक पूरी होगी ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : (१) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(२) जी हां । इस वर्ष नये छात्रावास प्रारंभ करना संभव नहीं है । क्योंकि तृतीय पंच वर्षीय योजना काल के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं।

(३) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : क्या सरकार यह बतायेगी कि यह छात्रावास सिटीज में ही क्यों खोलती है और ग्रामीण छात्रावास के लिये क्यों नहीं प्रावधान रखती है ? पिछले कई साल से भावी और रातकुड़िया के एरिया के कागज विचाराधीन पड़े हुए हैं और छात्रावास के लिए वहां के गांव वाले दस हजार का चन्दा इकट्ठा करके मकान बनाकर देने के लिए तैयार हैं—उसको लेने में क्यों ऐतराज करते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, तृतीय पंच वर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वह पूरा हो चका है, इसलिए, संभव

(श्री अमृतलाल यादव)

नहीं है। आपके सुझाव को चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्दर लेने के लिए जरूर विचार किया जा सकता है।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : जोधपुर में ७० संख्या बताई गई है। गत वर्ष यह संख्या कितनी थी और इस साल कितनी बढाई है आपने ?

श्री अमृतलाल यादव : जोधपुर में ज्ञान गंगा छात्रावास में गत वर्ष २५ थी और इस वर्ष १५ और बढाई गई है।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : जो सूची सदन की मेज पर रखी है उसमें बताया गया है कि राजकीय छात्रावास की ७० सीट्स हैं और मंत्री महोदय कहते हैं कि पिछली साल २५ थीं और इस साल १५ और बढ़ाई गई हैं।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया उस पर माननीय सदस्य ध्यान दें। मैंने नम्बर ३ के छात्रावास की बात कही है। ७० राजकीय छात्रावास की हैं, लड़कियों के लिए तीस हैं। यह ज्ञान गंगा छात्रावास है, यह एक वॉलन्टियरी संस्था है। इसका फाइनल हिसाब मैंने बताया है।

श्री रावतराम (सादुलपुर) : जहां तक पॉलिसी का सवाल है, यह स्कूल होस्टल खोले जाते हैं यह कस्बों में और सिटी में खोले जाते हैं लेकिन आज गांवों में भी हायर सैकण्डरी स्कूल और मिडिल स्कूल खोले जा रहे हैं तो वहां भी इस तरह के स्कूल होस्टल खोले जाने चाहिए। वहा कम खर्च में पढ़ाई हो सकती है, वहां रहने वाले लोगों को बहुत अच्छी तरह खाना मिलेगा। आज जो होस्टल की हालत है, वहां पर जो खाना मिलता है, उसकी हालत है, वह ऐसा है कि कोई भी उस खाने को नही खा सकता है। इसी तरह रोशनी का इन्तजाम है।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, जहां तक और अच्छा बनाने का सवाल है, राजकीय छात्रावासों के साथ जो वॉलन्टियरी एजेंसी के छात्रावास चलते हैं, यह बात उन पर भी लागू होती है। इसलिए दोनों के संबंध में सोचने की बात है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रावास खोलने का सवाल है, मैं उसूलन उस बात को स्वीकार कर चुका हूं, वह वाजिब बात है। लेकिन तृतीय पंच वर्षीय योजना में १५ छात्रावास खोलने का लक्ष्य था, वह पूरा हो चुका है। अब चौथी पंच वर्षीय योजना में इस बात पर विचार किया जा सकता है।

श्री रावतराम : वॉलंटियरी एजेंसी को आप छोड़ दीजिये। इसके अलावा जो गवर्नमेन्ट के होस्टल चलते हैं, आज तक उनको आपके किसी अधिकारी ने नहीं देखा है कि किस तरह की रोशनी मिलती है, किस तरह का खाना मिलता है। पैसा तो पूरा लिया जाता है, आपके बजट से पूरा पैसा लिया जाता है, उसके बदले में घटिया खाना और रोशनी मिलती है।

श्री अमृतलाल यादव : अगर आप जाकर देखें तो कोई रोक नहीं है।

श्री रावतराम : मैं तो जाकर देखता ही हूं, इसीलिए कहता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय मंत्री ने फर्माया, वह बात बिल्कुल मानने योग्य नहीं है। जो राजकीय छात्रावासों की हालत है, वह आपने देखी है, मैंने देखी है, और और साथियों ने भी देखी है। हम उनमें इसलिए लड़के नहीं भेजते हैं कि वहां

Page No 23

(श्री जयनारायण सालोदिया)
पर खाने को मिलता है। हम वहां लड़कों का संस्कार सुधारने के लिए, लड़कों की तन्दुरुस्ती ठीक करने के लिए, उनकी योग्यता बढ़ाने के लिए भेजते हैं। हम लड़कों को अनाथालयों में नहीं भेजते हैं, जहां खाना अच्छा नहीं मिलता है, साग अच्छा नहीं मिलता है, कपड़ा अच्छा नहीं मिलता है और किताबें छः छः महीने तक नहीं भेजी जाती हैं। हम लड़कों को बिगाड़ने के लिए नहीं भेजते हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि या तो यह बन्द कर दीजिये या यह अच्छी तरह से चलाइये।

श्री अमृतलाल यादव: माननीय अध्यक्ष, जो माननीय सदस्यों ने कहा है, उनके कहने के अनुसार मैं खुद भी इनसे संतुष्ट नहीं हूं और हम छात्रावासों में इस प्रकार की चीजें देखते हैं उनको सुधारने की ओर ध्यान दे रहे हैं, उसमें जो माननीय सदस्यों के सुझाव होंगे, उनका भी स्वागत किया जायेगा।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमूं) : इन छात्रावासों की यह हालत है कि दो दो महीने गुजर जाते हैं, वहां न पानी अवेलेबिल होता है, न रोशनी मिलती है। इसके अलावा ऐसे स्थानों पर छात्रावास रहते हैं जहां से सिटी दूर होते हैं और जो बिल्कुल सिटी के बाहर होते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, आपके ऑफिसर कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था ही रहेगी। यहां रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ। ऐसी ही व्यवस्था रहेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मेरा एक सुझाव है ....

श्री अमृतलाल यादव : जो ऑफीसर ऐसी बात कहेगा, उसके खिलाफ पूरा एक्शन लिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : मेरा एक सुझाव है

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : यह छात्रावास ऐसे स्थान पर चलाये जाते हैं जो सिटी के बाहर होते हैं और ऐसी जगह होते हैं जहां न तो ठीक मकान होता है, न रोशनी का प्रबन्ध होता है, न कपड़े का प्रबन्ध होता है, न खाने-पीने का प्रबन्ध होता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस मसल पर विचार करेगी कि अब तक जो अलग अलग होस्टल चलाये गये हैं वह सक्सेसफुल नहीं हुए हैं इसलिए बाकी जो स्कूलों के या कॉलेज के होस्टल होते हैं उनके अन्दर ही इन होस्टलों में रहने वाले छात्रों के लिए सीट्स को एडजस्ट कर दिया जाय ताकि उनको पूरी फैसिलिटी मिल सके ?

श्री अमृतलाल यादव : बाकी होस्टलों से आपका क्या मतलब है, सरकार के द्वारा चलाये जाने वाले होस्टल ?

श्री जयनारायण सालोदिया : जी हां। उनमें प्रतिशत आप बढ़ा दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : जो होस्टल खुले हुए हैं उनमें आप इन लड़कों के लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दीजिए, और अलग होस्टल खोलने की क्या जरूरत है ?

श्री अमृतलाल यादव : यह सुझाव उत्तम है, इस पर विचार किया जा सकता है और विचार में कर रहा हूं।

(१२ मध्याह्न)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्या छात्रावासों के निरीक्षण के लिये भी कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था है कि साल में एक बार या दो बार उनका निरीक्षण किया जाए और क्या एक बार भी किसी मंत्री महोदय ने जाकर उसको देखा है ?

श्री अमृतलाल यादव : सोशियल वेलफेअर आॅफिसर्स समय समय पर इसका निरीक्षण करते हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : निरीक्षण की रिपोर्ट आपके मंत्रालय में आती है ?

श्री अमृतलाल यादव : उसकी रिपोर्ट डाइरेक्टर, सोशियल वेलफेअर के पास आती है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

केशवराय पाटन में नल योजना

१५४. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि जिला बूंदी के केशवराय पाटन के लिए जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत स्कीम तैयार की जा चुकी है ?

(२) यदि हां, तो इसका सर्वे कब हुआ तथा कितने का एस्टीमेट तैयार किया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि पाटन की जनता को भारी जल कष्ट है और उन्हें करीब ३०० फीट नीचे नदी से पानी लाना पड़ता है ?

(४) केशवराय पाटन में नल योजना का कार्य कब से प्रारंभ किया जा सकेगा ?

जन स्वास्थ्य मंत्री, (श्री हरिदेव जोशी) :

(१) जी नहीं । तैयार की जा रही है ।

(२) सर्वे माह नवम्बर, १९५९ में हुआ था एस्टीमेट २,८७,८१० रु० का बना है ।

(३) जी हां ।

(४) सर्व प्रथम योजना सन् ५८–५९ में तैयार की गई थी किन्तु आबादी के बढ़ जाने व हाईड्रल इलेट्रिक के आ जाने से योजना में काफी परिवर्तन किया गया है, सो अन्तिम स्टेज पर है । अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि योजना का कार्य आरम्भ करने में कितना समय लगेगा ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि चीफ इंजीनियर ने इसको आवश्यक मान कर और सरकार को, भारत सरकार को भेजने के लिये स्कीम भेजी है कि इसको प्राथमिकता दी जाए ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां । वह भेजी थी । मगर स्थितियें बदलने से एस्टीमेट चेन्ज करना पड़ा ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि एस्टीमेट आदि सब बन गये थे उसके बाद में सरकार को स्कीम भजी थी ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने बताया कि आबादी के बढ़ने व हाईड्रल इलेट्रिक के आ जाने से योजना में काफी परिवर्तन किया गया और एस्टीमेट बनाये जा रहे हैं और यह अंतिम स्टेज पर है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि केशवराय पाटन के लोगों का प्रतिनिधि-मन्डल सरकार से मिला है और आपने उनको

Page No 25

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
छः महीनों में पूरा करने का आश्वासन दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक प्रतिनिधि मन्डल का सरकार से मिलने का प्रश्न है, एसिस्टेन्ट इंजीनियर से लेकर मंत्री तक से मिल सकते हैं। वे किससे मिले हैं, यह मुझे मालूम नहीं; लेकिन कम से कम मैं यह कह सकता हूं कि मेरे से नहीं मिले।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह काम कब तक शुरू करावेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : यह मैं अभी नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह ।

राजकीय मुद्रणालयों द्वारा की गई खरीद संबंधी प्रतिवेदन

१५५. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजकीय मुद्रणालयों द्वारा की गई खरीद-फरोख्त के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी श्री मेनन ने अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को कब पेश किया ? इस प्रतिवेदन का क्या परिणाम रहा ?

(२) इस प्रतिवेदन के अनुसार किस किस अधिकारी के विरुद्ध कब कब क्या क्या कार्यवाही की गई ?

मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) श्री मेनन जांच अधिकारी के प्रतिवदन अलग अलग भागों में निम्नलिखित तारीखों में राज्य सरकार को प्राप्त हुए :

क्रम सं०	विषय	दिनांक
१.	मशीनरी	११-१२-६३
२.	कागज	३-१-६४
३.	गोंद	१६-२-६४
४.	स्याही	१६-२-६४
५.	ट्रेसिंग क्लॉथ	१६-२-६४
६.	लेखन सामग्री	२६-२-६४
७.	टाइप राइटस डुप्लीकेटर्स, कैल्कुलेटर्स आदि	११-३-६४

यह सब प्रतिवेदन लगभग ८०० पृष्ठों में हैं और प्रशासनिक मामलों से सम्बंधित है। इनमें से पांच प्रतिवेदनों पर सरकार ने निर्णय ले लिया है। शेष दो विचाराधीन हैं।

जांच अधिकारी ने जो त्रुटियां बतलाईं उसके अनुसार राज्य सरकार ने संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं और उनको यह भी हिदायत दे दी है कि भविष्य में खरीद करते समय ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहियें।

(२) इस सम्बन्ध में तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : जब आपके पास यह रिपोर्ट ११-३-६४ को आ गई थी तो फिर आपको लोगों को जो इन्वोल्वड थे उनको चार्ज शीट सर्व करने में जुलाई, ६५ तक का लम्बा समय क्यों लगा ?

श्री मथुरादास माथुर: रिपोर्ट बहुत बड़ी है। मैंने बताया कि वह ८०० पेज की है। उस रिपोर्ट को पढ़ा गया उसके बाद मैं डाइरेक्टर को भेजा और लोगों के एक्सप्लेनेशन कॉल किये गये और उसके बाद अपॉइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट को भेजा; इसमें समय लगा।

श्री भैरोंसिंह : अलग अलग रिपोर्ट उन्होंने सब्मिट की हैं, किसी रिपोर्ट में ५० पेज हैं तो कोई ७० पेज की रिपोर्ट है। उन पर तो आप जल्दी एक्शन ले सकते थे ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने जैसा अभी निवेदन किया कि रिपोर्ट तो ६४ में आ गई फर्क सिर्फ एक दो महीनों का ही रहा है। मेनन कमेटी ने जो फैक्ट्स लिखे उसके बारे में डाइरेक्टर ऑफ स्टेशनरी द्वारा पूछा गया और उसके बाद में अपॉइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट को भेजा गया। बाद में चार्ज शीट सर्व की है। उसमें से बहुतसों के जवाब आ गये हैं और बहुतसों के जवाब अभी नहीं आये हैं। कार्यवाही हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि पांच प्रतिवेदनों पर तो सरकार ने अपना निर्णय ले लिया है उनमें जो इन्वोल्व्ड हैं उनके खिलाफ सरकार ने एक्शन ले लिया होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : सरकार ने निर्णय ले लिया है। अब अपॉइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट कार्यवाही करेगा और जो मुनासिब समझेगा कार्यवाही करेगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने पहले आश्वासन दिया था कि आप इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख देंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्यों नहीं रखी गई ?

श्री मथुरादास माथुर : वह रख दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो अधिकारियों की तालिकायें दी हैं उसमें से कितनों की सर्विसेज खत्म होने वाली हैं या उनका रिटायरमेन्ट ड्यू है और कब कब ?

श्री मथुरादास माथुर : जो अधिकारियों की तालिका दी है उसमें लिख दिया गया है कि कौन कौन अधिकारी हैं। अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग अधिकारी इन्वोल्वड हैं। मुझे मालूम नहीं कौन कब रिटायर हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या ऐसे आदमियों को गवर्नमेन्ट ने रिटायरमेन्ट के बाद में भी एक्सटेन्शन दिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : ५५ साल से ५८ साल की अवधि के अन्दर कोई आया हो तो उसको दिया गया होगा। मगर इस रिपोर्ट के अनुसार वे दोषी प्रूव हो जावेंगे तो उनको सजा दी जावेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सरकार चार्ज शीट देने से पहले इस बात से सेटिस्फाइड हो गई कि उनके खिलाफ चार्ज स्टेण्ड करता है ?

श्री मथुरादास माथुर : मेनन कमेटी ने फैक्ट फाइन्डिंग के लिये इन्क्वायरी की है। उनके एक्सप्लेनेशन्स मांगे हैं और एक्स्प्लेनेशन आने के बाद में डिपार्टमेन्ट कन्सर्न को भेज देंगे।

श्री मानिकचंद सुराणा : आपने जो तालिका दी है जिसमें जिम्मेदार अधिकारी का नाम तथा की गई कार्यवाही का

Page No 27

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
जिक्र है उसमें आपने नं० १, २ ३ में बताया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों को आरोप-पत्र दे दिये गये हैं। इसमें इफ्तिखार अली का नाम भी दिया गया है। मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं कि जब इनका (इफ्तिखार अली) को ५५ साल के बाद में ५८ साल के लिये एक्सटेन्शन दिया गया तो वह इस समय के बाद में दिया गया?

श्री मथुरादास माथुर : यह चार्ज शीट है, इसका जवाब आने पर इन्क्वायरी होने पर मालूम होगा। अगर चार्ज प्रूव हो जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी और एक्शन लिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उनका जवाब आने से पहले ही पहले के मंत्री हैं उन्होंने और डिप्टी मिनिस्टर, होम ने यह नोट लिखा कि एक्सटेन्शन का इन्तजार नहीं किया जावे और उनको हटा दिया जाए?

श्री मथुरादास माथुर : यह अलग से प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : क्या आपने इस नोट को भी ध्यान में रखा है?

श्री मथुरादास माथुर : यह आप अलग से प्रश्न पूछ लीजिये, मैं फाइल देख कर आपको जवाब दे दूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने इनको किस तरह से एक्सटेन्शन दिया है?

श्री मथुरादास माथुर : यह इससे संबंध नहीं रखता है। अगर आप इसके सम्बंध में अलग से प्रश्न पूछें तो मैं आपको उत्तर दूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि चार्ज शीट दी जिसमें इफ्तिखार अली का नाम बहुत चलता है। • मेनन कमेटी कायम की गई और बाद में उसको एक्सटेन्शन दिया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी उसकी ५८ साल की अवधि बढ़ाई है वह किस हालत में बढ़ाई गई? ५५ साल से ५८ साल किस हालत में बढ़ाये जाते हैं? मैं यह कहूंगा कि जिसकी ज्यादा शिकायतें होती हैं उसको कम्पल्सरी रिटायर भी किया जाता है। आप कहें कि उसको एक्सटेन्शन आपने कब तक के लिये दिया है और आपन जो चार्ज-शीट दिया है उसके नतीजे पर गवर्नमेन्ट कब तक पहुंच जावेगी? तीसरी बात जो है उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता।

श्री मथुरादास माथुर : ५५ से ५८ तक वह कन्टीन्यू करेगा जब तक चार्ज साबित नहीं हो जावे। चार्ज साबित होते ही एक्शन ले लिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि राजस्व मण्डल के चेयरमैन के रिकमण्डेशन पर उस अधिकारी को सस्पेण्ड किया या जिस आइटम के संबंध में जांच की जा रही है, यदि उसका कन्ट्रोल उसमें रहा तो जांच में रुकावट पैदा होगी? इसलिये क्या सरकार उसको हटाना उचित नहीं समझती है?

श्री मथुरादास माथुर : वह अधिकारी एक सुपरिन्टेन्डेन्ट है और हमारा डाइरेक्टर यहां रहता है। इसलिये जांच में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न यह है कि प्रेस में हमारी सब चीजें छपती हैं, वहां पर उस आदमी के रहने के कारण वे लीक होती हैं। जिस आदमी के खिलाफ सी० आई० डी० की रिपोर्ट है, इसलिये भी यह जरूरी है कि इसको तुरन्त सस्पेन्ड किया जाय और जांच के बाद अगर बेगुनाह पाये जायं तो आप इनको फिर बाद में पूरी तनख्वाह दे सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसी कोई रिपोर्ट किसी ऑफिसर के खिलाफ हो जो एन्टी-नेशनल हो तो उस अधिकारी को मोअत्तिल ही नहीं किया जायगा और भी जो कानूनी सजा दी जा सकती है वह उसे दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : मैंने जिस चीज को रेफर किया है, भूतपूर्व मंत्री, उप-गृह मंत्री और सचिव ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि उनकी इस प्रकार की शिकायत है।

श्री मथुरादास माथुर : जो भी रिपोर्ट होगी इस प्रकार की उसकी जांच की जायगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि इतना साधारणीकरण इसका किया जा रहा है कि जांच की जायगी, ऐसी रिपोर्ट की गई है उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है, आप कोई बताइये तो सही ?

श्री मथुरादास माथुर : आप कोई पोजिटिव प्रश्न पूछिये मैं जवाब दूंगा। सी० आई० डी० की रिपोर्ट का कह रहे हैं, जो आई है उसकी जांच की गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सी० आई० डी० की प्रीवियस रिपोर्ट्स थीं, क्या उनकी जांच करके डिस्पोज ऑफ किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : किसी पर्टीक्यूलर रिपोर्ट के बारे में आप पूछिये, मैं उत्तर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : भूतपूर्व मिनिस्टर ने सी० एस० को लिखा, जिसके खिलाफ डिप्टी सेक्रेटरी होम की रिपोर्ट है, सी० आई० डी० की रिपोर्ट है जिन्होंने सी० आई० डी० की रिपोर्ट को आधार बना कर लिखा है कि इनका एक्स्टेन्शन ही नहीं किया जाय बल्कि कम्पल्सरी रिटायरमेंट कर दिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जब रेवेन्यू बोर्ड की इनके खिलाफ रिपोर्ट थी तो सरकार ने इनका एक्स्टेन्शन ही क्यों किया, कौन से राजस्थान सरकार डूब रही थी जो इनका एक्स्टेन्शन किया ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई ऑफीसर जो गवर्नमेंट की सर्विस में है उसको ५५ साल की उम्र के बाद अगर सी० आर० ठीक नहीं है तो एक्स्टेन्शन नहीं किया जायगा, सी० आर० करेक्ट है, ठीक है, तो उस पर कार्यवाही की जाती है। अगर आपका यह प्रश्न किसी पर्टीक्यूलर ऑफिसर से सम्बन्धित होता तो उसका उत्तर देता, यह प्रश्न किसी से सम्बन्धित नहीं है इसलिये पर्टीक्यूलर ऑफिसर के सम्बन्ध में मैं इस समय नहीं कह सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रत्येक विभाग की नीतियां उसके मंत्री के बदलने के साथ बदलती जायं, इस विभाग के मंत्री हरिश्चन्द्र जी हों तो कह दें कि इसको रिटायर कर दिया जाय और फिर माथुर साहब आये तो कह दिया कि रिटायर नहीं किया जाय, एक्स्टेशन किया जाय। जिसके खिलाफ मेनन कमेटी की रिपोर्ट है, एक इतने बड़े जिम्मेदार अधिकारी की रिपोर्ट है, उसको

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
एक तरफ रख दिया जाय और उसके खिलाफ मेनन कमेटी की रिपोर्ट के होते हुए एक्स्टेन्शन कर दिया जाय, उस रिपोर्ट को अलग रख दिया जाय। डी० पी० आर० के खिलाफ एन्क्वायरी चल रही है, इफ्तिखारअली के खिलाफ एन्क्वायरी चल रही है, उनके बारे में पूछा जाता है और कोई संतोषजनक जवाब अगर नहीं देते हैं तो हम जनना चाहते हैं कि मेनन कमेटी की रिपोर्ट एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है तो जो फैक्ट्स आपके रेवेन्यू बोर्ड ने इफ्तिखारअली के खिलाफ फाइन्ड किये हैं, वह एक अहम रिपोर्ट है, ८०० पेज की रिपोर्ट है, तो क्या गवर्नमेन्ट मुनासिब नहीं समझती थी कि एक जिम्मेदार ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है इस अधिकारी के खिलाफ, तो उसको एक्स्टेन्शन नहीं दिया जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : जो एलिगेशन्स हैं वे कन्सर्निंग ऑफिसर को बताने जरूरी हैं, जवाब आने के बाद जब हम यह समझते हैं कि जो फैक्ट्स उसके खिलाफ हैं, वे सही हैं तो एक्शन लेते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या यह सही नहीं है कि आम तौर पर लोगों को ५५ साल की सर्विस होने के बाद रिटायर कर दिया जाता है . . .

श्री मानिकचन्द सुराणा : ५५ साल के बाद तो जिनके ऊपर मर्जी होती है, उनको ही रखा जाता है।

श्री अमरसिंह (पचपदरा) : एक अधिकारी के विरुद्ध गुप्त आरोप थे, उसके सम्बन्ध में जैसा कि मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माननीय सदस्य ने जो समस्या सदन में रखी है, इस एन्क्वायरी के अन्दर कुछ विरोधी तत्व रेकर्ड हुए हैं और भूतपूर्व मंत्री ने, सचिव ने, उपगृह मंत्री ने अपने विचार व्यक्त किये हैं वे उस पदाधिकारी के विरुद्ध थे, तो वैसी दशा में एक्स्टेन्शन देने का तो सवाल ही नहीं, उसकी सर्विसेज को कम्पल्सरी खत्म किया जाना चाहिये था। ५५ साल की अवस्था के बाद एक्स्टेन्शन हो तो एक्स्टेन्शन के लिये काफी वजह होनी चाहिये। इस केस में तो मंत्रीजी के एक्सप्रेस्ड व्यूज़ हैं उस अधिकारी के विरुद्ध तो वैसी दशा में तो एक्स्टेन्शन की वजह पूरी तरह से साबित होनी चाहिये कि एक्स्टेन्शन जस्टिफाइड है। जिस पदाधिकारी के विरुद्ध मंत्री के व्यूज एक्सप्रेस किये गये हैं, जिसके विरुद्ध फैक्ट फाईडिंग रिपोर्ट है, एक बड़े रेस्पोन्सिबल ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद उस रिपोर्ट की अवहेलना करना, यह बड़ा गम्भीर मामला है। मंत्री महोदय को इसके ऊपर रोशनी डालनी चाहिये और यह बात स्पष्ट करनी चाहिये कि वह कौनसे तत्व हैं जिनके ऊपर विचार करके इस पदाधिकारी के विरुद्ध रिपोर्ट होने पर भी उसका एक्स्टेन्शन किया गया ? अगर ऐसा नहीं है और मंत्री महोदय ने अपने आर्बीट्रेरी पॉवर्स का उपयोग किया है तो एक बड़ी ग्रेव इरेंगुलेरिटी के मंत्री महोदय जिम्मेदार हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी बात तो मैंने सुनी नहीं, पर मैं आपको तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि हर रिपोर्ट की पूरी जांच की जायगी।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, एक्स्टेन्शन का यह राजस्थान में सबसे वर्स्ट केस है, जिनके कन्डक्ट पर कुछ भी सन्देह था और मन्त्री महोदय नाराज थे तो उन लोगों को ५५ साल में ही रिटायर कर दिया, ३ साल

(श्री भैरोंसिंह)
का प्रिविलेज जो उनको मिलने वाला था उस प्रिविलेज का लाभ उनको नहीं उठाने दिया और जो ऐसे अफसर हैं जिनके लिये इस विभाग के भूतपूर्व मंत्री ने, उपगृह मंत्री ने लिखा, गृह सचिव ने लिखा, जो नेशनल सिक्योरिटी से सम्बन्धित है, उसको एक्स्टेन्शन मिलता है। तो ऐसी दशा में आप पर्मानेन्ट प्रिविलेज दे दीजिये सब कर्मचारियों को कि वे ५८ साल में ही रिटायर हों, ताकि वे लोग जो आपकी मर्जी में नहीं हैं, वे आपके शिकार न हो सकें और जो आपकी मर्जी में हैं उनको ही यह प्रिविलेज मिलता रहे।

श्री मथुरादास माथुर : फर्दर एक्स्टेन्शन के रूल्स बनाये हुए हैं, उन्हीं रूल्स के तहत उन रूल्स के आधार पर, सरकारी कर्मचारियों को एक्स्टेन्शन दिया जाता है और रिटायर किया जाता है। सी० आर० इस प्रकार के निर्णय के समय मौजूद रहती हैं। उसी हिसाब से चाहे इफ्तिखारअली का केस हो, चाहे और किसी का केस हो डील किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : अब तक तो डील कर लिया न, ५५ साल के पहले का उनका रेकार्ड क्लियर था कि इनका ३ साल का एक्स्टेन्शन किया जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : जो उनके खिलाफ शिकायतें हैं, उनकी जांच हो रही है, जो उनके खिलाफ साबित हो जायगा तो एक्शन लिया जायगा। सी० आर० प्रेज्युडिस्ड है तो उसकी सचाई मालूम करने के लिये कमेटी बैठती है, जांच की जाती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भ्रम है माननीय सदस्य को कि किसी के साथ फेवर किया जा रहा है या हम प्रेजुडिस्ड हैं तो वह निराधार है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है मंत्री महोदय किस प्रकार का रुख अपनाएं, कह नहीं सकता, लेकिन नेशनल पोइंट आॅफ व्यू से राजस्थान का प्रेस सुरक्षित नहीं है। मेरे पास जो केबीनेट सेक्रेटेरियट की रिपोर्ट भारत सरकार को जाती है उसकी कॉपी है। मुझे यदि अनुमति दी जाय तो मैं एक घंटे में लाकर सदन की मेज पर रखूं जिसमें आर. ए. सी. के मूवमेंट्स, कहां कहां क्या क्या काम हुआ, कहां कहां नेशनल एक्टीविटीज चलीं, राजस्थान के सिक्योरिटी फोर्सेज क्या कर रहे हैं, बॉर्डर प्रोटेक्शन किस प्रकार से होता है, इस बात की जो केबीनेट सेक्रेटेरियट से फोर्टनाइटली रिपोर्ट भारत सरकार को भेजते हैं, वह लीक आउट हो जाती है और मेरे पास भी एक है। मैंने कुछ सरकारी अधिकारियों को सूचना दी है कि इस प्रकार का प्रबंध किया जाय प्रेसेज़ के बारे में। यह वास्तव में सरकार के डूबने की बात है, सरकार डूबे तो कोई चिंता नहीं; लेकिन यह नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं गंभीरता से विचार कर रहा हूं। जो आपने बात कही है उसकी पूरी जांच हो रही है। जो अधिकारी जिम्मेदार हैं और यदि सुबूत हो जायगा तो उनके खिलाफ सीवियर एक्शन लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं कि "सुबूत हो जायगा", यह कोई प्रश्न नहीं है। आप किसी का एक्सटेन्शन कर रहे हैं उसके पहले जरूरी था कि आप जांच करते कि केबीनेट सेक्रेटरियट की सीक्रेट रिपोर्ट गवर्नमेन्ट प्रेस से कैसे जाती है ? डाइरेक्टली कौन

(श्री भरोंसिंह)
जिम्मेदार हैं और नेशनल सिक्योरिटी के प्रश्न पर इन्डाइरेक्ट जिम्मेदारी भी आती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो फिर जब ऐसे आदमियों के एक्स्टेन्शन का सवाल आता है जैसे खेरी साहब की तरह कानून जानने वाला राजस्थान में और कोई नहीं बचा, तो सरकार उनके एक्स्टेन्शन में इन्टरेस्ट क्यों लेती है ?

श्री मथुरादास माथुर : हम किसी के एक्सटेन्शन में इन्टरेस्टेड नहीं हैं, न किसी के रिजेक्शन में इन्टरेस्टेड हैं। हम कानून से चलते हैं। यदि इस केस में सुबूत हो जाय तो हम एक्शन लेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो तथ्य जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखे हैं वे यदि सही हैं तो मैं समझता हूं कि सुपरिन्टेडेन्ट या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनकी इन्डाइरेक्ट जिम्मेवारी हो उनको सैक ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि यदि केबीनेट सेक्रेटेरियेट की सीक्रेट रिपोर्ट, जो भारत सरकार को हमारे बॉर्डर मूवमेंट्स के बारे में जाती है और यदि वह लीक आउट हुई है और उसकी कॉपी माननीय सदस्य के पास में है तो मैं समझता हूं कि मंत्रीजी को त्यागपत्र देना चाहिए।

(करतल-ध्वनि)

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखें ताकि उसके जो सीरियस कॉन्सीक्वेन्सेज हों वे मंत्री महोदय भुगतें।

श्री मथुरादास माथुर : जो इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई है वह सदन में पेश कर दें। मैं इसकी जांच नहीं कर रहा हूं मेरे विभाग से डाइरेक्ट संबंध नहीं है। इसलिए मैं इस बारे में नहीं कह सकता कि मैं अनभिज्ञ हूं। जो एन्क्वायरी करने वाले हैं वे बहुत डिटेल में कर रहे हैं और उसके बाद मैंने उनसे कह दिया है कि मेरे विभाग का कोई भी आदमी इसके अंदर इन्वोल्वड है तो मोस्ट सीवीयर एक्शन जो लिया जा सकता है, वह लिया जायगा, चाहे एक्स० हो या वाई० हो, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। जितनी पट्रियोटिज्म आप में हैं उतनी हममें भी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : चार्जशीट दे दी ? सिर्फ कह दिया कि कार्यवाही की जायगी।

श्री मथुरादास माथुर : इस नेचर की चार्ज शीट एन्क्वायरी करने के बाद...

श्री भैरोंसिंह : एन्क्वायरी का सवाल नहीं है। आप कहते हैं कि एन्क्वायरी होगी। ६ महीने एन्क्वायरी चलेगी और राजस्थान के गवर्नमेन्ट प्रेसेज में कितने सीक्रेट डाक्यूमेंट्स हैं वह ६ महीने तक तो सारे कॉन्फीडेन्शियल रेकार्ड्स की कॉपी लेता रहे। यह जो आप फ्री हैंड दे रहे हैं, इस जिम्मेवारी से आप बच नहीं सकते। हम आपकी पैट्रियोटिज्म पर डाउट नहीं करते लेकिन जो आप रियायत से कुछ लोगों के साथ पेश आते हैं उसकी चिंता है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं चैलेंज करता हूं कि हम किसी से रियायत नहीं करते हैं। माननीय सदस्य जो रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं उसका प्रेस से कोई संबंध नहीं है। वह रिपोर्ट छपी है उस पर एन्क्वायरी चल रही

(श्री मथुरादास माथुर)
है कि कौन जिम्मेवार है, किनके हाथ से गई है, वह होम विभाग जांच कर रहा है। अगर मेरे विभाग की जिम्मेवारी है तो हम अवश्य उसके विरुद्ध एक्शन लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि किसी कलेक्टर या एस० पी० की ऑफिस से यह कागज नहीं निकला, राजस्थान के सेक्रेटेरियेट से नहीं निकला। यह रिपोर्ट गवर्नमेन्ट प्रेस के कागज पर लिखी हुई है, प्रेस का कागज है, उस पर छपी हुई है। इसमें प्रेस की डाइरेक्ट जिम्मेवारी है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस रिपोर्ट के बारे में ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता, जो रिपोर्ट छपती है वह बड़े बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में छपती है, वह कागज डेस्ट्राय होता है। हमने कह दिया है कि जांच करो और उसके बाद हमारे विभाग का आदमी हो तो आप नेम करो, हम एक्शन लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय ने जो कहा कि यह विभाग की जिम्मेवारी है, अधिकारियों की मौजूदगी में रिपोर्ट छपती है और वे इस बात की निगरानी रखें कि कागज नष्ट किया जाय। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह कागज नष्ट नहीं किया गया। इस कारण से गवर्नमेन्ट प्रेस पर यह जिम्मेवारी आती है। तो आप उनको सस्पेंड करिए।

श्री मथुरादास माथुर : आपके कहने के अनुसार वह कागज नष्ट नहीं हुआ। जो एन्क्वायरी कर रहे हैं वे कह दें कि कौन जिम्मेवार है . . .

श्री भैरोंसिंह : मैं वह रिपोर्ट ले आता हूं उसके बाद अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पांच मिनट डिस्कशन इस पर हो और यही सिद्ध हो जाय कि प्रेस जिम्मेवार है या दूसरा विभाग जिम्मेवार है। यह नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, इसलिए मैं आपसे समय मांगता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह सिक्योरिटी का प्रश्न है। सवाल यह है कि क्या सरकार यह आश्वासन देती है इस सदन को कि इस तरह की रिपोर्ट जो हमारे आर० ए० सी० के मूवमेंट्स, जान, माल, सीमा-रक्षा संबंधी हों, वह रिपोर्ट भविष्य में नहीं निकलेगी ? इसके लिए आप क्या गारंटी देते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : इस तरह की जो रिपोर्ट छपती है उसके जो अधिकारी कन्सर्न्ड हैं उनकी मौजूदगी में छपती है, उसके बाद में अगर कोई लीकेज हुआ है तो उसके लिए हमने अधिकारियों से कहा है कि पूरी जांच कर लें। बड़े से बड़े इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर्स से कह दिया है और जिसके लिए होम डिपार्टमेन्ट हमें कह देगा उस पर हम एक्शन ले लेंगे। मैं इस समय यह नहीं कह सकता कि कंपोजीटर जिम्मेवार है, या सुपरिटेन्डेन्ट या प्रिंटर ? जब तक कोई डिपार्टमेन्ट का आदमी मुझे लिख कर नहीं दे कि कौन जिम्मेवार है तो मैं एक्शन कैसे लूं? आज की पोजीशन में मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आइंदा ऐसी चीज न हो उसके लिए आपने कोई प्रिकॉशन लिया ? आपने इस मामले में किसी को सस्पेंड किया ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो बहुत एक्शन लेने को तैयार हूं; मैं खुद एक्शस हूं। मैंने डिपार्टमेन्ट कन्सर्न्ड से कह दिया है यदि

Page No 33

(श्री मथुरादास माथुर)
इस विभाग के सभी आदमी जिम्मेवार हैं तो मैं दसों के दसों को सस्पेंड करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि वहां सब कागज डेस्ट्रोय होते हैं। यह उन अधिकारियों की जिम्मेवारी है जो वहां मौजूद रहते हैं। यदि कोई कागज डेस्ट्रोय नहीं हुआ है तो मौजूद रहने वालों की जिम्मेवारी हो गई।

श्री मथुरादास माथुर : साबित हो जायगा कि किसकी जिम्मेवारी है ....

श्री भैरोंसिंह : तो मौजूद कौन था, यह तो रेकॉर्ड पर है? इस बात में आपने तीन महीने लगा दिए।

श्री मथुरादास माथुर : यह होम डिपार्टमेंट से संबंधित है, मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। मेरे पास में न तो कोई शिकायत आई न कोई लेटर आया। जो विभागीय जांच कर रहे हैं वे बता देंगे तो एक्शन लिया जायगा। मैं तो जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके अन्दर भी एक्शन लेने को तैयार हूं, लेकिन कोई बताए तो सही, वर्ना हमतो इससे संबंधित नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप ६-६ महीने चार्जशीट नहीं देते, एन्क्वायरी तीन-तीन महीने नहीं होती है। माथुर साहब को किसी ने चिट्ठी लिखी, सस्पेंड होगा; चार्जशीट नहीं मिली।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे यह बताया जाय कि कौन जिम्मेवार है; कम्पोजीटर, सुपरिन्टेन्डेन्ट या और कोई, कुछ न कुछ मेरे पास आए। आज तक हमारे डिपार्टमेन्ट के पास एक लेटर भी नहीं है, तो मैं कैसे एक्शन लूं?

श्री भैरोंसिंह : जो मौजूद रहते हैं इस पर्पज के लिये, वे तो सस्पेन्ड होने चाहिये थे कि उनकी मौजूदगी में कागज निकले..

श्री मानिकचन्द सुराणा : राज्य सरकार के मंत्रीजी को यह मालूम है कि इस घटना को हुए तीन महीने हुए हैं और वे यह भी कहते हैं कि रिपोर्ट नहीं आयी है; चिट्ठी नहीं आई है। यह सरकार क्वारन्ट-वे में फंक्शन कर रही है? मंत्रीजी के ध्यान में आया और चिट्ठी नहीं आयी इसलिये एक्शन नहीं लेना चाहते। क्या आपने होम डिपार्टमेन्ट से मालूम किया था कि ऐसे फैक्ट्स आये हैं उसका क्या किया है?

श्री मथुरादास माथुर : चला कर होम डिपार्टमेन्ट को पूछा है। लेकिन मेरे पास कोई सूचना होम डिपार्टमेन्ट से नहीं आयी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी का सवाल है। होम डिपार्टमेन्ट से रिपोर्ट नहीं आती है इससे सदन का कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो गवर्नमेन्ट से यह गारन्टी चाहते हैं कि कोई रिपोर्ट आगे नहीं जाने वाली है इस तरह से?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

माहारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को केबिनेट लेवल पर डिस्कस नहीं किया जाता? मिनिस्टर की रेस्पोन्सिबिलिटी है।

श्री मथुरादास माथुर : कम से कम यह प्रश्न डिस्कस नहीं हुआ है, यह कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

Page No 34

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नागौर जिले में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत बनी सड़कें

१४२. **श्री गंगासिंह** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नागौर जिले में पिछले अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत जो सड़कें बनीं वो अधूरी पड़ी हैं ?

(२) इस जिले में पिछले अकाल के वक्त कौन कौनसी सड़कें बनना शुरू हुई थीं और उन सड़कों पर कितना काम हुआ ? जो काम शेष रहा उसे पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) सूची प्रस्तुत है । अर्थाभाव के कारण समस्त सड़कों पर कार्य किया जाना सम्भव नहीं है, केवल ३ सड़कों पर कार्य किया जाना विचाराधीन है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उनियारा नगर में जल-प्रदाय योजना का सर्वे

१४६. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि उनियारा नगर में कोई जल प्रदाय योजना का सर्वे किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सत्य है कि वहां की नगरपालिका ने भी इस संबंध में कोई सुझाव सरकार को भेजे हैं ? यदि हां, तो कब ?

(३) अब इस योजना को कब तक चालू किया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, सितम्बर सन् १९६४ में।

(२) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) योजना जिसकी लागत रु० ३,४०,००० की बनाई जा चुकी है ।

आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य चालू किया जावेगा।

हसनपुरा की कच्ची बस्ती से स्पिनिंग मिल का रास्ता

१५२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर में हसनपुरा की कच्ची बस्ती से जयपुर स्पिनिंग मिल को एक जाने का रास्ता था जिसको रेल्वे ने लगभग दो वर्ष पहले लोको शेड की एक पक्की दीवार बना कर रोक दिया है ?

(२) क्या यह सही है कि इस रास्ते को रोक देने से हसनपुरा की कच्ची बस्ती में रहने वाले मजदूरों को भारी परेशानी हो गई है और उन्हें जयपुर स्पिनिंग मिल तथा आसपास के एरिया में जाने के लिये लगभग १॥ मील का चक्कर लगाना पड़ता है ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(३) क्या राज्य सरकार ने रेल्वे विभाग को इस लोको शेड में से मजदूरों को आने-जाने का रास्ता देने या ऊपर से पुल बनाकर रास्ता देने के लिये कोई बात-चीत की है? अगर नहीं, तो क्या सरकार अब इस ओर कोई कदम उठायेगी?

उत्तर

(१) जी हां, ऐसा कहा जाता है कि एक टेढ़ा-मेढ़ा कच्चा रास्ता था।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं ऐसी कोई योजना नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्टेट रोडवेज में गाइड्स के पद

५५. श्री : जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान स्टेट रोडवेज में कहां कहां गाइड्स की पोस्ट हैं? उनकी क्या योग्यतायें हैं और उन्हें क्या वेतन दिया जाता है?

(२) ये गाइड्स क्या काम करते हैं?

उत्तर

(१) जिन जिन स्थानों पर निगम द्वारा यात्री पथ प्रदर्शक नियुक्त किये गये हैं, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। यात्री पथ प्रदर्शकों की योग्यता व वेतन निम्न प्रकार है :—

(१) मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष,

(२) वेतन श्रृंखला ९०-४-१०२ इ.बी. ११ -५-१५० है।

(२) गाइड्स के कर्तव्यों के परिपत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जेल विभाग में गबन के मामले

५६. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु.): क्या कारावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जेल विभाग में गबन, भ्रष्टाचार, स्मगलिंग तथा स्टोर्स में कमी के कितने मामले इस समय पेंडिंग हैं व कितने अर्से से तथा यह मामले किन किन कर्मचारियों व अधिकारियों से संबंध रखते हैं?

उत्तर

जेल विभाग में गबन, भ्रष्टाचार, स्मगलिंग तथा स्टोर्स में कमी के निम्न लिखित ११ मामले पेण्डिग हैं :—

क्रमांक	नाम अधिकारी व कर्मचारी	कब से पेण्डिग हैं
१	२	३
१	श्री सूरजकरण बोरा	सन् १९५०
२	श्री गंगाप्रसाद, सुपरिन्टेन्डेन्ट	सन् १९५९

Page No 36

१	२	३
	(कारावास मंत्री) श्री लक्ष्मणसिंह, स्टोरकीपर श्री मदनलाल, डि० जेलर श्री जगदीश शरण, फे० मैनेजर श्री टी० के० शारदा	
३	श्री पूरणमल, सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री आसूराम अका	सन् १९६०
४	श्री लक्षमणसिंह, स्टोरकीपर श्री गंगाप्रसाद, सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री हरलालसिंह, सुपरिन्टेन्डेन्ट	दिसम्बर, १९६१
५	श्री लक्ष्मणसिंह, एक्स डायर	दिसम्बर, १९६१
६	श्री मोरेलाल, स्टोरकीपर श्री पूरणमल	मई, १९४९
७	श्री हनुमानमल, सहायक कारापाल, उप-कारागृह, बाड़मेर	जोलाई, १९६२
८	श्री देवीसिंह, सहायक कारापाल, सलूम्बर	दिसम्बर, १९६४
९	श्री रामस्वरूप, रामेश्वर, अविनाशीलाल श्री धन्ना लाल, लक्ष्मणसिंह } स्टोर कीपर्स	१ नवम्बर, १९५६
१०	श्री राधाकृष्ण टिक्कू, सहायक कारापाल, कोटड़ा	सितम्बर सन् १९६३
११	श्री लाखनसिंह, सहायक कारापाल, कोटड़ा	नवम्बर सन् १९६३

हिरणी ढाणी सहकारी समिति के सदस्यों में ऋण वितरण

५७. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) हिरणी ढाणी सहकारी समिति (डेगाना तहसील) के सदस्यों में अब तक कितना ऋण वितरण हो चुका है?

(ब) अब तक ऋण की कितनी रकम वसूल (रिकवर) हो चुकी है तथा कितनी बाकी है?

उत्तर

(अ) हिरणी ढाणी ग्राम सेवा सहकारी समिति ने अब तक १९,५३०) रु० का ऋण वितरण किया।

(ब) अब तक १९,०३०) रु. वसूल हो चुके हैं और ५००) रु० बाकी हैं।

सांचोर क्रय-विक्रय सहकारी समिति का ऑडिट

५८. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर क्रय-

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
विक्रय सहकारी समिति का पिछले तीन सालों से कोई ऑडिट नहीं किया गया है? अगर हां, तो क्यों?

(२) क्या यह सत्य है कि एक क्रय-विक्रय सहकारी समिति का ऑडिट साधारणतया सालोसाल हो जाना चाहिये?

(३) क्रय-विक्रय सहकारी समिति, सांचोर का अब ऑडिट कब तक हो जावेगा?

(४) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति, सांचोर के पास पर्याप्त मात्रा में धन न होने से सरकारी नियंत्रित वस्तुओं का क्रय-विक्रय करने में समिति को कठिनाई उठानी पड़ती है? अगर हां, तो सरकार भविष्य में उपरोक्त सहकारी समिति को सहायता देने के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(५) सांचोर क्रय-विक्रय सहकारी समिति का एम. सी. एल. कब तक फिक्स कर दिया जावेगा? अब तक फिक्स क्यों नहीं किया गया है?

उत्तर

(१) जी नहीं, ऑडिट वर्ष १९६३–६४ तक का हो चुका है।

(२) जी हां।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि समिति का वर्ष १९६३–६४ तक का ऑडिट हो चुका है।

(४) जी नहीं। हाल ही में समिति की मांग के अनुसार ३०,०००) रु० केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जालौर द्वारा समिति को उपलब्ध कराया गया है और समिति ने इस सम्बन्ध में विभाग को कोई कठिनाई की जानकारी नहीं कराई है।

(५) समिति का एम.सी.एल. प्रति वर्ष समिति की साधारण सभा द्वारा निश्चित किया जाता है तथा रजिस्ट्रार से उसकी स्वीकृति ली जाती है। समिति से आवेदन-पत्र आने पर समिति की एम.सी.एल. की स्वीकृति दिये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

मांझी चर्म उद्योग सहकारी समिति (डेगाना)

५९. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मांझी चर्म उद्योग सहकारी समिति (डेगाना) का रजिस्ट्रेशन कब हुआ? तथा इसकी हिस्सा-पूंजी कितनी है व कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? अब तक इस समिति को कुल कितना ऋण मिला है?

उत्तर

मांझी चर्म उद्योग सहकारी समिति (डेगाना) का रजिस्ट्रेशन दिनांक २९–५–५७ को हुआ। समिति की हिस्सा पूंजी २०६०) है एवं सदस्यों की कुल संख्या ४३ है; समिति को अब तक कोई ऋण नहीं मिला है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति व अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रावास

६०. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कहां कहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अन्य

(श्री जयनारायण सालोदिया)
पिछडी जातियों के छात्रावास समाज कल्याण विभाग द्वारा व अन्य संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं और उनमें कितने २ लड़के लड़कियां हैं? छात्रावासों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सच है कि हर साल गर्मियों की छुट्टियों के बाद सारे स्कूल, कॉलेज १ जुलाई को खुल जाते हैं पर छात्रावास आम तौर पर १५ या २० जुलाई तक खुलते हैं जिससे बाहर के लड़के लड़कियों को या तो इतने रोज गैर-हाजिर रहना पड़ता है या अन्य कहीं रहने खाने का प्रबन्ध करना पड़ता है, जिससे उनको काफी परेशानी होती है?

उत्तर

(१) राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, विमुक्त जातियों के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा जो छात्रावास चलाये जाते हैं उनकी नामवार सूचियां क्रमशः अ, ब, स, सदन की मेज पर रख दी गई हैं। उनमें स्वीकृत छात्र-छात्राओं की संख्या अंकित है। स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा इन वर्गों के लिये जो छात्रावास चलाये जाते हैं उनकी सूची 'क' और 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है। इनमें स्वीकृत छात्र छात्राओं की संख्या अंकित कर दी गई है। राजकीय छात्रावासों से एक जौलाई, ६५ से कितने छात्र-छात्राओं को राजकीय छात्रावासों में प्रवेश दिया गया है उसकी सूची 'ग' सदन की मेज पर रख दी गई है। अन्य छात्रावासों की छात्र-छात्राओं की संख्या अभी तक एकत्रित नहीं हो पाई है।

(२) इस कार्यालय के पत्र संख्या एफ-६(१)हि।वि। सविल-६५।७६८१७ दिनांक १८-२-६५ के द्वारा समस्त समाज कल्याण अधिकारियों को यह आदेश दे दिया गया है कि जिस दिन स्कूल एवं कॉलेज खुले और स्कूल में प्रवेश मिल जावे उसी दिन से पुराने सब छात्रों को छात्रावास में प्रवेश देकर उनके लिये भोजन व अन्य व्यवस्था कर दी जाय। नये छात्रों को भी स्कूल में प्रवेश पाने के पश्चात् शीघ्र छात्रावासों में भर्ती कर लिया जाता है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

टेक्निकल कॉलेज होस्टल में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्थान

६१. **श्री रावतराम** (सादूलपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक २५–२६ अप्रेल, ६५ को उदयपुर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के विधान सभाई सदस्यों तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक हुई थी? यदि हां, तो उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये थे उनकी एक संक्षिप्त सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(२) जो निर्णय लिये गये थे उनके संबंध में विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है और चालू साल में क्या करने का विचार है? कृपया संक्षिप्त जानकारी दें।

(३) क्या यह सही है कि टैक्निकल कॉलेज होस्टल में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये स्थान सुरक्षित करने का सरकार विचार कर रही है?

Page No 39

(श्री रावतराम)

(४) क्या यह सही है कि वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है और छात्र होस्टल का खर्च नहीं उठा सकते ? यदि हां, तो क्या सरकार इन जातियों व छात्रों को पूरा खर्च देकर कॉलेज होस्टल में रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

तहसील सराड़ा में आदिवासी ब्लॉक

६२. **श्री देवीलाल** (सराड़ा-सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में कितने प्रतिशत लोग आदिवासी हैं ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील सराड़ा में इस वर्ष सरकार ने आदिवासी ब्लॉक खोलने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो आदिवासी ब्लॉक कब तक खोला जायेगा ?

उत्तर

(१) जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की संख्या ५०.४१ प्रतिशत है।

(२) जी नहीं।

कोटा जिले के समाज कल्याण विभाग में शिड्यूल्ड कास्ट के कर्मचारियों की संख्या

६३. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां–सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा जिले में समाज कल्याण विभाग में कुल कितने कर्मचारी राज्य सेवा में हैं ?

(२) इनमें से कितने शिड्यूल्ड कास्ट के व कितने पिछड़ी जाति व कितने अन्य हैं ?

उत्तर

(१) कोटा जिले में समाज कल्याण विभाग में ६३ कर्मचारी राज्य सेवा में हैं।

(२) कुल कर्मचारी और उनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारी जिन श्रेणियों में कार्य कर रहे हैं उसकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

ग्राम तिलांजू, तहसील मालपुरा में खादी भंडार

६४. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम तिलांजू, तहसील मालपुरा में सन् १९५४ से खादी भण्डार खुला हुआ था और वहां के खादी बुनकरों एवं किसानों को काफी लाभ हुआ था, मगर बगैर किसी कारण के १९६१ में वहां से ही नहीं बल्कि पास के तमाम खादी भण्डार, पंवालिया, मोर व भांवता आदि भी उठा दिये गये, जिससे बुनकरों ने बड़ी तादाद में काम करना बन्द कर दिया और जिससे खादी उद्योग को काफी नुकसान पहुंचा तथा साथ ही किसानों एवं बुनकरों को भी आर्थिक हानि हुई ? यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार वहां खादी भण्डार वापिस खुलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

तिलांज, पांवलिया, भावंता में सन् ५४ में कोई खादी भण्डार नहीं था। मालपुरा

(श्री खादी ग्रामोद्योग मंत्री)

केन्द्र पर ही बिक्री का कार्य होता था। वर्तमान में पांवलिया में खादी का उत्पादन उपकेन्द्र चल रहा है और वहां से ही खादी बिक्री का कार्य होता है। यहां से ही मोर व तिलांजू, भांवता की कतवारियां काम लेती हैं। इससे बुनकरों और खादी उद्योग को आर्थिक हानि नहीं हुई है। तिलांजू और भांवता बहुत ही छोटे गांव हैं इसलिये वहां उत्पादन और बिक्री केन्द्र खोला जाना सम्भव नहीं है।

जिला सवाई-माधोपुर में अनुसूचित जाति के लोगों को मकान व कुएं बनाने हेतु दी गई धन-राशि

६५. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन-सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला सवाई माधोपुर में सन् १९६२ से १९६५ तक कुल कितनी कितनी धन-राशि, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को मकान व कुएं बनाने हेतु दी गई ?

(२) इस अवधि में उक्त कार्यों हेतु कितनी धन-राशि स्वीकृत थी ?

उत्तर

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला सवाई माधोपुर में सन् १९६२ से १९६५ तक कुल जितनी धन-राशि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लोगों को मकान व कुऐं बनाने हेतु स्वीकृत की गई है और उसमें से जितनी धन राशि उक्त कार्यों के लिये दी गई है उसकी तालिका (अ) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(ब) नगरपालिका क्षेत्र में उक्त काल में मेहतरों के लिये मकान बनाने हेतु जो धन-राशि स्वीकृत की गई और उसमें से उन कार्यों पर धन-राशि व्यय की गई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को नगरपालिका क्षेत्र में इस कार्य के लिये कोई सहायता नहीं दी गई है।

(२) स्वीकृत की गई धन-राशि उपरोक्त तालिकाओं में अंकित कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूरू में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास

६६. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चूरू में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावास में छात्रों की संख्या क्या है? क्या छात्रों के रहने के लिये वहां के भवन काफी हैं? यदि नहीं, तो स्थान वृद्धि के लिये क्या किया जा रहा है?

(२) इस छात्रावास पर सालाना खर्चा क्या है?

(३) क्या इस छात्रावास में सरकार छात्रों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?

(४) क्या यह सही है कि इस छात्रावास में बिजली व पानी की समुचित-व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो सरकार इस कमी को भी दूर करने का विचार रखती है?

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

उत्तर

(१) चूरू छात्रावास में छात्रों की संख्या ४० थी। दिनांक २८-८-६५ से छात्रावास में १५ छात्रों की संख्या और बढ़ाई गई है और इस प्रकार ५५ हो गई है। छात्रों के रहने का भवन पर्याप्त नहीं है; इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

(२) इस छात्रावास में सालाना खर्च लगभग १९२५० रुपये हैं।

(३) दिनांक २८-८-६५ से इस छात्रावास में १५ छात्रों की संख्या और बढ़ा दी गई है।

(४) पानी की समुचित व्यवस्था है। बिजली की व्यवस्था के लिये कार्यवाही की जा रही है।

भरतपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल के लिये भवन

६७. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास-सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल के लिये कोई भवन नहीं है और स्कूल के विद्यार्थी खुले बरामदे में ही पढ़ाये जाते हैं ?

(२) क्या सरकार इसके लिये कोई उचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ताकि अलग अलग कक्षाओं में विद्यार्थी अलग अलग बैठ कर विद्या अध्ययन कर सकें ?

उत्तर

(१) जी हां। स्कूल किराये के मकान में चलता है।

(२) जी हां।

भरतपुर समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में पानी की व्यवस्था

६८. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास-सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर के समाज कल्याण छात्रावास में पानी के नल लगाने का कार्य पूरा हो चुका है लेकिन उनमें पानी अब तक नहीं मिल सका है ? यदि हां, तो नलों में पानी मिलने की व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

उत्तर

भरतपुर छात्रावास भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है। उनसे बात-चीत चल रही है।

भरतपुर समाज कल्याण छात्रावास में बिजली की व्यवस्था

६९. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास-सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर समाज कल्याण छात्रावास भवन में बिजली की व्यवस्था नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि इस भवन के पास ही बिजली की लाइन उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें बिजली की व्यवस्था

(श्री सांवलियाराम)

करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। भवन पी० डब्लू० डी० विभाग का है। जिसे बिजली का स्थायी फिटिंग कराने के लिये कहा गया है क्योंकि नियमानुसार शहर में ए० सी० करेन्ट लागू होने पर यह आवश्यक हो गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि अब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने इस भवन में बिजली का स्थायी फिटिंग करा सकेगा।

जयपुर नगरपरिषद् क्षेत्र में लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिस के द्वारा अवाप्त की गई भूमि

७०. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर नगरपरिषद् क्षेत्र में सन् ५७ से लेकर अब तक किस किस वर्ष में नगर विकास मण्डल तथा उद्योग विभाग की मांग पर किस किस कार्य के लिये किस किस खसरा नं० की भूमि लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिस के द्वारा अवाप्त की गई?

(ख) किस किस खसरा नं० की कितनी कितनी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही चालू है?

(ग) किस किस खसरा नं० की कितनी कितनी भूमि पर नगर विकास मण्डल तथा उद्योग विभाग का अधिकार हो चुका है?

(घ) किस किस खसरा नं० की कितनी कितनी भूमि के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही बन्द की गई और क्यों? कृपया भूमि के मालकान के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(क) तालिका संलग्न है।

(ख) तालिका संलग्न है।

(ग) तालिका संलग्न है।

(घ) तालिका संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

माउन्ट आबू, नगरपालिका द्वारा नक्की झील पर प्लॉट्स

७१. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंहनगर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) माउन्ट आबू नगरपालिका द्वारा वर्ष १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२, १९६२-६३, १९६३-६४ व १९६४-६५ में नक्की झील पर कितने प्लॉट्स किस किस व्यक्ति को कब कब दिये गये?

(२) उपरोक्त प्लॉट्स दिये जाने के आधार, नियम एवं शर्तें भी बताने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) संलग्न सूचियां अंकित कर दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 43

उदयपुर अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट

७२. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या मन्त्री, टाउन प्लानिंग विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

उदयपुर अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कब बना? इस ट्रस्ट के वर्तमान एग्जीक्यूटिव इंजिनियर कौन हैं व उनकी उम्र क्या है, व वे इस पद पर कितने अर्से से कार्य कर रहे हैं? इनको सर्व प्रथम किस पद पर व किस साल में नियुक्त किया गया था?

उत्तर

अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, उदयपुर १ नवम्बर, १९६० को बना था। अधिशासी अभियन्ता श्री छैलबिहारीलाल माथुर हैं। उनकी उम्र ३३ वर्ष है तथा वे इस पद पर ३० जनवरी, १९६४ से कार्य कर रहे हैं। सर्व प्रथम २८-५-१९५५ को जूनियर इन्जीनियर के पद पर नियुक्त हुए।

(१२.३० म. प.)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

(क) याचिका समिति का तृतीय प्रतिवेदन

श्री अनोपसिंह (सचिव, विधान सभा) : महोदय, मैं, याचिका समिति के तृतीय प्रतिवेदन को, जो दिनांक ३ मई, १९६५ को विधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका था तथा जिसके मुद्रण, प्रकाशन अथवा परिचालन के आदेश भी राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २०५ के अन्तर्गत दे दिये गये थे सदन की मेज पर रखता हूं।

(ख) राजस्थान राज्य विद्युत् बोर्ड के लेखाओं (१९६० से १९६२) सम्बन्धी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, इण्डियन विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ की धारा ६९ (५) के अन्तर्गत, राजस्थान राज्य विद्युत् बोर्ड के वर्ष १९६०-६१ तथा १९६१-६२ के लेखाओं के सम्बन्ध में लेखा परीक्षण प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी तथा वैधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६५

(पुरःस्थापित)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी तथा वैधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

आज की कार्यवाही विषयक अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है अब अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर अग्रेत्तर विचार होगा। अभी तक दो मांगें पास हो पायी हैं। अब मांग सं० १९

(श्री अध्यक्ष)

पर वाद-विवाद होगा। यह बहस २।। बजे तक चलेगी। उसके पश्चात् विनियोग विधेयक पुरःस्थापित होगा और उस पर विचार किया जावेगा। अतः माननीय सदस्य इस समय को ध्यान में रख कर बहस करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मांगों पर विचार हो सके और २।। बजे पश्चात् सारी मांगों पर बाकी की कार्यवाही की जावेगी।

(१२.३३ म. प.)

बाड़मेर क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा युद्धबन्दी का उल्लंघन विषयक

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर के सम्बन्ध में जिस प्रकार की अफवाहें चल रही हैं उससे जनता में एक प्रकार का भ्रम है। अपने सोर्सेज़ से कई जानकारियां मिल रही हैं। किसी भी भ्रामक बात के निवारणार्थ सरकार की ओर से जनता को जानकारी मिलनी चाहिये ताकि जनता को मालूम हो सके कि किस प्रकार पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं का वायोलेशन किया है और सीज़-फायर का वायोलेशन किया है, किस प्रकार इन्ट्रूडर्स आये हैं और उनको वहां से भगाया गया है। मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसा गोपनीय प्रश्न नहीं है कि जिसमें हाउस को कॉन्फिडेन्स में लेकर सारी चीज़ों की जानकारी नहीं कराई जा सके। अच्छा होता कि पाकिस्तान के उन क्लेम्स को और भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सीज़ फायर वायोलेशन्स की शिकायत की है कि पाकिस्तान ने किस प्रकार वायोलेशन्स किये है, उनके सपोर्ट में विधान सभा में कोई ऐसी जानकारी भारत सरकार के उस पत्र को सब्स्टेन्शियेट करके, डिटेल्स में सरकार की ओर से कराई जाय तो बहुत कुछ भ्रम का निवारण होगा। बाड़मेर की सिक्योरिटी की अल्टीमेट रेस्पोन्सिबिलीटीज़ राजस्थान सरकार की हैं और बाड़मेर में इस प्रकार की चीज़ हो तो सारे के सारे व्यक्ति इससे कन्सर्न्ड होते हैं। इसलिये इसके सम्बन्ध में सरकार की ओर से आज वक्तव्य दिया जाय और आगे भी जो डेवलपमेन्ट्स प्रतिदिन होते रहते हैं उनके विषय में इस सदन को कॉन्फिडेन्स में लेने की चेष्टा की जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी ने कल सदन के विभिन्न दल के नेता और प्रतिनिधियों की अनौपचारिक बैठक बुलायी थी। माननीय सदस्य उसमें उपस्थित नहीं थे। इसलिये या तो शंकाओं का निराकरण करना चाहिये; इन प्रश्नों पर आगे किस हद तक विचार किया जाय उस सम्बन्ध में कार्य सलाहकार समिति की बैठक है आज उसमें और विचार किया जा सकता है। जिस प्रकार विचार होगा उसी प्रकार आगे कार्यवाही की जावेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, कल सिविल डिफेन्स के बारे में चर्चा हुई थी। भैरोंसिंहजी ने जो प्रश्न उठाया है वह दूसरी प्रकार का है।

श्री अध्यक्ष: कल जो कुछ भी विचार हुआ है अब उस सम्बन्ध में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १६-पशु-पालन

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन के सम्बन्ध में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७१,६४,०००) रु. की राशि और प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) :

१. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भेड़ प्रजनन फार्म की अव्यवस्था बाबत बहस करने के लिये) ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :

२. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला जालौर में भेड़ अभिजनन में सरकार की उदासीनता के सम्बन्ध में बहस करने के लिये)।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) :

३. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डेरी विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

४. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के भेड़ प्रजनन फार्मों की अव्यवस्था पर बहस करने के लिये)।

श्री गणपतिलाल वर्मा (मान्डलगढ़) :

५. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भेड़ पालन व्यवस्था में सुधार करने हेतु, पर बहस करने के लिये)।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) :

६. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार के पशुपालन विभाग की कार्य शिथिलता पर बहस करने के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) :

७. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सूकर पालन में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) एवं
श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) :

८. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ऊन की खरीद में गड़बड़ी पर चर्चा के लिये) ।

९. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त प्रबंधित क्रेश प्रोग्राम के अंतर्गत भेड़ प्रजनन विषयक बातों की कार्यान्विती करने की सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

१०. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुक्कुट खरीद व सूकर पालन में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा)

११. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सूकर विकास परियोजना पर किये ६.५० लाख तथा गाड़ियों की खरीद तथा रिफ्रेजेरेटेड वान आदि की खरीद पर १.९१ लाख के खर्च में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

१२. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुक्कुट शालाओं के विकास पर किये गये अपव्यय पर चर्चा के लिये) ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) :

१३. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले में कुक्कुट पालन में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेंगू) :

१४. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सूअर पालन पर धन का दुरुपयोग किया गया, इस पर चर्चा के लिये) ।

१५. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ऊन खरीद में धन का दुरुपयोग होता है, उस पर चर्चा के लिये) ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

१६. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुक्कुट पालन में धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

१७. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा अलवर से डेयरी फार्म हटाने के गलत फैसले पर चर्चा के लिये) ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) :

१८. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ऊन की खरीद के सम्बन्ध में व्याप्त घोटालों पर चर्चा के लिये) ।]

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

श्री चन्दसिंह बर्फा ।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जिस मांग पर आज बहस की जा रही है उसमें प्रभारी मंत्रीजी ने ७१.६४ हजार रुपये की डिमान्ड की है । हमारी राजस्थान की उपज में ऊन एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और ऊन के संबंध में कितना ही धन व्यय करें वह मेरी राय में बहुत कम है । इसमें मैं माननीय मंत्रीजी से आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष रूप से इस व्यवसाय की प्रगति करने में बहुत सतर्कता बरतनी अनिवार्य है । यह एक ऐसी वस्तु है जिसमें बहुत ही जल्दी उतार और चढ़ाव आता रहता है और उतार और चढ़ाव को हमें पूर्णतया ध्यान में रखना एक तरह से अनिवार्य है । इस विभाग में आज इसकी ओर की जाने वाली कार्यवाही बहुत कम है । क्या मंत्री महोदय इस संबंध में कोई ऐसा जरूरी कदम उठायेंगे कि जिससे प्रथम तो

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)

बिना धोई हुई ऊन का कतरण नहीं करे। बिना धोई हुई ऊन जो हमारी बेश-कीमती धन है; उसका मूल्य पूरा नहीं मिल पाता है। सरकार की ओर से शियरिंग शेड्स बताये गये वे अपर्याप्त हैं। जब यह विभाग पशुपालन विभाग के अन्तर्गत था तो कई जगह शियरिंग शेड्स बन गये थे। तब से आज तक उनका उपयोग नहीं हो रहा है। मंत्री महोदय स्वयम् जानते होंगे, बिलाड़ा और भावी के बीच में शियरिंग शेड्स बने हुए हैं, भवन हैं लेकिन कतरण के लिये एक भी भेड़ नहीं आती है। उनका दुरुपयोग होता है। केवल भवन दिखते रहें, यह उचित नहीं है।

इसके साथ साथ भेड़ प्रजनन केन्द्र जोधपुर और जैसलमेर में हैं, जहां पर कि हमारे विभाग की ओर से काफी खर्चा हो रहा है, मगर जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे के उपलक्ष में जो इन्कम हो रही है वह बहुत कम है। भेड़ प्रजनन केन्द्र में सरकार ने यह व्यवस्था अवश्य की है उनके चरागाह के लिये घास, दाना-चारा पैदा करने के लिये कुछ फार्म्स और जमीन मुकर्रर कर रखी है जो अपर्याप्त है। जोधपुर में १५० बीघा का एक फार्म है उस फार्म में जो घास, दाना आदि पैदा होता है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं होता इसलिये सरकार को ठेकेदारों से वह खरीद करना पड़ता है और उसका ज्यादा पैसा देना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस फार्म के लिये क्षेत्रफल कायम कर रखा है वह अपर्याप्त है और इसलिये वहां जो घास-दाना पैदा होता है वह कम पड़ता है, इसलिए इसको बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। क्योंकि ठेकेदारों की जेब में पैसा जाता है वह ज्यादा होता है इसलिये अपने स्वयं के साधनों से ही प्रजनन केन्द्रों की सुरक्षा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन प्रजनन केन्द्रों में भेड़, मेंढे वगैरह लिये जाते हैं; उसमें विशेष रूप से देखा गया है कि जो मेंढे लिये जाते हैं वे वहां की जलवायु के अनुकूल नहीं होते हैं, सलिये मेंढे खरीद करते समय जलवायु की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, वे उस क्षेत्र के लिये उपयोगी हैं या नहीं, व ले लिये जाते हैं, इसलिये उनके अनुकूल वहां की जलवायु न होने से वे जल्दी मर जाते हैं। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया जहां तक हो सके अच्छी नस्ल के मेंढे दिये जायं और उस क्षेत्र की जलवायु जिनको अनुकूल हो इसी प्रकार के मेंढे दिये जायं ताकि वे अधिक उपयोगी साबित हो सकें।

जो मेंढे खरीद किये गये हैं उनमें से आधे से ज्यादा खत्म हो गये हैं। मेरी राय में इस तरह से जो नस्ल सुधार करने जा रहे हैं उससे पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं हो रहा है। इस संबंध में जो मेंढे जिन शेफर्ड्स को दिये गये हैं उनमें से एक भी मर जाय तो उसका कान काट कर विकास अधिकारी के पास या ए. एच. ओ. के पास ले जाना होता है। इस तरह से उस कान काटने का सदुपयोग और दुरुपयोग भी हो सकता है। खास तौर से ग्राम सेवक या सरपंच महोदय होते हैं वे उसकी तस्दीक अवश्य करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा सरपंच जनता का प्रतिनिधि होता है उस हैसियत से जो कुछ करता है वह ठीक है, उस पर हम विश्वास भी करते हैं, वे जनता के प्रतिनिधि हैं इस हसियत से वे तस्दीक करते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)
अपना ग्राम सेवक है और सरकारी एजेन्सी है उसके जो अधिकारी हैं, जो वहां उपलब्ध होते हैं, ए० एच० ओ०, कम्पाउन्डर्स, उनकी तस्दीक को मान्यता दी जाय ।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि घेटों की बीमारी की रिपोर्ट विकास अधिकारी, ए० एच० ओ० के पास जाती है, वे उस स्थान पर पहुंचते हैं दूसरे दिन या तीसरे दिन, इस प्रकार इस अवधि में बीमार घेटा खत्म हो जाता है। उसके लिए चिकित्सा की सुव्यवस्था नहीं; इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस दिशा में जरूर ऐसे साधनों को जुटायें जिससे सन्तोष मिल सके ।

इसके अलावा जो बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इनकी भेड़ जितनी कोमल होती हैं उतनी ही उनकी जिन्दगी और दिल कोमल होता है । जो रेबारी उनको चराने जाते हैं वह उनका धूप का ख्याल रखते हैं, उन पर धूप होती है तो उन पर छाया की जाती और जिस प्रकार की उनकी होबी होती है उसी होबी के अनुसार उनको चराते हैं । कहीं कोई ऐसा नहीं करता कि उनको धूप में ही लेकर चराने के लिये रवाना हो जाय । इस विभाग का मुझे अनुभव है सन् ४७ तक मैं इस विभाग में था। चपरासी जो काम करते थे आज वे लरडियां चराने जा रहे हैं, मेंढे चराने जा रहे हैं। क्यों नहीं इस प्रकार के धन्धे के लिये शेफर्ड्स रखे जायं हमको तो पढ़े-लिखे आदमी चाहिये, मास्टर शेयरर जो आदमी हैं वे विभाग में काम करते हैं। अब तो इस विभाग का काफी एक्सटेन्शन हो गया है, फोर्थ क्लास सर्वेन्ट स्टेट के समय में जो ग्रेडर का काम करते थे उनके लिये ऐसी नीति निर्धारित कर दी जाय कि वे इस कार्य को सतर्कता पूर्वक कर सकें और हमारे विभाग का भी काम चल सके ।

तीसरी बात जो मेरे ध्यान में आयी है वह यह है कि ऊन की खरीद का धन्धा सरकार ने किया, मैं इसकी सराहना करता हूं । करीब साल दो साल पहले जब यह ऊन का विभाग पशु-पालन विभाग के साथ था एक संघ बनाकर के काम चालू करने का था, लेकिन आजकल सरकार पर्चेजिंग से लेकर वार्शिग आदि तक सारा काम अपने हाथ से कर रही है। जो इस ओर कदम उठाया है, उस कदम की मैं सराहना करता हूं ।

होता क्या है कि अभी अभी हमने देखा, कॉम्पीटीशन रखा गया जिस सेन्टर से, जिस सर्किल से ज्यादा ऊन खरीदी जायगी उसको पारितोषिक दिया जायगा; यह कदम सराहनीय है, इसमें दो राय नहीं । लेकिन मुझे डर है कि जब सहकारी विभाग के सामने सहकारी आन्दोलन को पनपाने का सवाल आया, जो टार्गेट अचीव करना था इस मामले में उसको लेकर नतीजा क्या हुआ कि बोगस कार्यों का नम्बर बढ़ता गया । अगर हम पारितोषिक देने की जो नीति है उसको ठीक प्रकार से कायम नहीं कर सके तो मुमकिन है कि इसमें घोटाले होने की सम्भावना है । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रति वर्ष में हमें ऊन की खरीद में घाटा होता है। मैं यह मानता हूं कि इसके भाव उतरते और चढ़ते रहते हैं, फिर भी इसमें सतर्कता बरती जानी आवश्यक है । आप इस विभाग को जितना ज्यादा बढ़ावा दें उतना ही अच्छा है । यह ऊन हमारे देश की सम्पत्ति है, यह यहां कि पैदावार है इसमें सुधार हो, जहां

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)
पाश्चात्य देशों में जाकर हमारी इस ऊन के गलीचे आदि बनाये जाते हैं; हम अपने ही देश में इस ऊन का अच्छा और सदुपयोग कर सकें, यह हमारी नीति होनी चाहिये

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह ।

श्री अमरसिंह (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संकटकालीन स्थिति में आज हमारा देश गुजर रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं सरकार के समक्ष कुछ मांग नहीं रखूंगा जिससे कि किसी प्रकार की अड़चन पैदा हो । मैं सरकार का ध्यान एक समस्या की ओर रखना चाहूंगा जिससे सरकार के कार्य में किसी प्रकार की रुकावट आने वाली नहीं । वह समस्या यह है कि दुर्भाग्यवश इस साल भी हमारे बाड़मेर क्षेत्र में एक वर्षा की कमी के कारण, फसल लेट होने के कारण और वर्षा बहुत समय तक नहीं होने के कारण बहुतायत क्षेत्र के अन्दर फसल नष्ट हो गई······

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर माननीय सदस्य दुर्भिक्ष के बारे में कहना चाहते हैं तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल सम्बन्धी मांग इसके बाद आने वाली है । अभी तो पशुपालन विभाग की मांग चल रही है, इसलिये माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में बाद में बोल सकते हैं ।

श्री अमरसिंह : मैं पशुपालन के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आपको पशुपालन विभाग के संबन्ध में कहना हो तो कहिये ।

पशु-पालन के बारे में बोलना चाहें तो अपने विचार रखें ।

श्री अमरसिंह : मैं अवश्य कहना चाहूंगा । पशुओं की स्थिति भी अकाल से बहुत संबंध रखती है ।

इस साल भी वर्षाभाव से अकाल की सी स्थिति समझिये । इससे चारे की कमी हो जावेगी । पशु-पालन का हमारा क्षेत्र है । उनको चारा देना हमारा कर्त्तव्य है । तो यदि ऐसी कोई जगह हम निर्माण कर सकें कि जहां चारा अधिक मात्रा में हो सके, जो उस इलाके में जहां बड़े बड़े झुंड के झुंड पशु पालन लोग करते हैं, उनको बड़ी राहत मिलेगी।

खास करके जैसलमेर और बाड़मेर के पशुओं को बचाने के लिये चारे का या चारे के किसी क्षेत्र का प्रबन्ध कराया जावे जहां वे माइग्रेट कर सकें तो यह अति उत्तम होगा ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मैंने प्रस्तुत मांग पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । जिला जालौर में भेड़ व ऊन के लिये काफी स्कोप है । इस जिले से अजमेर के व्यापारी ऊन कलेक्ट करके ले जाते हैं । पर वे उसकी बहुत कम कीमत उन भेड़-पालकों को देते हैं, इस ओर राज्य सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया है, जो उठाया जाना बहुत आवश्यक है ।

दूसरे, भेड़ सुधार के लिये भी सरकार ने पंचायत समितियों में कुछ एक्सटेन्शन ऑफिसर रक्खे हैं और इस ओर सरकार का ध्यान गया है । पर सक्रिय रूप से इस दिशा में जितना काम होना चाहिये वह नहीं हुआ है ।

पंचायत समितियों में कुछ घेटे रक्खे गये प्रजनन के लिये, अच्छी नस्ल पैदा करने के लिये, पर अधिकांश तो उनमें से बीमारी

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

के कारण मर गये । नमूने के तौर पर मैं पंचायत समिति, सांचोर की बात बताऊं । वहां रखे गये घेटों में से आधे से अधिक मर गये और समय पर वहां के अधिकारी उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पाये । जोधपुर से इन्जेक्शन लाकर लगाये भी पर तब तक तो काफी मर चुके थे । तो राज्य सरकार को इनकी बीमारी के बारे में काफी सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिये और उनकी चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध करना चाहिये ।

गांवों में भेड़पालक इत्तिला भी करते हैं बीमारी के बारे में, पर तुरन्त कोई ध्यान नहीं दिये जाने के कारण बहुत से जानवर मर जाते हैं ।

फिर एक बात और है, जालौर और जैसलमेर में, जहां भेड़ें अधिक हैं, उनकी चराई का प्रबन्ध न होने से दूर दूर तक घूमते रहते हैं । तो सरकार को उनकी चराई का भी उचित प्रबन्ध करना चाहिये । वे समय समय पर सरकार के सामने प्रतिनिधित्व भी इसके लिये करते रहे हैं । तो इस इतने बड़े महत्वपूर्ण उद्योग के लिये राज्य सरकार को सोचना चाहिये ।

शीप प्रजनन और शीयरिंग के लिये शेड्स भी बनाये जाने चाहिये ताकि आधुनिकतम तरीके से हम इस उद्योग को अच्छी से अच्छी हालत में ले जा सकें । इस दृष्टि से भी सोचना चाहिये ।

इन भेड़ पालकों के पास जमीन भी बहुत कम है तो उनको उपयुक्त जगह पर बसाना भी जरूरी है ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई की भी व्यवस्था हो सके । वे अपनी आमदनी भी बढ़ा सकें और आधुनिक तरीकों का लाभ भी ले सकें । इससे उनकी आमदनी डबल हो सकती है । और यह एक प्रमुख उद्योग राजस्थान का बन सकता है जैसा कि सरकार स्वयं समझती है और स्वीकार करती है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, पशु पालन के संबध में जो मांग रखी गई है उसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि पहले जहां पर शीप और वूल के संबंध में पंचायत समिति, आसींद में ७६ हजार और एक लाख के बीच संख्या बताई गई थी और इसके आधार पर एक्सटेन्शन आॅफिसर भी वहां रखा गया था उसको हटा दिया गया है, पर उसके स्थान पर पंचायत समिति में भी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की गई है; यह जरूरी है । इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये ।

इसके अभाव में जिस प्रकार से भेड़ों की मृत्यु होती है उससे इस उद्योग में काम करने वालों को बहुत हानि हो रही है । इनके इलाज के लिये और इनकी ब्रीड को सुधारने के लिये इस इलाके की इतनी बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार को उचित प्रबंध करना चाहिये; इससे सरकार को भी लाभ होता है । यह बहुत बड़े फोरिन एक्सचेंज का जरिया हो सकता है । इससे ऊन के उद्योग को बढ़ाने में भी सहायता मिल सकती है ।

हमारे उधर बहुत लोगों का उदर-पोषण का यही एक जरिया है । उनको इन सुविधाओं के अभाव में बहुत नुकसान होता है, आर्थिक दशा भी उनकी अच्छी नहीं होती । इसलिये इन बातों की ओर सरकार खास ध्यान दे । मुझे सरकार से इतना ही निवेदन करना है ।

Page No 51

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचंद सुराणा ।

(अनुपस्थित)

श्री ढाबरिया ।

(अनुपस्थित)

श्री जोधसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री चौसरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया ।

(अनुपस्थित)

श्री चौसरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री रामानंद अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री ज्वालाप्रसाद ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन (वैर) : फिर आप कहेंगे कि सहयोग नहीं देते सरकार को ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : जो आज हमारे प्रदेश की हालत है वह किसी से छिपी नहीं है; हमारा अधिकांश पशुधन चारे के अभाव में हर साल मरता जाता है । नस्ल के सुधार की भी समस्या हमारे सामने है ।

(१ म. प.)

खास तौर से चरागाह जो कि पशुधन के लिये बहुत आवश्यक हैं सारे के सारों पर या तो लोगों ने कब्जा कर लिया है या उन्हें अलॉटमेन्ट कर दिया गया है । खास तौर से प्रोजेक्ट एरिया के अन्दर चरागाह की भूमि को हमारी सरकार बेचती है । वहां पशुओं के चराने के लिये कोई स्थान नहीं है मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि कम से कम जब तक पशु अपना पूरा पेट नहीं भर लेते ह तब तक जो उत्पादन हम उनसे चाहते हैं वह कैसे हो सकता है ? इसके बारे में सरकार क्या सोचकर चलती है ? अगर सरकार मानती है कि जो भी पशुधन पालते हैं वह स्वयं उनके पेट भरें तो आज ऐसी स्थिति नहीं है । क्योंकि बहुत से लोग आज पशुधन के ऊपर आधारित होते हैं और वहां जगलों में रहते हैं और पशुओं के लिये कोई चरने के स्थान नहीं हैं, जो भी हैं उनके ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा है और इस प्रकार से जितने भी लोग पशुधन के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं उनके सामने काफी दिक्कतें आ रही हैं । इसलिये जहां चरागाह की भूमि थी और जो आपने पंचायतों को दी है उनके बारे में पंचायतों ने किसी प्रकार की बात न माकरन

Page No 52

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

सारे चरागाहों को आबाद कर लिया है। पंचायतों को कोई अधिकार नहीं है कि वे उनको रोक सकें। अगर कोई उनको कहता है या इसके लिए कलेक्टर को निवेदन करता है तो वे यह कहकर अलग हो जाते हैं कि हमने तो पंचायतों को दे दी। आज जितने भी चराने के स्थान थे वे सब खत्म होते जा रहे हैं और हमारे मवेशी भूखों मरते जा रहे हैं और खास तौर से जितनी बीमारियां होती हैं उनको भी रोकने में हमारी सरकार असमर्थ रही है। मैं बूंदी जिले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पाटन सेक्टर में एक डॉक्टर और एक कम्पाउन्डर ही है जो कि कभी कभी चैकिंग करते हैं और इसके अलावा वहां पूरे जिले में कहीं भी कृत्रिम गर्भाधान नहीं है, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम दो बातों का मुख्य ध्यान रखा जाये और ऐसा सेक्टर, जो कि विकास का सेक्टर है, वहां पर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र रखा जाये। साथ ही साथ चरागाह के बारे में, पशुओं के चराने की व्यवस्था के बारे में ध्यान रखें और जिन चरागाहों को नीलाम कर रहे हैं उसको रोकने की व्यवस्था करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय ....

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : मैं भी दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, बोलें।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने ४-५ गायों की नस्ल को माना है और मालवी नस्ल की गाय भी उनमें से एक है जो जिला झालावाड़ में ही मिलती है। इन गायों की नस्ल को सुधारने के लिये पंचायत समिति के द्वारा राजस्थान में तकावी भी दी जाती है और वहां के सांड अपने कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में भेजे जाते हैं। इसके लिए तो मैं सरकार को बधाई देता हूं। जहां तक मालवी गायों का संबंध है यह नस्ल केवल झालावाड़ में ही मिलती है और राजस्थान में झालावाड़ के अलावा कहीं नहीं मिलती है। उनके लिए जो सरकार को देख-रेख करनी चाहिए वह, मैं समझता हूं कि, पूरी तरह से नहीं हो रही है। कैटल ब्रीडिंग फार्म भी बनाने की कई समय से बात चल रही है लेकिन इसमें क्या हुआ है कि एनीमल हस्बेन्डरी ने यह कैटल ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिए पी. डब्ल्यू. डी. को पैसा ट्रांसफर कर दिया है। अब पी. डब्ल्यू. डी. कैटल ब्रीडिंग फार्म को नहीं बना पा रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एनीमल हस्बेन्डरी का कहना यह है कि उन्होंने तो पैसा ट्रांसफर कर दिया है और अब पी. डब्ल्यू. डी. कब काम पूरा करेगी इसका पता नहीं, तो मैं राजस्थान सरकार से कहूंगा कि इस काम को जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करें।

जहां तक पशु चिकित्सालयों का काम है राजस्थान सरकार ने इस इलाके में बहुत ही कम पशु चिकित्सालय खोल रखे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चिकित्सालय खोलें जाय और एक बात है अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार ने ऐसा नियम बना रखा है कि हर एक मवेशी को कम से कम आधा बीघा चरनोट की मिलेगी और जिस इलाके में यह मालवी नस्ल की गायें मिलती हैं वहां आधा

(श्री गोविन्दसिंह)

बीघा जमीन भी उनको नहीं मिलती है। सिर्फ ६॥ बीघा मिली हुई है और उसमें भी बहुत से आदमियों ने ट्रेसपास कर रखा है और उस भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है। इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्री-महोदय से निवेदन करूंगा कि वे राजस्व मंत्री जी को लिखें कि जो चरनोट की भूमि आधा बीघा मिलनी चाहिए वह पर्याप्त मात्रा में मिले और जो ट्रेस पासर्स हैं उनको वहां से हटाया जाय। अभी तक अध्यक्ष महोदय, वहां पर घास का बड़ा भारी अकाल पड़ा हुआ है और हजारों मवशी विना घास के मर गये हैं। राजस्थान सरकार से निवेदन किया है, कलेक्टर महोदय को भी कहा है, लेकिन कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। दुःख की बात है कि हजारों मवेशी मर गये। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जहां तक उनके चारे का प्रबन्ध है वह पर्याप्त मात्रा में उनको मिले और जो चरनोट आधा बीघा फी मवेशी मिलनी चाहिए वह उनको उपलब्ध होनी चाहिए और अधिक से अधिक चिकित्सालय खोले जायें। मैं निवेदन करूंगा कि मोवाइल डिस्पेन्सरी हो जिससे कि पशुओं की चिकित्सा का इन्तजाम हो। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह पशुधन आगे तरक्की कर सके इसके लिए विशेष ध्यान दें और जो पशु चिकित्सालय हैं और कैटल ब्रीडिंग फार्म हैं वे जल्दी से जल्दी बनायें और जो आपने मान लिया है इनको मंत्री महोदय जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा खोलने का प्रयत्न करें। वल्कि मैं तो यह निवेदन करूंगा कि एक-दो जगह और कैटल ब्रीडिंग फार्म खोले जायें ताकि और दूसरे जिलों को देने का निश्चय किया है वह नस्ल वहां पर भी पहुंच सके और इसका सदुपयोग हो सके। यही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (पशुपालन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस मांग में, जो मैंने सदन के सामने प्रस्तुत की है, करीब ७१ लाख रुपये की धनराशि की मांग की है। बजट के तुरन्त बाद काफी बहुत धनराशि के लिये इस सदन के सामने आना इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा राजस्थान पशु प्रधान प्रांत है और भारत सरकार ने भी हमारे प्रांत को इस दिशा में हमेशा काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस मद के नीचे जो मांगें मैंने रखी ह उनके कई कम्पोनेन्ट्स हैं। इसमें खास तौर से ५० लाख रुपये की धन-राशि भेड़ की ऊन खरीदने, काटने और मार्केटिंग के वास्ते मांगी है। जैसा सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है, राजस्थान के लिये भेड़ और ऊन एक महत्वपूर्ण विषय है और इसी बात को राज्य सरकार और भारत सरकार मानकर इनकी योजनाओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देती हैं और एक इंटीग्रेटेड वूल ग्रेडिंग और मार्केटिंग की योजना, जो कि सारे हिन्दुस्तान में अपनी तरह की पहली योजना है, को राजस्थान में लागू किया है।

इस योजना के नीचे राजस्थान के २६ जिलों को १४ रीजन्स में बांटा गया है और औसत तौर से ५ या ६ लाख भेड़ की जहां पापूलेशन हैं उसको एक रीजन माना है। इस प्रकार १४ रीजन्स में राजस्थान को विभाजन करने के बाद, राजस्थान में आठ नस्ल की जो अलग-अलग प्रकार की भेड़ें हैं और जिनके विकास और उनकी डेवलपमेन्ट की गुन्जाइश है, उनके लिये इस योजना में सारी बातों की व्यवस्था की गई है। हम अभी तक १४ रीजन्स में से १० रीजन्स में यह योजना लागू कर चुके हैं। १९६३-६४ में काम शुरू हुआ और उस साल में चार रीजन्स हमने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इस योजना के तहत लीं। १९६४-६५ में दो रीजन्स और १९६५-६६ में चार रीजन्स, इस तरह कुल मिला कर हमने दस रीजन्स इस योजना के तहत ली हैं और इसका फैलाव १० रीजन्स में हुआ है। एक रीजन के अन्दर कहीं दो और कहीं दो से अधिक जिले भी हैं भेड़ की आबादी के हिसाब से। अब हमारे पास केवल ४ रीजन्स बाकी रहती हैं। अगली साल इन चार रीजन्स को भी इस योजना के तहत ले लेंगे। इसके अन्दर २०० शीयरिंग शेड्स-कम-एक्सटेन्शन सेन्टर्स होंगे, जिनमें से १४५ अब तक खुल चुके हैं। जहां तीन साल पहले काम शुरू हुआ था वहां पर २५ प्रतिशत भेड़ को एडवांस बुकिंग के जरिये ऊन को धुलाकर शीयरिंग सेन्टर्स में काटने की व्यवस्था लागू कर दी गई है।

बाकी के जो चार नए लिए हैं उनमें दस प्रतिशत इस सीज़न के अन्दर कतरन करेंगे। वहां पर जो ऊन कतरी जायगी वह ग्रेडिंग सेन्टर, जो कि राजस्थान में ९ होंगे, उन ९ सेन्टरों के अन्दर उस ऊन को भेज दिया गया है। वहां पर उनका ग्रेडिंग होगा और फिर आखिर में राजस्थान के अन्दर जो ऊन बेचने की मण्डीज़ हैं, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में, वहां जाएगी। जो ऊन धुलकर, वर्गीकरण होकर, बेल्स बंध जाएगी तो उसका कैटेलोग विज्ञापन के रूप में सारे संसार के सामने, सारे विश्व के सामने, होगा। वह बीकानेर, जयपुर और जोधपुर की मण्डियों में भी होगा। इसका प्रदर्शन अभी कुछ ही दिनों पहले राजस्थान में किया था और उसको बहुत पसन्द किया गया है। जिस प्रकार का वर्गीकरण जो हिन्दुस्तान की मीलें हैं या जो कन्ज्यूमर्स हैं वे चाहते हैं, और ऊन के वर्गीकरण का जो वर्ल्ड वाइड तरीका है उसी के अनुसार यहां भी वर्गीकरण कराया गया है। जो हमारी इंडिया वूल मर्चेन्ट एसोसियेशन है, उसने भी हमारी वर्गीकृत ऊन को बहुत अच्छा समझा है और उसको खरीदा है। इस प्रकार देश के अन्दर भी जो मीलों की मांग थी कि अच्छा माल और व्यवस्थित रूप से मिले तो उनको भी इस योजना से काफी लाभ होगा। जैसा कि मैं समझता हूं, सदन को जनकारी होगी कि राजस्थान की ऊन जो आज तक अनग्रेडेड थी उसे मार्केट में, देश में, विदेशों में भेजी जाती थी, उसका कोई एक प्रकार का निश्चित स्टेण्डर्ड नहीं था। हिन्दुस्तान में यह कमी थी और उसी वजह से वर्ल्ड के अन्दर जो आज मार्केट दुनिया के दूसरे देशों का मार्केट है उनमें हिन्दुस्तान की ऊन के दाम और वैसे हिन्दुस्तान की अनग्रेडेड ऊन के नहीं मिलते थे। इसमें यहां के व्यापारियों को जितना लाभ मिलना चाहिए था वह भी नहीं मिल पाता था, इसका जो लाभ ब्रीडर्स को मिलना चाहिए था वह भी उनको नहीं मिल पाता था। इस योजना से न केवल राजस्थान के लोगों को बल्कि हिन्दुस्तान को भी बहुत लाभ मिलने वाला है, यह हिन्दुस्तान की इस प्रकार की पहली योजना है।

यहां पर हम जो भेड़ों का बुकिंग करते हैं तो उनको एक एक रुपया देते हैं भेड़ को कतराने के लिये और उनकी प्रिलिमिनरी ग्रेडिंग कराने के लिए, उसके बाद फाइनल ग्रेडिंग के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार राजस्थान की यह योजना महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के अन्दर राजस्थान में जिस तरह से और जिस तेजी से विभाग के लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वे लोग बधाई के पात्र हैं। काफी मेहनत विभाग के लोग कर रहे हैं अच्छी ट्रेनिंग के बाद में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जिस प्रकार की ट्रेनिंग की उनको जरूरत होती है उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है और जिस प्रकार के ग्रेडेड करने के लिए जितने ट्रेंड अधिकारियों की जरूरत होगी उनके लिये सारी पोस्टें कायम कर दी गई हैं और उसके लिये जितने अधिकारियों की, ट्रेंड अधिकारियों की जरूरत होगी उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह राजस्थान में आने वाले करीब दो सालों में हमारे यहां सब इलाकों में इसकी व्यवस्था हो जाएगी। अभी जालौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके जिले में, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, उसकी तरफ ख्याल नहीं किया जा रहा है।

मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं कि आपका जिला इस साल इस स्किम में शरीक कर लिया गया है। आपके जिले में दस प्रतिशत कतरन की व्यवस्था कर रहे हैं। पहला शियरिंग आपके यहां होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोगों को समझावें जो भेड़ पालन का काम करते हैं उन्हें। वे जल्दी से जल्दी अपने यहां इसकी को-ऑपरेटिव सोसाइटीज बना लें ताकि उन्हें इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। मैं आपके जरिए सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना से भेड़ पालकों को काफी फायदा मिलने वाला है और ऊन का भी अच्छा दाम उनको मिलने वाला है। हम जिलों के सेंटर्स पर, जहां पर कि कतरन करते हैं वहां पर एक कमेटी बनी हुई है तीन आदमियों की, जिसमें हमारे विभाग के सुपरवाइजर हैं, ऑडिट और अकाउण्ट्स के आदमी हैं और एक दो अधिकारी हैं, वित्त विभाग के भी हैं। वे लोग जो ऊन कतरी जाती है उसके दाम निर्धारित करते हैं मौके पर ही ऊन की किस्म को देखकर। इस तरह से ऊन के ग्रेडेशन से राजस्थान को ही नहीं देश को भी लाभ पहुंचेगा, देश का भी भला होगा।

राजस्थान की आठ नस्लें हैं भेड़ों की। उन भेड़ों का वर्गीकरण करने के बाद उनकी ऊन जो राजस्थान में करीब ३० प्रतिशत कार्पेट बनाने के काम में ही आती थी अब यार्न के काम में भी आएगी। इस तरह से देश की बहुत सी फोरिन एक्सचेंज जो खर्च होती थी वह काफी हद तक बच जाएगी, इससे राष्ट्र को, प्रान्त को और देश की इण्डस्ट्रीज़ को भी बहुत लाभ मिलेगा और इस प्रकार यह राजस्थान की अपने ढंग की पहली योजना है। इस प्रकार थोड़े में, संक्षेप में, मैंने इस भेड़ों की योजना को इस सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यहां रखा। इस योजना के लिए, ऊन खरीदने के लिए जो रुपया एडवांस करने के लिए चाहिए उसकी व्यवस्था के लिए इस मांग में व्यवस्था की गई है और मैं समझता हूं कि सदन को बहुत सहर्ष स्वीकार करना चाहिए।

इसके साथ साथ राजस्थान में, जैसा मैंने आपसे कहा कि भेड़ों के दृष्टिकोण से जैसे इस राज्य की महत्ता है उसी प्रकार इस राज्य के अन्दर मछली के विकास के लिए, दूध और गायों के विकास के लिए, पौल्ट्री जो कि आज के समय के लिए देश में सबसे अधिक खाने की जरूरत को पूरा करती है, उसके लिए भी कई प्रकार के प्रावधान इसमें हैं। पौल्ट्री के जो हमारे पास फार्म हैं उनके विकास के लिए भी इसमें रुपया मांगा गया है। यह सारे प्रोग्राम चौथी योजना के एडवांस एक्शन के रूप में हैं और कुछ क्रेश प्रोग्राम के रूप में

(श्री नाथूराम मिर्घा)

हैं। भारत सरकार की एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने अलग अलग राज्यों को कुछ योजनाएं प्रेषित की हैं और जिनको स्वीकार किया गया है, उसी के तहत खास तौर से एक बेकोन फैक्टरी अलवर में लगाने की योजना है। इस योजना के लिए धन मांगा गया है। इस प्रकार पोर्क और बेकोन की फैक्टरी अलवर में लगाने की योजना है। इससे राजस्थान के बहुत किसान, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं और जो अपनी आमदनी को निश्चित तौर से बढ़ाना चाहते हैं और देश की खाद्यान्न की समस्या को हल करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वे शूकर पालन करें। इस तरह की शूकर इन्डस्ट्री अमेरिका में और कई दूसरे देशों में हैं जो सबसे हैवी और पेइंग इन्डस्ट्री है। इसका जानवर जो सौ सवा सौ रुपये में आता है और जो छः महीने के अन्दर चार सौ, पांच सौ रुपया दे देता है। इस प्रकार छः महीने के अन्दर ही दो-ढाई सौ रुपये की आमदनी किसान को हो जाती है तो यह उसके लिए बहुत फायदे की चीज है। उसको खाने के लिए भी सबसे ज्यादा जो वेस्ट मैटीरियल हैं वह उस जानवर को खाने के लिए चाहिए। आपकी किसी प्रकार की झूठन हो या और भी किसी प्रकार की चीज, जिसे कोई भी जानवर नहीं खाता है, वही उसको डाल दीजिये, यह शूकर खा लेता है और इस प्रकार से शूकर पालन करने से किसान अपनी साइड इन्कम कर सकता है और देश की खाद्यान्न की समस्या भी हल हो सकती है। अलवर के अन्दर इस कारखाने को चालू करने जा रहे हैं जिसके नक्शे बन गए हैं। उसके लिए धन की व्यवस्था करने के लिए ही यहां राशि मांगी गई है। जो किसान इसमें इन्टरेस्टेड हों, मैं आपके मार्फत, उनको सूचित करना चाहता हूं कि वे शूकर पालन का काम करें जिससे उनको भी आमदनी हो और देश की खाद्यान्न समस्या भी हल हो सके।

इसी प्रकार मुर्गी पालन के फार्म को बढ़ाने के लिए, खर्चे की व्यवस्था के लिए मांग की गई है। इसी प्रकार से राजस्थान में कई ऐसे इन्लैण्ड वाटर्स हैं जिनके अन्दर मछली पालने का उद्योग अच्छी तरह से पनप सकता है। मैं समझता हूं कि मछली पालन, मुर्गी पालन, शूकर पालन आदि के लिए राज्य में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब के लिए ही, इनको रुपया एडवांस करने के लिए और क्रेश प्रोग्राम के लिए ही इस मांग के अन्दर धन-राशि की मांग की गई है।

मैं सोचता हूं कि जो खास तौर से झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य थे वे शिकायत कर रहे थे कि मालवी नस्ल की गायें अच्छी हैं, तो मैं खुद कह चुका हूं कि वे बहुत अच्छी हैं और उनका विकास होना चाहिए, उनके सांड होने चाहिए और दूध बढ़ाया जाना चाहिए। खास तौर से डेरी का धन्धा पनपाने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि चौथी योजना में खास तौर से डेजर्ट के इलाके हैं, उन इलाकों में दूध का धन्धा पनपे, दूध का रिटर्न ज्यादा मिले, उस दृष्टि से क्रीमरी लगाई जाय, दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए छोटे-मोटे उद्योग-धन्धे पनपाये जायं, इनकी सारी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम व्यवस्था करना चाहते हैं, जिनका कि इस मांग में प्रावधान है। मैं सोचता हूं कि एनीमल हस्बेन्ड्री के जितने सेक्टर्स हैं, मैंने कहा कि राजस्थान और राजस्थान के किसानों के लिए और देश के

(श्री नाथूराम मिर्धा)
खाद्यान्न की समस्या का हल करने के लिए वह महत्वपूर्ण योग हैं। उनके जरिये हम देश की खाद्य-समस्या को हल करना चाहते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मालवी नस्ल का फार्म खोल दिया है। पी० डब्लू० डी० को कहा था लेकिन वे मकान नहीं बना रहे हैं। उसकी सैंक्शन मौजूद है। खास तौर से पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर साहब उसी इलाके से हैं। उनसे आप कहिये कि वे फार्म का मकान जल्दी से बनवा दें और गायें रखने के लिए काम शुरू कर दें। मैं भी निवदन करूंगा कि जल्दी ही कार्यवाही की जाये।

हॉस्पिटल और बीमारियों के बारे में कुछ लोगों ने कहा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खास तौर से जानवरों के इलाज के बारे में ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था इन योजनाओं में करने की हमने कोशिश की है। हॉस्पिटल्स और डिस्पेन्सरीज जहां पर खोलने को थे वे इस साल के आखिर तक पूरे कर सकेंगे। राजस्थान की तहसील लेवल पर करीब-करीब सब इलाकों में बहुत से चिकित्सालय और डिस्पेन्सरीज़ खुल चुके हैं। कई जगह तो छोटे-छोटे स्थानों पर, पंचायत समिति के हैडक्वार्टर्स हैं वहां पर डिस्पेन्सरीज मौजूद हैं। अब तो टेक्निकल आदमियों की भी इस विभाग में कमी नहीं रही। उसको हम पूरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कम्पाउन्डर और डॉक्टर नहीं रहते। अगर वे बतायेंगे तो जानकारी करके जो व्यवस्था करने की आवश्यकता है, वह कर दी जायगी।

खास तौर से चराई के बारे में काफी कहा गया है। यह काफी गम्भीर समस्या है। मैं स्वयं इसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि आज जो कम्पीटिशन ह्यूमन पॉपूलेशन और एनीमल पॉपूलेशन के बीच में चल रहा है वह हिन्दुस्तान में ही नहीं ईस्ट की सारी दुनिया के इलाकों में चल रहा है। दोनो तरह ही की पापूलेशन इन्क्रीज हो रही है। लैण्ड पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। जब तक इस सारी समस्या को उनके बराबर के दृष्टिकोण को समझ कर उनका हल निकालने के लिए सम्पूर्ण तरीके का दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे तो वह केवल भाषण देने से नहीं निकल सकता है। क्योंकि जमीन के ऊपर जो प्रेशर है एक आदमी अपनी लिट्रेसी और ज्ञान के जरिये ज्यादा से ज्यादा उसका कैसे प्रयोग करे, कितनी जमीन जानवरों के पालने के लिए हो, कितनी जमीन खाद्यान्न के लिए हो, उसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी क्या है, इम्प्रूव्ड कृषि क्या है, इन सारी बातों का ज्ञान एक्स्टेन्शन के जरिये लोगों को देकर चराई की समस्या को हल कर पायेंगे। जमीन जो कि चरनोट में है उसको सम्हालने वाला कोई नहीं है। उन जमीनों के डेवलपमेंट का जिम्मा पंचायतों का रखा है तो उनके पास धन-राशि की व्यवस्था नहीं है, टेक्निकल नॉलेज की व्यवस्था नहीं है, कैसे डेवलपमेंट उनका किया जाय, कैसे उसका बैस्ट उपयोग किया जाय, कितनी जमीन उनको दी जाय, यह काफी बड़ी समस्या है। इन समस्याओं को हल करके देश की खाद्यान्न और पशुओं की चराई की समस्याओं को हल कर सकेंगे।

मैं सोचता हूं कि मैंने काफी इसके बारे में कहा है, जिसकी जरूरत नहीं है, थी वह भी मैंने कहा है, क्योंकि यह विषय महत्व का विषय है। दुर्भाग्य से जब कि हम ऐसे विषय पर विचार कर रहे हैं तो सदन खाली पड़ा है। मुझे अफसोस है कि लोग इन बातों की ज्यादा

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जरूरत है, उनमें कम रुचि लेते हैं। इसी खेद के साथ जो कुछ भी सज्जन यहां बैठे हुए हैं वे सहर्ष इस मांग को स्वीकार करेंगे और अपने कटौती-प्रस्तावों को वापिस लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सांचोर की जो ब्रीड है उसके बारे में कैटल ब्रीडिंग फार्म खोलने का राजस्थान सरकार का विचार है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा: चौथी योजना में सोचेंगे।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : राजस्थान सरकार ने गोचर भूमि के लिए प्रति पशु दो बीघा रखा है, तो क्या यह ठीक है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह रेवेन्यू से पूछिये।

श्री भीमसेन : आपका विभाग सिफारिश करता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : न मेरा विभाग सिफारिश करता है, न मेरी कोई सुनता है।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : वाशिंग पिट्स कितने बनेंगे ? कितने फासले पर वाशिंग पिट्स बनाने की योजना बनी है इस पर प्रकाश डालेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : योजना के अन्दर इस बात क मोडिफिकेशन्स कितन बनाये जाते हैं, कैसे बनाय जायं, ये बहुत मामूली बातें हैं और जिस प्रकार का मौका और जिस प्रकार की दिक्कतें आती हैं उनका हल करने के लिए उसी दृष्टि से पटर्न तय कर लिया जायगा।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा: शीप ग्रेडर की पोस्ट जो है वह महत्वपूर्ण है और बराबर शियरिंग करने में ऊन के अन्दर जो डस्ट होती है उसका उसके स्वास्थ्य पर असर होता है, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के लिए मैडिकल एड का प्रावधान रख रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ग्रेडर की पोस्ट का काम काफी डिफिकल्ट काम है। इस बात को राज्य सरकार ने खुद ने महसूस किया है, इसी वजह से ग्रेडर का ग्रेड बहुत अच्छा है। वह ११० से शुरू होता है और २३०--३५ तक चलता है, क्योंकि ८ घण्टे तक खड़े खड़े ऊन को हाथों से पकड़ पकड़ कर छान-बीन करता है। और उसमें से जो रेत निकलती है वह भी उसके ऊपर पड़ती है, लेकिन उसके लिए वे एप्रेन पहनते हैं और नाक के आगे भी बांध लेते हैं इस प्रकार का उनका प्रावधान है वे करते हैं। उनको खास तौर से २०) रु० स्पेशल पे दिया जाता है क्योंकि उनकी हार्ड ड्यूटी है। इसी वजह से उनकी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए २०) रुपये दिये गये हैं ताकि वे इन २०) रुपयों में से या दूसरे तरीकों से इन्तजाम करें।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं अगर इजाजत हो तो। अभी मालवी ब्रीड की बात हुई थी झालावाड़ में। तो कोटा में भी मालवी ब्रीड है, लेकिन वह चम्बल कमाण्डेण्ट एरिया है और उस एरिया में चम्बल से करीब करीब ११ लाख एकड़ की सिंचाई होगी और बारह महीनों तक वहां पर फसलें होंगी, तो जिस तरह के मवेशी मेन्टेन् किये जायेंगे उस तरहके मवेशी मेन्टेन करना वहां पोसिबिल नहीं होगा, क्योंकि छोटे मवेशियों को नहीं रख सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस एरिया के

Page No 59

(श्री जुझारसिंह)

लिए मालवी ब्रीड को एन्करेज करते हैं तो यह नस्ल चलने वाली नहीं है। इस लिए मेरा निवेदन है कि चम्बल एरिया में जहां कि इरिगेशन सिस्टम इन्ट्रोड्यूस हो गया है उसके लिए पॉलिसी को चेन्ज करके ड्यूअल पर्पज वाली ब्रीड जैसे हरियाणा ब्रीड है उसको इन्ट्रोड्यूस करेंगे जिसको कि कल्टीवेटर्स मेन्टेन कर सकें और उससे फायदा उठा सकें। जिस तरह से मालवी ब्रीड फैल रही है उससे चम्बल कमाण्डेन्ट एरिया में यह अनुभव आ रहा है कि मवेशी नहीं रख पा रहे हैं और उनको बेचते जा रहे हैं। मालवी ब्रीड को देते जा रहे हैं और आगे ५–१० साल में ऐसी परिस्थिति आयेगी कि यह ब्रीड सुपरफ्लुअस हो जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपकी चिन्ता की ओर जो बदली हुई परिस्थितियां हैं जिसमें आपने कहा कि १०–१२ लाख इरिगेशन होगा वह शायद गलत कहा है। उस सारे एरिया में साढ़े पांच लाख एकड़ में इरिगेशन होगा।

श्री जुझारसिंह : दूसरी भी नहरें हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : और बन्धों की बात अलग है। कुल मिलाकर ७ लाख से ज्यादा नहीं होगा। तो सारे इलाके में एनीमल हस्बैन्डरी के तरीके में परिवर्तन लाया जाय, इस बात को विभाग भी महसूस करता है। और इस दृष्टिकोण से हम कोटा इलाके में खास तौर से मिल्क ब्रीड को एन्करेजमेन्ट दिया जाय, उसके लिये इस ब्रीड को दूसरी के साथ क्रोस करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को दूध मिले, इस फॉर्मुला को अपनाना चाहते हैं। यह इलाका इरिगेटेड ज्यादा है, कुछ कैटल रख कर स्टाल फीडिंग बढाया जा सके, इस दृष्टिकोण से विभाग विचार कर रहा है और इसमें जो कुछ वहां का वायुमण्डल और परिस्थिति देखकर ठीक समझा जायगा वैसा परिवर्तन किया जायगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : गांवों में चरागाह बनाने के बारे में ....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जब भाषण दे रहा था तब आप बाहर पधार गये; मैं समझा रहा था उस समय आप यहां पर नहीं थे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : पौल्ट्री के लिये आप पर्सनल इन्टरेस्ट ले रहे हैं, उसके लिये बधाई है, लेकिन पिगरीज और फिशरीज के बारे में क्या कर रहे हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सब कुछ कहा था, आप भी उस समय बाहर पधारी थीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७१,६४,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १९, स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २८
दुर्भिक्ष—सहायता

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, अकाल सहायता) : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी की ओर से मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुपूरक अनुदा

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
की मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४, दुर्भिक्ष सहायता के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४०,००,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री गोविन्दसिंह ।

(कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया)

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:--

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : (१) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में सन् १९६३-६४ को अकाल के दौरान बनाई गई अधूरी सड़कों को पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

(२) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४--दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले को अभावग्रस्त घोषित किया जाकर तत्काल राहत कार्य प्रारंभ नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

(३) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४--दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में प्रति दूसरे-तीसरे वर्ष पड़ने वाले अकाल से मुक्ति दिलाने हेतु योजनाओं पर चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :

(४) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अकाल सहायता के अधूरे कार्यों को पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) :

(५) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्षकाल में दी जाने वाली सहायता एवं निर्माण कार्यों की सुरक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) :

(६) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष में सहायता दिये जाने में पक्षपात पर बहस करने के लिये)।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) :

(७) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता मों से १००) रु० कम कर दिया जाय (अकाल राहत का कार्य शुरू न किये जाने की स्थिति पर चर्चा करने के लिये)।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

(८) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य ठीक नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रवणलाल (हिंडौन-सु.) :

(९) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु०

(श्री श्रवणलाल)
कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता समय पर नहीं दिये जाने पर चर्चा करने के लिये) ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) :

(१०) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अकाल घोषित क्षेत्रों के किये जाने पर भी उचित राहत समय पर नहीं दी गई, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) :

(११) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष क्षेत्र में सहायता दिये जाने में असमानता पर चर्चा के लिये) ।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) :

(१२) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले में अनकमाण्डेट एरिया में वर्षा के अभाव से हुई फसलों की क्षति से दुर्भिक्ष स्थिति होने पर सहायता दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) :

(१३) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ओला वृष्टि से तहसील सांगानेर व बस्सी के बहुत से ग्रामों में फसल नष्ट होने से अकाल हुआ, उनको सहायता देने पर चर्चा के लिये) ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :

(१४) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अकालग्रस्त क्षेत्रों में घास के वितरण में घोटाले पर चर्चा के लिये) ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

(१५) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अकालग्रस्त क्षेत्रों में सहायता उपायों की व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :

(१६) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राहत कार्यों के लिये धन की कमी, पर चर्चा के लिये) ।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर सु.) :

(१७) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में अकालग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य समय पर न होने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये) ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) :

(१८) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्यों में मजदूरों की बकाया चुकारे पर चर्चा करने के लिये) ।

श्री जौसरसिंह बाबेल (बेंगू) :

(१९) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु०

(श्री चौसरसिंह बाबेल)
कम कर दिया जाय (अकालग्रस्त क्षेत्रों में सहायता उपायों की व्यवस्था ठीक नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) :

(२०) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (इस शीर्षक के अन्तर्गत होने वाले पक्षपात को रोका जाकर इसकी पवित्रता को कलुषित होने से बचाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

(२१) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की दुर्भिक्ष सहायता देने की प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।]

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं । सबसे पहले मैं बीकानेर जिले में और राजस्थान के दूसरे हिस्सों में सन् ६३-६४ और ६४-६५ के दौरान जो फेमिन के टाइम में सड़कों का काम हाथ में लिया गया था और वे सड़कें अधूरी हैं उनके बारे में, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्षजी, पिछले अकाल में राजस्थान सरकार ने काफी सड़कों का काम हाथ में लिया था और उसके द्वारा अकाल के दिनों में लोगों को राहत मिली, लाखों रुपये सरकार ने खर्च किये । उनमें से अधिकांश सड़कें अधूरी पड़ी हैं और सरकार ने जो पैसा लगाया है, यदि वे सड़कें पूरी नहीं हुईं तो जो पैसा लगाया है वह बरबाद होगा, ऐसी संज्ञा दी जा सकती है । हमारे बीकानेर डिवीजन में ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जिनको थोड़े खर्चे से पूरा किया जा सकता है । वहां पर अर्थ वर्क किया हुआ है, कंकड़ पड़े हैं, जिनको अर्थ वर्क में डालना है । उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सड़कों को सरकार हाथ में ले सके तो अच्छा होगा । नापासर से जस्सासर तक ३० मील का टुकड़ा है जो फेमिन के दिनों में शुरू किया गया था और उस पर काफी काम हो चुका है । कंकड़ बिछाने बाकी हैं, यह ३० मील का टुकड़ा बन जाने से बीकानेर–जयपुर की दूरी ३० मील कम हो जाती है और यह एक महत्वपूर्ण सड़क बन जाती है । इसलिये मैं राज्य सरकार से आशा रखूंगा कि यह महत्वपूर्ण सड़क है और इसका काम अकाल के समय में पूरा करेंगे ।

इसके अलावा लूणकरणसर और बीकानेर तहसीलों में कुछ ऐसी सड़कें हैं जो छोटे २ टुकड़े हैं दो या चार मील के हैं, उनको भी अकाल के दौरान पूरा किया जाय । अभी बीकानेर जिले में अकाल की परिस्थिति फिर खड़ी हो गई है । एक तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और दूसरी तरफ अकाल है । इन दोनों समस्याओं के कारण लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है । अब अकाल की वजह से यहां पर अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं । एक तरफ अनाज की स्केयर्सिटी है और दूसरी तरफ मजदूरी का साधन नहीं है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस जिले को तत्काल अकालग्रस्त घोषित करके राहत कार्य शुरू करने की घोषणा

(श्री भीमसेन)

की जाय ताकि लोगों को राहत मिल सके ।

इसके अलावा मेरा तीसरा प्रस्ताव है राज्य के रेगिस्तानी इलाके में प्रति दूसरे-तीसरे वर्ष पड़ने वाले अकाल से मुक्ति दिलाने हेतु योजना पर चर्चा करने के लिये ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है । उसमें प्रति दूसरे या तीसरे वर्ष किसी न किसी हिस्से में अकाल पडता ही रहता है । इस अकाल से मुक्ति मिलनी चाहिये । अकाल की मुक्ति के लिये सरकार को सिंचाई योजना हाथ में लेनी आवश्यक है । वैसे तो केन्द्रीय सरकार ने "केन्द्रीय मरू विकास मंडल" की स्थापना की है और उससे यह आशा की जाती है कि राजस्थान के रेगिस्तानी हिस्से के लिये भी योजना बनायेगी । यह अच्छी शुरुआत है । मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो मरू विकास मंडल, का निर्माण किया गया है उसके द्वारा हमारे बीकानेर के रेगिस्तान के बारे में योजना बनाकर उसको कार्यान्वित किया जाय । खास तौर से हमारे यहां जो घग्घर का फ्लड आता है उसका काफी पानी ऐसा है जो बर्बाद होता है । उसके लिये राज्य सरकार ने अभी एक योजना बनाई है, उसको किसी तरह से डेप्रिशन में डाल कर पानी पर कंट्रोल करने की योजना बनाई है । हम चाहते हैं कि इसका कोई ऐसा उपयोग किया जाय जिससे रेगिस्तान का इलाका खास करके सरदारशहर और लूणकरणसर तहसीलों को सिंचाई का पानी दिया जा सके ।

इसके अलावा अभी नर्मदा नदी पर कुछ योजना बनाई जा रही है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान तीनों का हिस्सा हो सकता है । उसके लिये केन्द्रीय सरकार ने खोसला कमेटी का निर्माण किया है और उस कमेटी ने सिफारिश की है कि राजस्थान को भी सिंचाई के लिये पानी दिया जाय । जैसी कि मुझे जानकारी मिली है, इस कमेटी ने जालोर जिले के कुछ हिस्से को सिंचित करने की सिफारिश की है । यह खुशी की बात है कि जालोर जिले को पानी मिलेगा । मैं चाहता हूं कि बाडमेर जिले को भी इससे वंचित नहीं रखना चाहिये . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : वह भी है, आपको पता नहीं है ।

श्री भीमसेन : नर्मदा से जो पानी मिले उससे बाडमेर को भी पानी मिलना चाहिये ।

इसके अलावा बीकानेर जिले में राजस्थान नहर से लिफ्ट इर्रिगेशन की योजना बनाई जा रही है । इस नहर को नागौर और जोधपुर तक ले जाने की योजना बनाई गई है । यह भी खुशी का विषय है कि जोधपुर और नागौर जैसे जिले, जहां पर अकाल पडता रहता है उनके लिये भी योजना बनाई जा रही है । मैं समझता हूं सरकार ने अच्छी दिशा में प्रयास किया है । इसके अलाव और भी कुछ हिस्से बच जाते हैं, खास तौर से सीकर और झुंझुनू जिले हैं उनके लिये सिंचाई की स्कीम बनानी चाहिये । एक एक्सपेरिमेन्टल ट्यूबवेल ओर्गेनाईजेशन है जो ट्यूबवेल लगाने का काम करता है । इन जिलों में ट्यूबवेल लगाने से पानी की समस्या का समाधान हो सके और सिंचाई का साधन उपलब्ध हो सके । आप ट्यूबवेल लगाकर

(श्री भीमसेन)

झुंझुनू जिले को सरसब्ज कर सकते हैं और अनाज की समस्या को हल कर सकते हैं। इसलिये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के लिये सरकार को छोटी योजनाओं का प्रावधान रहना चाहिये जिससे रेगिस्तान का इलाका राजस्थान के दूसरे विकासशील इलाके हैं उनके समकक्ष रेगिस्तान के लोग भी आ सकें और उनका जीवन-स्तर आगे बढ़ सके। इस तरह सरकार को इन इलाकों के लिये योजना बनानी चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री नाथूलाल करौल।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): अध्यक्ष महोदय, दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध म मुझे यह निवेदन करना है कि आसींद तहसील के अन्दर पिछले तीन सालों से बराबर वर्षा क अभाव के रहने की वजह से बहुत से ऐसे गांव हैं जिनको अकाल-ग्रस्त घोषित किया गया है और उनके अन्दर बराबर राज्य सरकार की तरफ से राहत कार्य समय समय पर होते रहे हैं। जो कि यह मांग प्रस्तुत की गई है इसमें भी यह प्रतीत होता है कि जो काम पिछले साल या उससे पूर्व में हुए हैं और अधूरे पडे रह गए हैं उनकी पूर्ती करने के लिये या उनको पूरा करने के लिये यह मांग प्रस्तुत की गई है। जहां तक मेरी तहसील का प्रश्न है, उसमें बहुत से ऐसे राहत के कार्यों के अन्दर बनने वाली सड़कें हैं, जिन पर मिट्टी का काम हो गया है, उन पर जो मुर्रम डालते हैं वह या दूसरे जो कंकर वगैरह डालने का सामान है वह भी वहां पडा हुआ है लेकिन उस काम को पूरा न करने की वजह से जो सड़कें बनी हैं वह काम में नहीं आ रही हैं और उनकी भी व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। इसलिये जो जो सड़कें पिछले वर्षों में अभावग्रस्त क्षेत्रों में बनी हैं, खास तौर से मैं निवेदन करूंगा कि अोगाडा से रामगढ़ तक सड़क जाती है जो दस-बारह मील लम्बी है, उस पर मिट्टी का काम हो चुका है, पर जो मुर्रम पड़ी हुई है वह उस पर बिछा दी जाय तो वह सड़क काम में आ सकती है और इससे ब्यावर से अजमेर का रास्ता शोर्ट हो जायगा और उससे लोगों को फायदा होगा। इसी तरह बदनोर से भीम तक की सड़क है, आसींद से भीम की सडक है और आसींद से करेड़ा जो गंगापुर और रायपुर को मिलाती है--इन सड़कों का काम अधूरा पड़ा हुआ है, यह यदि पूरा कर दिया जाय तो उससे सारा का सारा काम पूरा हो जायगा और लोगों को उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

जहां तक अकाल का सवाल है, पिछले तीन साल से बराबर यह क्षेत्र अभावग्रस्त रहा है और राज्य सरकार के द्वारा जहां जहां भी राहत कार्य कराये गये हैं वह काफी तादाद में कराये गये हैं और उससे लोगों को सहायता मिली है। इसके लिये मैं सरकार की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। मगर इस साल भी देखें तो सारे भीलवाड़ा में वर्षा का अभाव रहा है और उसकी वजह से, और पिछली साल वर्षा न होने की वजह से, सारी की सारी फसल नष्ट हो चुकी है। खासतौर

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

रो में ग्रासीद के लिए निवेदन करूं कि वहां पर तीन साल से बराबर अकाल रहा है और वह अकाल-ग्रस्त रहा है और इस वजह से वहां पर अनाज की कमी रहती है और घास की कमी रहती है। इस वर्ष जो वर्षा हुई है वह भी बहुत कम है और इस वजह से घास की समस्या और अनाज की समस्या हमारे सामने विकट रूप से आ रही है। अगर सरकार ने इसके बारे में ध्यान देकर नाज की और घास की अच्छी व्यवस्था नहीं की तो वहां के जो मनुष्य हैं और जानवर हैं उनको बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिये वहां पर घास और नाज की व्यवस्था खास तौर से की जानी चाहिए।

जहां तक तालाबों के निर्माण का प्रश्न है, पिछले साल भी इस फेमिन डिपार्टमेन्ट की तरफ से एक दो तालाब की मंजूरी हुई। मगर इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के सहयोग का जहां तक प्रश्न था, वह सहयोग नहीं के बराबर मिला है, इसलिए जो तालाब फेमिन डिपार्टमेन्ट की तरफ से सेंक्शन हुए थे वह अधूरे के अधूरे पड़े हुए हैं। उनका बहुत कम काम हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां भी अकाल सहायता के अन्दर कार्य कराये जाते हैं—चाहे वह सड़क निर्माण के हों, चाहे वह तालाब निर्माण के हों,—उनको पूरा करने की जिम्मेदारी उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर होनी चाहिए जिनको यह काम सुपुर्द किया जाय। बार बार और समय समय पर माननीय मंत्री का ध्यान इसके बारे में आकर्षित किया गया है कि जिन कामों को जिन डिपार्टमेंट को सुपुर्द किया गया वह डिपार्टमेंट उसके ऊपर ध्यान न देकर समय पर काम को पूरा नहीं करते हैं। इसके साथ ही जो काम करते हैं, उनमें जो मजदूर काम करते हैं उनकी मजदूरी का प्रश्न आता है। मैंने देखा कि पी. डब्ल्यू. डी. और इरिगेशन डिपार्टमेंट की इस बात की खास तौर से शिकायतें मिली हैं कि वहां जो मजदूर लोग काम करते हैं उनको मजदूरी का पेमेन्ट करने के बारे में कठिनाई आती है। कहीं पर तो उनसे चौकड़ी सिस्टम से काम कराते हैं और कहीं पर उनसे डेली वेजेज़ सिस्टम से काम कराया जाता है। जहां चौकड़ी सिस्टम से काम कराया जाता है वहां पर चौकड़ियों को ठीक तरह से नापा नहीं जाता है और इस तरह उनको पूरा पैसा नहीं दिया जाता है। जहां पर हाजरी सिस्टम से काम कराया जाता है, वहां पर फ़र्जी पेमेन्ट हो जाता है और जिन लोगों को पैसा मिलना चाहिए उनको पैसा नहीं मिलता है और ऐसे लोग पैसा ले जाते हैं जिनको वह पैसा नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में खास तौर से ध्यान रखा जाना चाहिए। जो पैसा और जो सहायता जिन लोगों के लिए दी जाती है, जो अकाल से पीड़ित हैं और ऐसे काश्तकार हैं जिनके खेतों में वर्षा के अभाव के कारण पैदावार नहीं हो सकी है, इसी कारण वह तकलीफ में हैं और वह काम करते हैं, उनको यदि मजदूरी का पैसा नहीं दिया जाता है तो उनके साथ यह एक अन्याय है। इसलिए सरकार को इस बारे में खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। मैं यहां तक कहूंगा कि जब अकाल का कार्य चालू किया जाय तो ऐसे स्थानों पर वेलफेयर ऑफिसर और लेबर वेलफेयर आफिसर नियुक्त किये जायं, जिनका यह मुख्य काम हो कि वहां पर जो लोग काम करते हैं उनको समय पर पेमेन्ट मिलता है या नहीं, उनको पूरा पेमेन्ट मिलता है या काम मिलता है, किस

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

मिकदार में मिलता है--यह ध्यान रखें। तो जिन लोगों को आप काम देना चाहते हैं, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का आघात नहीं हो--इस सम्बन्ध में ऐसा प्रबन्ध समय समय पर होना आवश्यक है। और वहां लोगों को बराबर समय पर पेमेन्ट कराया जाय और पेमेन्ट में कमी नहीं हो--इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

जहां तक अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों का सम्बन्ध है, जहां पर बराबर अकाल की साया पड़ी रहती है, क्योंकि वहां पर बरसात हर साल कम होती है, वहा के लिए ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए ताकि आयन्दा उन्हें अकाल का सामना नहीं करना पड़े। जहां तक मेरी तहसील का प्रश्न है, मैंने पिछली दफा भी कहा था कि यहां पर पानी के बांधों का इस प्रकार प्रबन्ध करना चाहिए ताकि वहां इस प्रकार की समस्या आयन्दा खड़ी नहीं हो। जहां तक बदनौर नाद्व, जो तहसील आसींद में है जिसके सम्बन्ध में पहले भी निवेदन किया था और अब भी निवेदन करना चाहता हूं, उस क्षेत्र के अन्दर एक बांध रेखोड़ी का है, उसको बंधवा दिया जाय तो उससे उस क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। और इस प्रकार का प्रावधान हो तो इस प्रकार की जो कठिनाई बार-बार उपस्थित होती है उससे भी हमको काफी मात्रा में निजात मिलेगी। इसी प्रकार और कई तालाबों पर मिट्टी पड़ी हुई है, जिसको यदि बन्धवाया जाय तो समय समय पर जिस प्रकार उससे सिंचाई की व्यवस्था होगी उससे लोगों को लाभ मिलेगा। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इस प्रकार का कार्य हमें करना पड़ेगा, जिससे कि जिन क्षेत्रों में बार बार अकाल आ जाता है और जो क्षेत्र अकाल की साया में पड़े रहते हैं, वहां के लोगों को इस समस्या से पूरी तौर से निजात मिल पाये। मैं समझता हूं कि इसका शंका-समाधान कराया जाय। इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाय तभी जाकर ठीक प्रकार से व्यवस्था हो सकेगी। जहां तक नाज और घास का सवाल है, पिछली दफा और उससे भी पहले नाज और घास की व्यवस्था सरकार ने ऐसे स्थानों पर करवाई जो अकाल-ग्रस्त क्षेत्र थे। इस साल भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं और खास तौर से मेरा क्षेत्र है, जहां इस साल भी डेढ़ सौ, दो सौ गांवों में पानी की कमी रही है और पानी की कमी की वजह से पैदावार नहीं हुई है और घास की पैदावार भी नहीं के बराबर हुई है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है और मैं मिनिस्टर महोदय का भी इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन जिन क्षेत्रों में नाज और घास की कमी है, खास तौर पर मैं मेरे क्षेत्र के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर नाज और घास की बहुत कमी है, इसलिए इस सम्बन्ध में ध्यान देकर प्रबन्ध कराया जाय और जो काम अधूरे पड़े हुए हैं, उनको पूरा कराने का, और जो तालाब टूटे हुए पडे हैं उनको पूरा कराने का काम हाथ में लिया जावे तो इससे मेरे क्षेत्र के लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : जज साहब।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर है।

श्री अध्यक्ष : पहले जज साहब बोलेंगे।

श्री अमरसिंह (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा थोड़ी देर पहले मैं निवेदन कर रहा था बाडमेर जिले में इस साल दुर्भिक्ष की परिस्थिति पैदा हो गई है। इस सम्बन्ध में मैं बेशी समय सदन का न लेकर संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी इस समय में आवश्यकता है अनाज की। इस समय बाडमेर जिले में थोड़ी बहुत फसल है और इस कारण इस वक्त जगह जगह से लोगों की यह मांग आ रही है कि हमारे यहां न तो खाने के लिए धान है और न काश्तकारों के पास इतना धान है कि अगली-साल फसल के लिए वह उसका उपयोग कर सकें। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, .

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री अकाल सहायता) : अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री अमरसिंह : ऐसी स्थिति में. . .

श्री रामकिशन (वैर) : अकाल-ग्रस्त क्षेत्र से आये हुए हैं, उनसे ऐसे ही बोला जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : यह भूखी आवाज है।

श्री अमरसिंह : I could not follow.

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार इस बात की ओर ध्यान दे कि कहीं से अनाज उपलब्ध कराके उसके ठीक तरह से वितरण करने की व्यवस्था करे, मेरा यह नम्र निवेदन होगा कि जहां तक मैंने सुना है सांचोर डिस्ट्रिक्ट में, सांचोर जिले में, इस साल फसल ठीक बताई जाती है। वहां से अगर सरकार चाहे तो नाज सरकारी विभागों से खरीदा जाय या उसको बाडमेर के गांवों में वितरित किया जावे।

इसके अलावा मवेशियों को बचाना भी अति आवश्यक होगा। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि जहां पर माइग्रेशन क्षेत्र हैं रिलीफ वर्क्स हों, रिलीफ वर्क्स लास्ट ईयर खोले गये और उसमें कई खामियें रहीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इन रिलीफ वर्क्स को समय पर हाथ में ले लिया जावे ताकि लोगों को दिक्कत नहीं रहे। यानि मिगसर या पोष महीने के करीब रिलीफ वर्क्स शुरू कर दिये जावें तो लोगों को इससे फायदा होगा, अन्यथा अगर आप जून और जुलाई में रिलीफ वर्क्स शुरू करेंगे तो लोगों को तवालत ही रहेगी और कोई फायदा नहीं होगा।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारे राजस्थान में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बाडमेर प्रमुख क्षेत्र है, और जिसमें पचपदरा भी आता है जो मेरा क्षेत्र है, वहां पर हम पिछले चार सालों से अकाल देखते आ रहे हैं।

(१.५२ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

अब लगातार चार साल से वहां पर अकाल की स्थिति है, तो यह स्वभाविक है कि लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होगी और आर्थिक संकट उन पर हो जाता है। इसलिये उनकी इकोनोमिक कन्डीशन्स को ठीक करने का एक ही उपाय है जिससे कि काश्तकार की माली हालत सुधारी जा सके और वह यह उपाय है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन के सोर्सेज उपलब्ध किये जावें और जैसा कि मैं कई बार पहले भी निवेदन कर चुका हूं इसके लिये सही इलाज ट्यूब वैल्स ही हैं। ये ट्यूब वैल्स प्राइवेट लैन्ड पर खोदने की कृपा करें और नो प्रोफिट और नो लोस, के बेसिस पर आप इनको

(श्री अमरसिंह)

खुदवाएं जिससे कि काश्तकार उसका फायदा उठाएं। मैं यह निवेदन करूंगा कि हम पूरी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे, इसलिये सरकार से निवेदन है कि जहां करोड़ों रुपया देश के लिये आप खर्च कर रहे हैं इसके लिये भी आप खर्च करें। यह सही तरीका है कि हमको आप इसके लिये सबसीडाइज करें और हमारे यहां पर ट्यूब वैल्स का प्रबन्ध करें। जब जा कर काश्तकारों की हालत सुधरेगी।

इसके अलावा मेरा एक और भी निवेदन है और वह यह है कि जहां पर कुओं की सिंचाई से धान पैदा किया जाता है वह इतना मंहगा होता है कि अमूमन उससे काश्तकार की हालत सुधर नहीं सकती। जहां वर्षा हो जावे और सावन खेती पर काश्तकार निर्भर हो वहां पर काश्तकार को बहुत कम खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद मवेशी को पालना है। इसलिये जहां तक कुओं से सिंचाई होती है काश्तकार की माली हालत ठीक नहीं होगी। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि बिजली के साधन पैदा किये जावें तो इसमें काश्तकारों का भला हो सकता, क्योंकि कम खर्च में काश्तकार अपनी हालत ठीक कर सकता है।

मेरे पचपदरा क्षेत्र में, मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार ने यह निर्णय लिया था कि वहां बिजली लगादी जावेगी और सबसे पहले काश्तकारों को काश्त के लिये बिजली दी जावेगी। वह तीन साल पहले मुझे आश्वासन दिया गया था। लेकिन अभी तक बिजली वहां पर शुरू नहीं हुई है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि शीघ्राति-शीघ्र इस काम को हाथ में लिया जावे। बालोतरा में पॉवर हाउस खोला जा रहा है। मैं समझता हूं कि इससे काश्तकारों को बहुत फायदा होगा। सभापति महोदय, मेरा यह आग्रह है कि यह काश्तकार लोग इस बात को महसूस करते हैं कि कैश क्रोप नहीं बो कर खाद्यान्न उत्पन्न किया जावे। मैं समझता हूं कि इस साल खाद्यान्नों का क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ा है।

इसके अलावा मैं एक तकलीफ और महसूस करता हूं कि अच्छे बीज उनको नहीं मिले हैं, मेरे यहां पर भी नहीं मिले हैं। मैंने पहले भी इसके लिये एग्रीकल्चर विभाग को लिखा। खास कर कि गांव वालों को अच्छे बीज दिये जावें और वह भी समय पर दिया जावे। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी पंचायत समिति को समय पर अच्छा बीज दिया जावे और खास कर गेहूं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि अच्छे बीज हासिल करने में लोगों को असुविधा हो रही है और वह भी समय पर, उचित मात्रा में यदि उनको मिल जावे तो ठीक रहेगा। इसके बाद मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं क्योंकि यह ऐसा विषय है which can stand repetition और मैं महसूस करता हूं करीब ५० साल से कि हमारे क्षेत्र में जहां पानी है और जहां पानी मिल सकता है वहां पर बोरिंग किया जावे और प्राइवेट लैंड पर ट्यूब वैल्स के लिये बोरिंग का प्रबन्ध किया जावे तो हमारे यहां की अधिकांश समस्या हल हो सकती है। मैं सरकार से आपके द्वारा अपील करूंगा कि वह इस बात पर फिर से विचार करके देखे, इसको संकुचित दृष्टिकोण से नहीं देखा जावे।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है: मांग

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)
संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४, दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष काल में दी जाने वाली सहायता एवं निर्माण कार्यों की सुरक्षा पर चर्चा के लिये)।

मैं इससे पहले कि कुछ और निवेदन करूं राज्य सरकार को बधाई दूंगा कि अपने यहां अव्यवस्था देखते हुए भी समय समय पर अकाल के समय में राज्य सरकार ने अपनी ओर से यथासंभव प्रबन्ध करके अकाल ग्रस्त लोगों की सहायता अवश्य की है और उनको राहत दी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। परंतु उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कई प्रकार की ऐसी खामियां रह जाती हैं जिनकी जांच समय पर नहीं होती। गत संवत् २०२० के समय में बाली जिले में ग्राम लालको पंचायत समिति रोहट पर इतना दुरुपयोग पैसे का हुआ मैंने उसकी ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया पर आज तक राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की; उसकी एक सूचना मैंने मंत्री को और एक रिलीफ कमिश्नर साहब को भी दी। इसकी घटना उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार है कि लगभग काफी आदमी मध्य प्रदेश में काम करने जा रहे हैं, वहां उनके नाम हैं मगर फिर भी वहां ग्राम लालको पंचायत समिति रोहट से उनके नाम से पैसा उठ रहा है। उसकी सूचना देने पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का दुरुपयोग होता है, उससे हमको दुख होता है और इसे रोकने के लिये सरकार को सजग रहना चाहिये।

इसके साथ साथ दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि अकाल क्षेत्र में निर्माण कार्य होते हैं और निर्माण कार्य में पूंजी लगती है और लगाते हैं, मैं सरकार की सराहना पहले ही कर चुका हूं लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि अधूरे कामों को पूरा कराना भी आवश्यक है।

(२.०० म. प.)

इस सम्बन्ध में कुछ काम तो पंचायतों के जिम्मे छोड़ देते हैं और कुछ पी० डब्ल्यू० डी० को देते हैं। उसके सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देता हूं कि जो अकाल राहत के कार्य करवाये जाते हैं उनमें काम करने वाले मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देते हैं; सहायता के नाम से उनको उदरपालन के लिये पैसा देते हैं, ताकि वे लोग अकाल के समय अपना गुजर-बसर कर सकें। पर उस समय पी. डब्ल्यू. डी० की मार्फत बनने वाली सड़कों के ठेके शिड्यूल रेट से ऊंचे चले जाते हैं, उन ठेकों में जिस प्रकार अकाल राहत के कार्यों में काम करने वाले मजदूरों को कम मजदूरी दी जाती है उस हिसाब से ठेकों का पैसा नहीं काटा जाता है। जो इन बड़े बड़े ठेकेदारों को ठेके दिये जाते हैं उनमें भी क्यों नहीं कटौती की जाय ? इन बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ भी किसी प्रकार की रियायत उस समय में नहीं की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं अकाल सहायता मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अकाल के समय में सड़कों के ठेके ठेकेदारों को शिड्यूल्ड रेट से ज्यादा या शिड्यूल्ड रेट में नहीं दिये जायं, उनको भी शिड्यूल्ड रेट से कुछ कम रेट में ठेके दिये जायें ताकि ठेकेदार फायदे में नहीं रहें, उनको भी गुजर लायक ही पैसा मिले।

श्री परसराम मदेरणा : पी. डब्ल्यू. डी. के थ्रू जो सड़कों के काम होते हैं वे ठेकेदारों से नहीं होते, पी. डब्ल्यू. डी. स्वयं करती है।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : पी. डब्ल्यू. डी. ठेकेदारों के मार्फत ही कराती है ।

श्री परसराम मदेरणा: नहीं ।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा: जैसा कि मंत्री महोदय कहते हैं उसी प्रकार करते हैं तो उपयुक्त ही करते हैं । अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके ठेकों की रकम में कमी की जानी चाहिये ।

तीसरी, इस प्रकार जो सड़कें बनती हैं उनमें एक बड़ी भारी कमी देखी गई है, हमने देखा है कि बिलाड़ा तहसील में अन्धाधुन्ध लोगों के खेतों में से हो कर सड़कों का काम किया जाता है, जब कि कहा जाता है कि पास से बच कर निकला जाय । मैं मंत्री महोदय का ध्यान कापरड़ा से हुणगांव जाने वाली सड़क की ओर दिलाना चाहता हूं, वह सड़क ओलवी गांव के प्रभु माली के खेत में से निकाली गई है, वह बेचारा १० बार तो जयपुर आया होगा, उसने कई बार कलेक्टर के दरवाजे खटखटाये होंगे, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की अनियमितताएं होती हैं उनके सम्बन्ध में निदेश अवश्य होने चाहियें ।

चौथी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी अभी बरसात से पहले मैंने कलेक्टर महोदय का, रिलीफ कमिश्नर महोदय का ध्यान आकर्षित किया था कि खांगटा से पालड़ी की जो सड़क है वह अधूरी पड़ी हुई है, वह बरसात में बरबाद हो जायगी । उस समय कलक्टर महोदय ने पंचायत समिति को लिखा और आदेश दिये कि इसे पूरा कर दिया जाय । वह कागज पंचायत समिति और कलेक्टर के बीच में ही घूम रहे हैं और वह सड़क अधूरी पड़ी हुई है । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो कार्य किये जायं उनको पूरा करवाया जाय, जो कार्य अधूरे रह गये हैं उन्हें पूरा कराने के लिये ध्यान देना चाहिये ।

इन्हीं शब्दों के साथ में इन मांगों का स्वागत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

श्री विजयपाल कटारा

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो आज अकाल की स्थिति है उससे सारा सदन परिचित है। परन्तु फिर भी अकाल की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जो कदम उठाने चाहिये थे वह कदम अभी तक नहीं उठाए गए। मैं खास तौर से बीकानेर जिले के क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि बीकानेर जिले में आज से दो साल पहले ऐसा भयानक अकाल था, गत वर्ष भी स्थिति खराब थी, इससे पहले भी खराब थी, पुराना अकाल हम भूले नहीं थे कि अब की नई स्थिति पैदा हो गई। आप बीकानेर के किसी गांव में

Page No 71

(श्री मुरलीधर व्यास)

चले जाइये, आपको मालूम पड़ेगा कि गांवों के अन्दर इस प्रकार के हालात हो गए हैं कि हर नागरिक बीकानेर शहर में कलेक्टर के पास में आता है, ग्रामीण भी आते हैं और वहां पर आकर यही कहते हैं कि अनाज का इन्तजाम करिए। न जाने कितने लोगों ने कलेक्टर के पास धरना दिया, न मालूम जिला परिषद् ने कब प्रस्ताव पास करके कलेक्टर का ध्यान खींचा और मांग की कि वहां पर अविलंब व्यवस्था की जाय। दूसरी ओर देश में इस प्रकार की परिस्थितियां थीं जिनके कारण आदमी बोल नहीं सकता था, देश पर हमला हुआ था, ग्रामीण लोग त्राहि-त्राहि कर रहे थे और परिस्थितियां ऐसी बन गई कि ऐसी हालत के बीच वे नहीं बोल सके। एक समय था वे चुप रहे, पर आज जो स्थिति बन गई है, अगर सरकार ने अविलम्ब ध्यान नहीं दिया तो किसी भी समय गांवों में विस्फोट हो सकता है। बीकानेर में जो बोर्डर रोड्स हैं वहां आसपास के इलाके के अन्दर लोग हमले और दूसरी गड़बड़ी की वजह से परेशान और दूसरी तरफ अनाज भी नहीं मिले तो किसी प्रकार भी हिम्मत नहीं मिल सकती। बीकानेर में बाजार के अन्दर चले जाइये, एक रुपए का एक किलो भी बाजरा नहीं मिलेगा। इतनी भयानक स्थिति के बावजूद भी जब सरकार का ध्यान खींचा, हमारे दल ने प्रस्ताव पास करके भेजा और मांग की कि कम से कम हरेक पंचायत क्षेत्र में एक उचित मूल्य का एक अनाज डिपो खोला जाय ताकि हर व्यक्ति को अनाज मिल सके। बोर्डर के आसपास गांव में तीन-चार दूकानें खोलीं लेकिन कितना माल दिया गया? अगर एक एक क्षेत्र में २० बोरियां बाजरे की, कहीं १० कहीं ३० भेजी जायं उससे इन्तजाम नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति में एक साथ लोग झपटते हैं।

आज हमें दो चीजों से लड़ना है एक ओर बाहरी संघर्ष और दूसरी ओर घर की स्थिति कम से कम बोर्डर के जो जिले हैं, जहां इस प्रकार की हालत है वहां अनिवार्य रूप से व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हरेक गांव में कम से कम हर पंचायत के अन्दर, एसा डिपो खोला जाय जिसमें उचित मूल्यों के अन्दर ग्रामीणों को आवश्यक वस्तुएं मिल सकें। इस मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए; आज दूसरे क्षेत्रों में भी अकाल का सवाल है। दूसरे और इस क्षेत्र की तुलना करनी चाहिए। दूसरे क्षेत्र के अन्दर आज अनाज का भाव क्या है और हमारे क्षेत्र में बाजरा और मोठ, वहां का जो मूल भोजन है, उसका क्या भाव है? अगर उस इलाके के अन्दर वाकई हालत खराब है तो उन स्थानों को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए जिन जिलों के अन्दर मंहगाई के दृष्टिकोण से भाव बहुत ज्यादा ऊंचे हो गए हैं, उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि बीकानेर जिला प्रथम श्रेणी में मिलेगा, जहां बहुत ज्यादा महंगाई है।

दूसरे जो गत समय अकाल पड़ता था और कई काम अधूरे रह गए थे, खास तौर से राहत के कामों को फौरन प्रारंभ करना चाहिए। आपके पास केन्द्रीय सरकार का काफी पैसा है, बोर्डर रोड्स के लिए करोड़ों रुपए हैं। गुजरात ने तो बना लिए परन्तु राजस्थान के लिए जो एक करोड़ रुपया दिया था वे राजस्थान में नहीं बने। काम से कम बोर्डर रोड्स को प्रारंभ करते तो सुरक्षा का काम तो होता। इस काम को बहुत तेजी से शुरू करना चाहिए, इससे वह रकम भी लग

Page No 72

(श्री मुरलीधर व्यास)

जायगी और जो मजदूर अकाल की वजह से बेकार हैं उनको भी काम मिल जायगा। तीसरी तरफ जो मंहगाई है उसके अन्दर भी सुधार आएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो बोर्डर पर गत अकाल के समय जिन सड़कों का निर्माण किया गया था और अधूरी हैं और बहुत बुरी हालत में हैं और जो पहले बन चुकी हैं जिनमें राज्य सरकार का पैसा लग चुका है, यह काम अगर आप जल्दी से शुरू करें तो लोगों को भी राहत मिलेगी। नहीं तो आज जो परिस्थितियां हैं वे खराब हैं और एक्शन अभी तक नहीं लिया जा रहा है। इसमें सरकार की लापरवाही है। जनता बोल नहीं सकती, लेकिन ऐसा समय आएगा जब जनता को लाचार होकर कदम उठाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अभी मालूम पड़ा है कि ढाई बजे तक समय निर्धारित किया गया है, उस दृष्टि से संक्षेप में बोलें ताकि जब विधेयक आएगा उस पर भी बहस करने का मौका मिले।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बीकानेर ज़िले की अकाल स्थिति के बारे में कुछ निवेदन इस सदन से किया है। मैं इस निवेदन के साथ कि बीकानेर में ६० परसेन्ट गांवों में आज अकाल की स्थिति भयंकर रूप से है, राज्य सरकार से यह चाहूंगा कि अकाल राहत कार्यों को जितना जल्दी इस ज़िले में शुरू किया जा सके उस कार्य को फौरन शुरू किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल ठीक है कि गांवों में आज न तो हमारा कोई स्टॉक है, न वहां पर बाजरा है, न मोठ, और वहां की स्थिति इतनी गम्भीर है कि बहुत से गांवों में सवा रुपए किलो और एक रुपए दो आने किलो बाजरा मिलता है और इससे सस्ती बाजरी ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं है। न इसमें अतिशयोक्ति है, न सरकार को बदनाम करने की भावना है, लेकिन जो स्थिति हमारे गांवों के अन्दर है यह उसका बिल्कुल सीधा और सच्चा चित्रण है। सरकार की मजबूरियां हमारे ध्यान में हैं। अभी मन्त्रीजी यह बतावेंगे कि जब तक १५ अक्टूबर न आ जाय और कलेक्टर की रिपोर्ट न आ जाय और उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की गजट में यह छप न जाय कि किन किन गांवों को अकाल-ग्रस्त घोषित किया गया तब तक राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने में असमर्थ है।

जहां तक मानसून का इन्तज़ार करने का सवाल था, वह बीकानेर जिले में, बाड़मेर और जैसलमेर वगैरह में अभी मानसून आने की स्थिति नहीं है, जिसमें तीन–चार इन्च की बरसात हो जाय और वहां पर अनाज पैदा हो जाय। इसलिये राज्य सरकार को अपने नियमों के आगे जाकर, जो नियमों की स्पिरिट है उसके अनुसार काम करे। हम चाहते हैं कि बोर्डर के लोग अपना हौसला ऊंचा रखें और किसी प्रकार के कोई मुजाहिद पाकिस्तान की सीमा से घुस आए उसका मुकाबला करें और देश की सीमाओं की सुरक्षा हो। ये सारी बातें जब हम चाहते हैं तो कम से कम हमारा यह फर्ज है कि हम इस बात को देखें कि इन लोगों से जो हम नैतिक साहस की उम्मीद करते हैं, उनके पास एक टाइम का अनाज खाने को है या नहीं। यह सही है कि न तो आज हम कोई

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

प्रदर्शन करना चाहते हैं. न २-४ हजार लोग कलेक्टर के आफिस के आगे ले जांय या राज्य सरकार के मन्त्रियों के सामने जांय। लेकिन ऐसी हालत में जब मन्त्रियों से कोई बात कही जाय तो उसका ज्यादा असर होना चाहिये । उनको जो बात कही जाती है, रिपोर्ट कॉन्फ़ीडेन्स में दी जाय कि वास्तव में यह स्थिति है, नतीजा उसका कुछ नहीं है। मैं किसी व्यक्तिगत बातचीत का हवाला नहीं देना चाहता लेकिन यह निवेदन करता हूं कि अनाज गांवों में नहीं है, मोटे अनाज का प्रबन्ध किया जाय। राज्य सरकार के पास मोटा अनाज है। इस बात के लिये सरकार से कई बार कहा गया है लेकिन ग्रामीणों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यह सही है कि राहत कार्य आप १५ अक्टूबर से शुरू करें लेकिन जब आपको मालूम है उससे पहले भी उनके पास अनाज नहीं है तो उस स्टॉक में से जो सरकार ने रिक्वीजीशन किया है उसमें से कुछ व्यवस्था ५०० या १००० टन की निश्चित् रूप से करनी चाहिये ।

१८ गांवों में पिछले साल अकाल था और र होते हुए भी पिछले डेढ़ महीने में ४ सेन से हमने जो अनाज दिया किसी को २५ किसी को ४० बोरियां और उसके बाद में महिला कलेक्टर ने कोई एक्शन अनाज पहुंचाने के लिए नहीं लिया और उससे ग्रामीणों को भयंकर तकलीफ है। जब वे हमारे पास आते है तो हम उनसे कहते हैं कि इमर्जेन्सी है ज्यादा कोई इस बारे में प्रचार नहीं करना चाहिये, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार में अकालग्रस्त गांवों के प्रति सक्रियता नहीं दिखती। कलेक्टर की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है कि इन इन गांवों में अकाल है, अकाल घोषणा चाहे १०-१५ दिन के बाद हो लेकिन काम जल्दी शुरू करना चाहिये। सरकार ने जो करोड़ों रुपये अकाल के अन्दर खर्च किए हैं और जिन अधिकारियों के द्वारा पैसा खर्च किया गया उस बारे में जहां जहां बड़ी अनियमितताएं और गड़बड़ी हुई हैं उस बारे में राज्य सरकार को बहुत ही सतर्कता का रुख अपनाना चाहिये । इस प्रकार के उदाहरण राज्य सरकार को सारी फेमिन की ऑडिट रिपोर्ट में प्राप्त हो चुके हैं और उसके अन्दर ५ करोड़ रुपये जहां हमने सारे राज्य में खर्च किए आज कम से कम ३० लाख के ऑडिट ऑब्जेक्शन्स आउट-स्टेंडिंग हैं। उसमें है कि ३० लाख रुपये के जो व्यय किए गए वे ज्यादा व्यय किए गए। इस तरह की रिपोर्ट सरकार के समक्ष है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि किस जगह क्या घोटाला हुआ, लेकिन सिर्फ यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल विभाग उस पर सतर्कता के साथ कार्यवाही करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर के कलेक्टर जो अभी हैं और पहले थे उन्होंने अकाल में बहुत काम किया है । लेकिन बहुत अनियमिततायें हैं। मैं छोटी छोटी अनियमितताओं के लिये नहीं कहता । बहुत से नियमों की अवहेलना हो जाती है लेकिन नियमों के कारण काम रोक कर भी नहीं बैठा जाता । मैं आक्षेप के तौर पर यह नहीं कह रहा हूं किन्तु एक एक्शन के लिये निवेदन कर रहा हूं कि नियमों में कमी है तो उसको दूर करना चाहिये । यदि फोडर लाना है, घास लाना है, तो क्या हम यह उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
लाखों रुपया ठेकेदारों को एडवान्स करे और ठेकेदार सरकार के पैसे से घास लाकर देंगे ? यह इन्टेन्शन है तो सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिये । टेन्डर देते हैं तो भी ठेकेदार को एडवान्स करेंगे लाखों रुपया, यह इन्टेन्शन नहीं होना चाहिये । ४.८८ हजार रुपया पिछले समय बीकानेर में दिया गया और एक एक ठेकेदार को ७५-७५ हजार रुपया एडवान्स किया गया । टेन्डर में इस प्रकार एडवान्स करने की कलेक्टर ने कोई शर्त नहीं रखी । यह टेन्डर में शर्त नहीं रखी गई कि राज्य सरकार उसको रुपया एडवान्स करायेगी । यदि राज्य सरकार का यह इन्टेन्शन हो कि घास सप्लाई करने वाले ठेकेदार को हम ही रकम एडवान्स करेंगे तो पहले से ही यह शर्त टेन्डर में साफ कर देनी चाहिये जिससे जो घोटाले होते हैं वे न हों । दूसरे ठेकेदार भी आगे आ सकते हैं । आज टेन्डर मंजूर हुआ फिर रिपोर्ट आयी कि घास महंगा हो गया, कभी ८ आना बढ़ा दिये, कभी एक रुपया बढ़ा दिया और कभी १।।) रुपया बढ़ा दिया । मनमाने ढंग से इस प्रकार रेट बढ़ा देने के फाइनेन्शियल मेटर्स के अधिकार हम किसी को भी नहीं दे सकते । जो पिछले टाइम में घोटाले हुए हैं इसमें राज्य सरकार को सबक सीख कर जो भी फेमीन के वर्क चलते हैं उनमें स्पष्ट निर्देश देने चाहिये जिससे घोटाले कम हों ।

पिछले साल अकाल के समय करोड़ों रुपये रोड्स पर खर्च किये गये । वह सब बेकार नहीं जाना चाहिये । इन सारी रोड्स को पी०डब्ल्यू० डी० को सुपुर्द किया गया । दो-चार मील, छः मील के टुकड़े बनने बाकी पड़े हैं जिनके कारण पचास मील की रोड बेकार पड़ी है, तो इस ओर भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये । जो भी छोटे २ पैचेज हैं उनके बनाने में फेमीन में प्रायोरिटी देनी चाहिये और फेमीन का फण्ड न हो तो पी० डब्ल्यू० डी० के बजट से उन रोड्स को पूरा करवाया जाना चाहिये । मैं समझता हूं पिछले फेमीन में जितनी रोड्स बन पाई हैं उतनी राजस्थान में पहले नहीं बन पायी थीं इसलिये उनको पी० डब्ल्यू० डी० के सुपुर्द कर उनको कम्पलीट करायें और पी० डब्ल्यू० डी० के बजट में मेन्टीनेन्स के लिये धन-राशि रखें जिससे निरन्तर उनकी मरम्मत होती रहे; इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता पर मेरा कटौती प्रस्ताव है ।

टोंक डिस्ट्रिक्ट में गये साल भी सरकार द्वारा अकाल घोषित किया गया था ।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़े संक्षेप में ही ।

श्री जयनारायण सालोदिया : जी हां । जैसा मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि ७४-७५ गांवों में अकाल था । इस सम्बन्ध में सरकार ने धन-राशि भी बतायी कि इतना रुपया अकाल सहायता के लिये खर्च कर रहे हैं । मुझे जहां तक मालूम है जो धन-राशि सरकार ने स्वीकृत की थी उसमें से बहुत कम मात्रा में धन-राशि वहां पर खर्च हुई और बाकी की धन-राशि वापिस सरकार के बजट में हो गई । मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि

Page No 75

(श्री जयनारायण सालोदिया)
जो धन-राशि गये साल टोंक डिस्ट्रिक्ट में अकाल सहायता के लिये रखी थी, मैंने सरकार को पत्र लिखा है कि इस साल भी टोंक डिस्ट्रिक्ट में अकाल है और ज्यादा भयंकर रूप में अकाल है, इसलिये वह धन-राशि मिलाकर खर्च की जाय। पहले कुछ गांवों में अकाल था लेकिन अब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि टोंक डिस्ट्रिक्ट के ८५ प्रतिशत गांवों में अकाल की छाया है। बारिश अगर चार-छः दिन में नहीं हुई तो सारी टोंक डिस्ट्रिक्ट में शत-प्रतिशत अकाल ही समझना चाहिये। मने क्षेत्र में जाकर देखा है और लोगों से जानकारी ली है, अलग अलग पंचायत समितियों के लोगों से मिला हूं। मुझे यह जानकारी मिली है कि टोंक डिस्ट्रिक्ट की सब तहसीलों में आज की तारीख में ५० परसेन्ट अकाल है और चार छः दिन बारिश नहीं हुई तो शत-प्रतिशत अकाल हो जावेगा। पचास प्रतिशत जो फसल खड़ी है वह भी जल जावेगी और इन दिनों बरसात नहीं हुई तो उनालू की फसल की भी जुताई-बुआई नहीं होगी। यही समय उनालू की फसल की जुताई-बुआई का है। टोंक डिस्ट्रिक्ट में जो अकाल की स्थिति है उस तरफ सरकार को पूर्ण तैयारी करके, एक युद्ध के मोर्चे पर जिस प्रकार तैयारी की जाती है उसी प्रकार की तैयारी अकाल के सम्बन्ध में भी करनी होगी। इसलिये जरूरी है कि हमें इस संकट-काल में लोगों के मनोबल को बनाये रखना है। कम से कम हमें लोगों को, जो प्रेरक मांग है, रोटी की मांग है, जो बहुत ही वाजिब मांग है, उसके लिये चिन्तित नहीं रखना चाहिये। इससे यह होगा कि लोगों का दिमाग एक ओर से स्पष्ट हो जावगा। वे निश्चिन्त हो जावेंगे, राज्य सरकार को भूख की समस्या के लिये उनको परेशानी में नहीं डालना चाहिये, सरकार को भी मदद करने की जहां तक बात है वे निश्चिन्त होकर सरकार की पूर्ण मदद करेंगे। इस संकट-काल में सरकार की जिम्मेदारी अकाल के कारण बढ़ जाती है। सरकार को इस जिम्मेदारी को कार्यकुशलता, होशियारी और समझदारी के साथ निभानी चाहिये।

मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट में अनाज के भावों के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा अन्य साथियों ने बताया टोंक डिस्ट्रिक्ट की भी यह स्थिति है। डिस्ट्रिक्ट भर में कहीं पर भी चले जाइये, किसी के द्वारा निष्पक्ष जांच करा लीजिये, गेहूं वहां पर सौ रुपये क्विन्टल से कम नहीं मिलता। वह भी चुपके २ मिलता है। बाजार में तो दर्शन मात्र के लिये नहीं मिलता है। बीमार के लिये, जच्चा के लिये एक रुपये के गेहूं लेने चले जाइये, महमान के लिये लेने चले जाइये, उसके दर्शन बाजार में कहीं नहीं। मजबूरी जाहिर करें तो कपड़ा रख जाओ, रात को आकर ले जाना। जिस भाव देगा, जैसा भी देगा, मुह बन्द करके ले आओ। लाते हैं लोग। हम कहते हैं कि क्यों ले आते हो; शिकायत करना चाहिये? अगर शिकायत करने बैठते हैं तो काम चलता होगा तो वह भी बन्द हो जावेगा। इसलिये सरकार से निवेदन करता हूं कि खाद्य की स्थिति में जिम्मेदारी के साथ चलना चाहिये। छोटी-मोटी बातों की तरफ नहीं सोचना चाहिये और जिम्मेदारी के साथ सोचना चाहिये।

अनाज के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों के भाव भी हमारे यहां चरम सीमा पर पहुंच गये हैं। जिनके द्वारा हम स्वास्थ्य को कायम रख सकते हैं, या जो चीजें मनुष्य को

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जिन्दा रखने के लिये आवश्यक हैं वे भी आज प्राप्त नहीं हो रही हैं और प्राप्त भी हो रही हैं तो उनके भाव आसमान को छूने लगे हैं। घी का भाव दस रुपया किलो है, दूध का भाव सवा रुपया किलो है इसी तरह से गुड़, शक्कर आदि के भाव भी चरम सीमा पर पहुंच गये हैं। जो चिट्ठी मैंने सरकार को लिखी है उसके बारे में भी मुझे असंतोष है; जो जानकारी लेकर के मैंने सरकार को पत्र लिखा उसके सम्बन्ध में मुझे एक लैटर मिला आयुक्त का कि आपकी चिट्ठी पर सरकार विचार कर रही है। आज इस चिट्ठी को लिखे एक महीने से ऊपर का समय हो गया है। अगर अब भी स्थिति को सुधारने की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति और भी भयंकर हो सकती है। अतः मैं सरकार से पुनः प्रार्थना करूंगा कि अब भी आपने स्थिति पर क़ाबू नहीं किया तो इस स्थिति पर क़ाबू पाना मुश्किल हो जायगा। आज हम नहीं चाहते कि जब देश एक दुश्मन का मुकाबला कर रहा है उस स्थिति में किसी प्रकार का आन्दोलन आदि करें और जनता में किसी प्रकार का रोष पैदा होने दें। इसलिये मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का ज्यादा सतर्कता पूर्वक पालन करे और इस स्थिति का युद्ध स्तर पर मुकाबला करने की कोशिश करे तो ज्यादा उत्तम होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस मांग के बारे में कटौती का प्रस्ताव था।

आज हमारे सामने अन्न का महान् संकट उत्पन्न हो रहा है। मैं अपने जिले सवाई माधोपुर की तरफ से सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि पहले हमारे इस जिले में इस प्रकार की स्थिति कभी देखने को नहीं मिली। अब भगवान् की कुछ कड़ी नजर हो गई इस कारण इस साल हमारे यहां भी अकाल की समस्या पैदा हो गई है। वर्षा के नहीं होने के कारण हमारे यहां की फ़सल बहुतसी जगहों पर, जल गई है। अगर कहीं पर थोड़ा पानी पड़ा है तो वहां कुछ फसल हुई है, वह भी अगर थोड़े दिन में एक वर्षा नहीं हुई तो जो बालें बाजरी की आयी हैं उनमें अनाज का दाना तक नहीं मिलेगा। इसलिये हमारे जिले की जो खाद्य समस्या है उसको देखते हुए आज हमारे सामने एक चिन्ता का विषय बन गया है। एक तरफ जहां हमारा देश दुश्मन का मुकाबला कर रहा है और इधर हमारे सामने अकाल की बड़ी गम्भीर समस्या पैदा होती जा रही है। आज हमें दुश्मन की चिन्ता नहीं उसका हम डटकर के मुकाबला कर रहे हैं, दो दिन की बजाय चाहे हमें चार दिन में खाना मिले तो भी हमें कोई चिन्ता नहीं।

मैं अपने जिले की ओर सदन का ध्यान लाते हुए प्रार्थना करूं कि हमारे जिले के अंदर कभी भी कितना ही खाद्य संकट पैदा हुआ हो हमने कभी मांग नहीं की; हमने जैसी भी स्थिति थी जिले में उपलब्ध अनाज पर काम चलाया। आज हमारे जिले के अंदर बरसात नहीं होने से हमारे यहां जानवरों को चरने के लिये घास नहीं थी। उस समय किसानों ने वृक्ष काट काट कर झाड़ियां काट कर अपने पशुओं के जीवन

Page No 77

(श्री श्रवण लाल)

की रक्षा की। सैकड़ों गायें और अन्य पशु खत्म हो चुके थे। हमने कलेक्टर महोदय से कहा कि हमारे यहां चारे की कमी है इसलिये चारे का इन्तजाम कीजिए। सरकार की ओर से हमारे यहां चारे का इन्तजाम नहीं किया गया। अब वर्षा कुछ हो जाने के कारण चारे की समस्या का तो हल हो गया लेकिन अब हमारे सामने अकाल की, अन्न की समस्या भयंकर रूप से सामने खड़ी है। जनता आशा लगाये हुए बैठी थी कि हमारे यहां बारिश हो जायगी और जिनसे उन्होंने पैसा लिया, कर्जा लिया और जिस व्यक्ति को उन्होंने आश्वासन दिया था कि बारिश अच्छी होने से वे उनका कर्जा चुका देंगे। आज किसान के सामने बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है। वह किसान जो दूसरों से उधार लेकर अनाज बोता है वह आज इस स्थिति में नहीं है कि उस उधार ली हुई रकम को चुकाये। आज जिस प्रकार की समस्या है उससे यह प्रतीत होता है कि आज हमारे इलाके के अन्दर किसी भी जगह अनाज उपलब्ध नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ था कि कुछ तहसीलों में जरूर अनाज पहुंचाया गया था लेकिन उस अनाज को गांवों तक नहीं पहुंचाया था। जब हम अधिकारियों से मिले तो उनका कहना था कि अनाज गांवों में पैदा होता है, गांव वालों के लिये क्या चाहिये? मुझे बड़ा अफसोस है कि गांवों में अनाज पैदा होता है लेकिन सब किसानों के पास इतना पैदा नहीं होता है कि वे अपने गुजारे के लिये भी रख सकें। वे बेचारे इतना ही नहीं कर पाते जो दूसरों को दे सकें। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सब से पहले देहातों में अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

इसके साथ साथ अकाल के लिये राहत कार्य खोले गये। सवाई माधोपुर जिले के लिये अकाल सहायता के लिये कार्य खोल जायं जिससे गरीबों को रोटी-रोजी मिल सके, बेरोजगारों को सहायता मिले। इसलिये मैं सरकार से इस बात के लिये प्रार्थना करूंगा कि मेरे जिले के अन्दर जहां कोई तालाब नहीं, बांध नहीं, जिससे आने वाले अकाल का मुकाबला कर सकें, सिंचाई के कोई साधन नहीं, इसलिये इस अकाल सहायता के लिए कुछ ऐसे कार्य वहां करवाये जायं ताकि अकाल की सम्भावना आगे न रहे।

(२.३८ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत सभानेत्री, पदासीन)

अनाज जहां उपलब्ध नहीं है वहां अनाज उपलब्ध कराया जाय। गरीबों को एक रुपया किलो और सवा रुपया किलो जो अनाज मिलता है वह भी सही ढंग से मिले, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। राहत कार्य वहां जल्दी से जल्दी खोले जायं।

इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो इम्पोर्टेड व्हीट वहां आता है उसमें बड़ा घोटाला होता है। गरीबों को व्हीट समय पर नहीं मिल पाता है। और एक एक आदमी दो दो, चार चार बोरियां लेकर बैठ जाते हैं और फिर बाद में वे ही लोग १६.८० के हिसाब से जो अनाज मिलता है उसको पच्चीस और तीस रुपये के भाव से बेचते हैं। इस तरह से ब्लैक किया जाता है, पच्चीस और छब्बीस रुपये के भाव से दिया जाता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर

(श्री श्रवणलाल)

ध्यान दे और गेहूं का जो वितरण होता है वह सही तरीके से हो और सही रेट पर लोगों को मिलना चाहिये। इसका कोटा किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिये जो ब्लैक करे और ड्योढ़ी-सवाई कीमतों पर बेचे।

इसके अलावा मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो भी अकाल के राहत कार्य खोलना चाहें वह जल्दी खोलें, उसमें पार्टी-बाजी के सिद्धान्त को काम में न लें। आज की संकट-कालीन परिस्थिति में हमें कोई भी काम पार्टीबाजी के आधार पर नहीं करना है, आज हमारे यहां किसी तरह की पार्टीबाजी नहीं है। दुश्मन हमारे सामने है उससे हमें लड़ना है। अन्न के संकट से भी लड़ना है इसमें हमें किसी भी तरह पार्टीबाजी के आधार पर कोई कार्य नहीं करना है। इन शब्दों के साथ अपने कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे जिले में गेहूं उपलब्ध करायें और राहत कार्य के लिये उचित कदम उठायें। यही मेरा निवेदन है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदया, दुर्भिक्ष राजस्थान में एक परमानेन्ट फीचर सरीखा बन गया है। यह पिछले अर्से से देखने में आ रहा है। सरकार ने इसका सामना किया और कर रही है। पर सरकार को सोचना यह चाहिये कि इसका परमानेन्टली क्या इन्तजाम किया जावे?

मैं यह कहना चाहूंगा कि कलेक्टर को ऐसे मामलों में जहां एक तारीख को अपनी रिपोर्ट भेज देनी चाहिये वहां रिपोर्टें भी कई जगहों से नहीं आतीं। मैं नहीं कहता कि सभी कलेक्टर लापरवाह हैं, पर अधिकांश में ऐसे हैं। उनको इसके लिये वार्निंग दी जानी चाहिये उनकी रिपोर्ट देर से आने का परिणाम यह होता है कि यहां से सैंक्शन मिलने में देर हो जाती है और सहायता उन इलाकों तक पहुंचते पहुंचते तो अकाल अपना काम कर डालता है। बहुत से लोग दुर्भिक्ष के शिकार हो जाते हैं और बहुत से इलाका छोड़ चुकते हैं। तो सरकार पहले तो अपनी इस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को टाइटन-अप करे फेमीन एक्ट के नियमों के अन्तर्गत समय पर रिपोर्ट आनी ही चाहिये और किसानों को राहत पहुंचाने के लिये इस सरकारी मशीनरी को गीयर-अप करना चाहिये।

फिर फेमीन डिक्लेअर करने में आपका केल्कुलेशन करने का तरीका भी गलत है पटवारियों की रिपोर्ट पर निर्भर रहते हैं अब पटवारी दस बीघा में दो बीघा ही क्यों न किसान ने बोया हो उस दो बीघा खेती के आधार पर ही बारह आना या आठ आना फसल हुई है, कह देता है। अगर बरसात होती तो किसान दस बीघा बोता, पर बरसात नहीं होने से अगर दो ही बीघा बोता है तो उसी के आधार पर केल्क्यूलेशन करते हैं। यह अन्दाज इस तरह से लगाना गलत है। उसे कहना चाहिये कि दस बीघा में से दो बीघा

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ही बोई है, पिछले साल के मुकाबले में उसे देख कर चार आना, छः आना या दो आना जितनी है वह डिक्लेअर करना चाहिये । पर गलत इन्टरप्रीटेशन नहीं लगाना चाहिये । इससे दुर्भिक्ष पीड़ित होते हुए भी किसान फेमीन रिलीफ का लाभ नहीं उठा पाता । मैं ऐसा समझता हूं कि इस तरह से इन्टर-प्रीटेशन निकाल कर किसान को फेमीन के लाभ से महरूम कर देना एक बड़ा पाप है । यह कोई इन्सानियत का काम नहीं है । इस पाप से बचने के लिये जरूरी है कि सही हालत किसान की पिछले साल के मुकाबले में डिक्लेअर की जावे ।

मैं दावे के साथ कहता हूं, वित्त मन्त्री जी भी फेमीन मिनिस्टर को सिफारिश करेंगे, कि अजमेर में मुतवातिर तीन सालों से अकाल पड़ रहा है और आज भी वहां अकाल की स्थिति है । पर अजमेर का नाम नहीं आ सकता । ज्यादा मिनिस्टर वहां के होते हुए भी उनकी आवाज नहीं पहुंचाई जा सकती । पिछले साल फेमीन था वहां पर । आज भी यही स्थिति है वहां पर । पर इतना होने पर भी वहां का नाम नहीं आ सकता । मैं कहता हूं इसमें केल्कुलेशन की गलती है । किसानों को इन्सेन्टिव देना है, उनसे ज्यादा पैदा करवाना है इस लड़ाई के वक्त में और उनकी सिम्पेथी गेन करनी है तो जैसी स्थिति है उसको स्वीकार करना चाहिये और दुर्भिक्ष के वक्त आपको उनको सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव देना होगा । मैं एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं कहता । कई डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं । मैं अजमेर की अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी की बात बताता हूं । आप फेमीन वर्क चलाते भी हैं कभी तो पी० डब्ल्यू० डी० वाले काम नहीं करते ठीक तरह से । ३०० आदमी काम करते हैं तो पांच सौ की हाजरी लिखी जाती है । गलत मस्टर रोल तैयार करके रुपया खाया जाता है । यह विभाग वैसे ही बदनाम है । पर ऐसे दुर्भिक्ष के मौके पर भी नहीं चूकते हैं, तो इससे ज्यादा पाप और गुनाह की बात नहीं हो सकती । मैं सुबूत के साथ कह सकता हूं ।

मैं अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी की बात कहता हूं । अकाल पड़ा । गांवों की लिस्ट डिक्लेअर कर दी । अखबारों में दे दिया । सरकार की तरफ से काम पूरा हो गया । जैसे राजस्थान के लोग, दूसरे हिस्से के लोग, समझते हैं अजमेर के लोगों को अखबारों में निकलते ही रोटी मिल गई । सरकार के मिनिस्टरों के स्टेटमेन्ट पहले होंगे । रा[illegible] नहीं, इसकी उनको फिकर नहीं । पाच रोज निकल जावेंगे । किसी तरह से कहने-सुनने पर, डांटने-फटकारने पर, मिनिस्टरों के दबाव देने पर काम शुरू भी हुआ तो मस्टर रोल तीन सौ [illegible] जगह पांच सौ का बनेगा । पी० डब्ल्यू० डी० वाले कैसे काम करते हैं, ये मिनिस्टर जानते हैं । तो फिर इसकी चर्चा चलती है । इसके साथ साथ और तमाशा देखिये । डिक्लेअर हो जाता है । काम पर आते हैं । काम चालू किया जाता है कि बीच में ही उनको वापिस बुला लिया जाता है । कहते हैं यहां तो कैंसिल हो गया । न मालूम उनको कहां से अहलाम होता है । इस तरह से पी०डब्ल्यू०डी० के ओवरसीयर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर आदि जाकर इस तरह की बातें करते हैं । जब काम बन्द हो गया तो लोगों ने जिन्होंने काम किया वे अपने पेमेन्ट के लिये मारे-मारे फिरते हैं । आज बिडकच्यास के लोग मारे, मारे घूमते हैं । दुर्भिक्ष के काम में उनकी मां-बहिनों ने काम किया उनको मजदूरी देने में भी महीनों लगा देते हैं । यही क्या

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सरकार का दुर्भिक्ष का काम है कि उनके किये हुए काम का पेमेन्ट सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता और टोलियों की टोलियां जहां बतावें वहां इक्ट्ठी हों पेमेन्ट लेने के लिये, पर अफसर नहीं पहुंचता वहां पर और इस तरह बंटवारा नहीं होता। इस तरह के तरीकों को छोड़ना चाहिये। ये गलत तरीके हैं। आज पुरानी सरकार, रियासतों की सरकारें नहीं हैं। बल्कि यह हुकूमत आज हमारी और किसानों की है। इन पर आफत आती है तो आप इनके लिये जितनी चाहिये उतनी मदद इस सदन से लीजिये; यह सदन देने को तैयार है। सदन उनके प्रति सहानुभूति के सिवाय दूसरी बात सोच नहीं सकता जो उनके वोट लेकर आये हैं, जो किसानों की तरफ से नुमाइन्दे बनकर आये हैं; उनके लिये आप एक करोड़ और इससे भी ज्यादा खर्च कर दें तो बराबर सदन उसके लिये सेंक्शन देगा। इसमें तो आप हिचक करते हैं, मूंजीपन करते हैं और दूसरे कामों में लिहाज नहीं करते। आप मशीन ठीक तरह से सेंट-अप करिये।

मैं मानता हूं कुछ सम्माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि कुछ इर्रेगुलेरिटीज होती हैं। परवाह नहीं इसकी अगर ईमानदारी से ये होती हैं तो। पर सहायता पहुंच जानी चाहिये। बाद में इन इर्रेगुलेरिटीज को आप ठीक कर लीजिये। अगर आपके आदमी ने ईमानदारी से इर्रेगुलेरिटीज की हैं तो उनको माफ कर दीजिये। पर आत्म-विश्वास होना चाहिये अफसरों में कि जनता के हित के लिये वे काम करते हैं। ईमानदारी से जनता के लिये ये राहत दें और इस तरह करते हुए अगर किसी ने गलती भी की तो उसे सही मान लेना चाहिये। पर सहायता का काम पूरा पहुंचना चाहिये उन क्षेत्रों में।

आज भी मैं अजमेर की तरफ से कहना चाहता हूं कि वहां पानी नहीं बरसा है। दूसरे इलाकों को आपने फेमीन वाले डिक्लेअर किये हैं, अच्छा किया आप इन इलाकों की भी सर्वे रिपोर्ट मंगाइये। यहां के लिये कलेक्टर की रिपोर्ट आपके पास है। मेरे पास बराबर खबरें आ रही हैं कि मुतवातिर तीन साल से पानी नहीं बरसा और इस उम्मीद में अगर आप सहायता बन्द करते हैं, खास करके मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के लिये कि मुमकिन है बरसात आ जावेगी, हम भी उम्मीद करते हैं, पर बरसात नहीं आती है तो काम नहीं रुकना चाहिये। इन गांवों में आप फेमीन डिक्लेअर न करें और दूसरी जगहों पर कर दें, यह गलत बात है।

मैं इसके साथ ही साथ यह कहूंगा कि आज बीकानेर की स्थिति यह है, वहां के लोग आये थे, वहां पर आज बाजरा १ रुपये का सेर का भी नहीं बिकता है। क्या वहां के लोग नोट चबायेंगे या पैसे की फंकी लगायेंगे? आपको वहां पर मोटा अनाज पहुंचाना पड़ेगा। आज की हालत में इस तरह की स्थिति पैदा है तो मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि कम से कम पेट भरने के लिए मोटा अनाज आपको सारी रेस्ट्रिक्शन्स को ताक में रखकर, आपको सोचना चाहिए कि वहां पर मुहैय्या हो। इन शब्दों के साथ मेरे यहां के दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों की तरफ से आपके मानस को अपील करता हूं कि आप पूरी तरह से सर्वे कराके अजमेर के अन्दर जल्दी से जल्दी हमारे गांवों के अन्दर काम शुरू करायें।

श्रीमती सभानेत्री : मंत्री महोदया, जवाब दें।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, दुर्भिक्ष सहायता) : चेयरमैन महोदया, सदन के अन्दर अनेक माननीय सदस्यों ने अकाल सहायता से संबंधित अपने विचार पेश किये हैं। इन विचारों के अन्दर खास तौर से दो तीन बातों के ऊपर विशेष ध्यान देने का है। एक तो वे बातें जो कि पिछले अकाल के समय में कुछ कमियां रहीं, कुछ गलतियां हुईं, कुछ दिक्कतें पैदा हुईं जिनके ऊपर माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला। सबसे बड़ी बात जो कही गई अनेक माननीय सदस्यों द्वारा, वह यह थी कि अकाल के दौरान में जिन सड़कों को राहत कार्यों के रूप में चालू किया जाता है वे सड़कें अधूरी रह जाती हैं, जिनका अर्थवर्क खराब हो जाता है, ग्रेवल खुदा हुआ बेकार पड़ा रहता है। इस संबंध में राज्य सरकार ने भी बहुत गंभीरता से सोचा और पिछला जो फेमिन चला उसके अन्तर्गत खास तौर से यह प्रबंध किया था कि अर्थवर्क के साथ साथ में ग्रेवल वर्क भी चलना चाहिए और कोरा अर्थवर्क ही नहीं चलना चाहिए और जहां तक मैंने देखा है सभी क्षेत्रों में घूम फिरकर, ज्यादातर सड़कों के अर्थवर्क के साथ ग्रेवल वर्क भी किया गया और जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि फैमिन के दौरान में जितनी सड़कें ग्रेवल तैयार हुईं उतनी शायद किसी भी अर्से में तैयार नहीं हुई होंगी। फिर भी जिस तरह के हालात फैमिन में और मौसम में चलते हैं उनके काम अगर बन्द करने पड़ते हैं तो ग्रेवल और अर्थ-वर्क दोनों बन्द हो जाते हैं; उसको ध्यान में रखते हुए सभी जिलाधीशों को उसी समय यह आदेश प्रसारित किये थे और उनसे यह बात मांगी थी कि कितने मील की सड़कें अर्थ वर्क में रही हैं और कितनी सड़कों के किनारों पर ग्रेवल खुदा पड़ा है और उसको पूरा किस प्रकार से किया जा सकता है? इसकी पूरी जानकारी राज्य सरकार ने मांगी। कुछ जिलाधीशों ने इसका जवाब दिया और कुछ का जवाब नहीं आ सका। उसके बावजूद भी सरकार ने फैसला किया कि आने वाले प्लान के अन्तर्गत इन फैमिन एरिया के अन्दर जो सड़कें हाथ में ली गई उनको जहां तक हो सके प्लान के अन्तर्गत लिया जावे और जिन डिपार्टमेन्ट्स से जो काम ताल्लुक रखता है; पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कें अथवा इरिगेशन के तालाब, उनके डिपार्टमेन्ट के जरिये से जहां तक उनको पूरा करवाने की व्यवस्था हो सकती है उनको भी पूरा करवाया जाये और इसके अतिरिक्त ५ लाख रुपय की धन-राशि इन अधूरी सड़कों के लिए अलग से रखी गई हैं जो कि सीमित माइलेज के अन्दर सड़कें हैं, जिनके पास में ग्रेवल पड़ा है उनको पूरा करने के लिए यह राशि राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। फिर भी आप जानते हैं हमारे प्लान और फाइनन्स की क्या पोजीशन है और फैमिन के अन्दर जितने लार्ज स्केल पर काम करना पड़ता है उन सभी कार्यों को प्लान के अन्तर्गत एक दम नहीं लाया जा सकता है। राज्य सरकार पूरी स्थिति से वाकिफ है और इस बात पर महत्व देती है कि जो सड़कों के ऊपर लेबर और पैसा लगा है और एस्टेब्लिशमेन्ट पर भी खर्चा हुआ है उनको जहां तक हो सके बर्बाद नहीं होने दिया जावे और यथासंभव जितनी चेष्टा की जा सके उसके लिए सरकार प्रयत्नशील है।

दूसरी बात माननीय सदस्यों ने कही कि फैमिन के दौरान में कुछ वित्तीय घोटाले होते हैं, पी. डब्लू. डी. के जरिये से हो जाते हैं और रेवेन्यू एजेन्सी के जरिये से हो जाते हैं और कुछ छोटे हाकिम होते हैं वे मस्टर

Page No 82

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

रोल में गड़बडियां करते हैं, पेमेन्ट में देरी हो जाती है या पेमेन्ट नहीं होती है, या उनके मापदण्ड में फर्क हो जाता है, अन्यान्य बातें माननीय सदस्यों ने ध्यान में लाईं; इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमने समस्त जिलाधीशों को, सभी पी. डब्लू. डी. के अधिकारियों को इस बात के लिये सतर्क किया हुआ है और बारबार करते रहे हैं कि कहीं भी, किसी भी मजदूर दल को अगर पैसा नहीं मिला है उसकी जानकारी तुरन्त राज्य सरकार को दी जाये और जहां जहां से भी इस प्रकार की जानकारी आई है उनका भुगतान किया गया है। मैं माननीय सदस्यों से इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार के जो अधिकारी बैठे हैं–जैसा आप सब जानते हैं कि कुछ तो बहुत तत्पर हैं और कुछ नेग्लीजेन्ट भी हैं और कुछ लापरवाह भी हैं, आप सभी जानते हैं; लेकिन हम लोग जो कार्यकर्त्ता हैं या एम. एल. ए. हैं उनका भी फर्ज है कि जो अभाव से ग्रस्त जनता है उनके बीच में घूमकर राज्य सरकार तक पहुंचायें कि कहां क्या बात है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि किसी भी जगह के किसी भी माननीय सदस्य ने या किसी भी जिला परिषद् के प्रमुख ने या पंचायत समिति के प्रधान ने या किसी भी अन्य कार्यकर्त्ता ने राज्य सरकार के निगाह में इसको नहीं रखा कि फलां जगह इतने मजदूरों को उनके पेमेन्ट का भुगतान नहीं हो रहा है इसलिये उनको भुगतान किया जाये, एक भी माननीय सदस्य ने इस प्रकार की बात नहीं कही है। और जहां की सूचना मिली है वहां बराबर भुगतान किया गया है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप लोगों की निगाह में अब भी कोई बात हो, जहां अभी तक पेमेन्ट पेन्डिग पड़ा हो तो आज भी हम विचार करके पेमेन्ट करायेंगे। ऐसी स्थिति की आपको इत्तला करनी चाहिए। या कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा पेमेन्ट का सवाल है, यह मैं समझती हूं कि कहने वाले माननीय सदस्य की अनभिज्ञता है। यह गलत चीज है और इसको गलत ही समझना चाहिए। ऐसा कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं आया है। बीकानेर और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वित्तीय घोटाले बहुत हुए हैं और पहले वाले जिलाधीश के दौरान में ऐसी गलतियां हुई हैं जिसके कारण से राज्य सरकार को नुकसान हुआ है। उनको मालूम है और आप भी जानते हैं कि सारी ऑडिट रिपोर्ट होने के बाद में राज्य सरकार के सामने जो जो मामले इस प्रकार के आये हैं उनके ऊपर बराबर एक्शन लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है और जिन मामलों में, ऐसी इर्रेगुलेरिटीज हैं, छुट्टी की या और दूसरी उनको भी नियमित किये जाने के कार्य किये जा रहे हैं और जो सचमुच अनियमितताओं के मामले हैं उनके लिये कार्यवाही की जायेगी और बहुत सी जगहों पर किये जाने के आदेश भी दिये जा चुके हैं। इसलिये इतने बड़े काम में, जैसा आप भी जानते हैं कि कुछ इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन हम हर्गिज नहीं सोचते कि उनको ओवरलुक करना है या अवोइड करना है। फिर भी हम सब इसको समझते हैं कि इतना बड़ा काम होने के बाद में और इतना बड़ा संकट होने के बाद में लाखों मजदूर जो रोज का काम करते थे उनको पानी का, अनाज का, चारे का और भुगतान का इंतजाम, जैसा अकाल के समय में किया है उसको आप सब जानते हैं। जितना भरसक प्रयत्न राज्य सरकार से और राज्य के अधिकारियों से हो सकता है किया है और

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

किसी भी स्थान पर, किसी मनुष्य को कोई तकलीफ नहीं होने दी है। यह आप सब जानते हैं। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि हमारे जिले में जानबूझकर या न मालूम क्यों फेमिन डिक्लेयर नहीं किया गया हालांकि वहां पर स्थिति बहुत खराब थी। मैं अजमेर के माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहूंगी कि न तो इस विभाग के द्वारा कोई पार्टीबाजी का सवाल है और न किसी को फेवर करने का सवाल है। मैं समझती हूं कि यह विभाग जिस तरह से काम करता है उस तरह से किसी भी जगह पर कोई काम नहीं हो रहा है और आप सब इस बात को जानते हैं। अजमेर के अन्दर पिछले समय में जिन जिन गांवों में अभाव था उनको अभावग्रस्त डिक्लेयर किया गया और अजमेर जिले के २ लाख रुपये की सेंक्शन दी गई है जिसके तहत में लोगों ने काम किया है और राहत पहुंचाई गई है। इसलिये यह गलत धारणा दिमाग में नहीं रखनी चाहिए कि अजमेर में फैमिन डिक्लेयर नहीं किया गया और वहां पर कोई काम नहीं किया गया।

(३ म० प०)

इसके साथ मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं उनके अन्दर जो फसल को नुकसान होता है, उस नुकसान का असेसमेंट का तरीका जो है उसमें सचमुच कमी मालूम होती है। फिर उसके काम को चलाने के अन्दर जो कमी, खामी है उसके लिए जो फैमिन कोड है वह बहुत पुराना है, आज की हालत बदली हुई है, उसक अनुसार इस फैमिन कोड में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक कमेटी बनाई हुई है। उस कमेटी ने प्रिलिमिनरी डिस्कशन करके अपनी रिपोर्ट तैयार की है। उसका फाइनल डिस्कशन होकर मैं समझती हूं कि आगामी दो महीनों में इसको फाइनल किया जा सकेगा। जिन माननीय सदस्यों को इस बाबत मुद्दे के सुझाव पेश करने हों वे जरूर पेश करें, सरकार उन पर ध्यान देगी। आयन्दा इस तरह के मामलों में जनता और जन प्रतिनिधियों को दिक्कत न हो, इस बारे में ख्याल रखा जाएगा।

इसके बाद में जो दूसरी चीज की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया वह यह है कि इस अभाव को, अकाल को मीट-आउट करने के लिए राज्य सरकार को कोई परमानेंट स्कीम बनानी चाहिए जिससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों के सिर पर जो हमेशा तलवार लटकी रहती है उससे छुटकारा मिले। मैं इस बाबत यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस विभाग से इसका सीधा ताल्लुक नहीं है लेकिन इस विभाग ने प्लानिंग डिपार्टमेंट को और राज्य सरकार को, जो आवश्यक इन्तजाम इस अभाव की स्थिति को पैदा न होने देने के लिए होने चाहिए, उसकी बाबत लिखा हुआ है। और मुझे विश्वास है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट आगामी योजना में इसके लिए कुछ प्रावधान रखेगा।

इसके अलावा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो 'मरू विकास मण्डल' के बारे में कहा है तो राज्य सरकार और भारत सरकार के सहयोग से इसको कायम किया गया है और जो राजस्थान की मरु भूमि है उसके विकास के लिए भी आयोजन किया गया है, जिसके तहत में विकास होगा।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

राज्य सरकार ने सन ६० में वसु कमेटी कायम की थी और उनके विचार मरु विकास के संबंध में प्राप्त हुए हैं, उसके तहत राज्य सरकार सीमित क्षेत्र में काम करने लगी है। लेकिन जिस प्रकार का मरु क्षेत्र हमारे प्रदेश के अन्दर है, जितनी बड़ी तादाद में और जितने बड़े क्षेत्र के अन्दर, जितनी बड़ी प्रोब्लम इस क्षेत्र की है, इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए वित्तीय बजट चाहिए उसके अन्तर्गत आप समझ सकते हैं कि सरकार की सीमाएं हैं, फिर भी हम चाहते हैं इस बारे में कार्यवाही की जावे। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि ज्यादातर फैमिन इलाके वे हैं जो बोर्डर के एरिया से लगते हैं और ज्यादातर इलाके वे हैं जहां पर हर वक्त, हर तीसरे, दूसरे या चौथे साल तक फैमिन बराबर चलता रहता है और जहां पानी का खास तौर से अभाव है। उसके लिए राज्य सरकार भी चिंतित है। इसके लिए योजना बनाई जाकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसका जरूर समाधान हो सकेगा और इन एरियाज़ को राहत मिल सकेगी।

अन्त में जो तीसरी बात माननीय सदस्यों ने वर्तमान में जिन २ इलाकों के अन्दर अभाव की स्थिति है, उन तमाम क्षेत्रों में राहत कार्य चालू होना चाहिए, इसकी बाबत अपनी मांग पेश की है। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि अगस्त के महीने से ही बराबर राज्य सरकार सभी संबंधित जिलाधीशों, जिला अधिकारियों और सभी महानुभावों से इस बात के लिए आग्रह करती रही है कि आपके क्षेत्र में जिस प्रकार की स्थिति हो उससे हमको अवगत करावें। आप भी जानते हैं और मैंने भी कहा है कि कुछ जिलों से तो तत्परता से उत्तर मिला है और कुछ जिलों से उत्तर नहीं मिला है। म यहां यह भी निवेदन कर दूं कि ३१ अक्टूबर को फर्स्ट रिपोर्ट और ३० नवम्बर को फाइनल रिपोर्ट आती है। मैं इसका कोई बहाना नहीं लेना चाहती। जैसा कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, मैं निवेदन कर दूं कि इस प्रकार की अभाव की स्थिति जहां २ भी सामने आई है उनको बराबर पैसा मन्जूर कर दिया गया है, उनके यहां टैस्ट वर्क्स चालू करने के लिए हिदायत कर दी गई है और टैस्ट वर्क्स चालू भी कर दिए हैं, जिससे कानून कायदे की वजह से जनता को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। जिस तत्परता से फैमिन के बारे में पहले भी कार्यवाही की जाती रही है उसी तत्परता से कार्यवाही आगे भी की जाती रहेगी, यही मैं आपको विश्वास दिला सकती हूं। और इसी के साथ इतना ही निवेदन मैं माननीय सदस्यों से भी करना चाहूंगी कि आप सबको भी इसमें तत्पर रहना चाहिए, जहां कहीं भी गडबड देखते हों उसको मौके पर ही हल कराने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जिन इलाकों की रिपोर्ट नहीं आई है, जिन इलाकों की स्थिति खराब है और जहां टैस्ट वर्क्स चालू करने हैं उनके बारे में रिपोर्ट आनी बाकी है, उनको ताकीद की जा रही है और दस-पांच दिनों में सबकी रिपोर्ट आने के बाद जहां पर जैसी स्थिति होगी, फैमिन डिक्लेअर करने की आवश्यकता होगी या राहत कार्य जारी करने की आवश्यकता होगी, वे सब किए जायेंगे। जो माननीय सदस्यों की

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
चिन्ता है उससे हम भी चिंतित हैं, सरकार इसको ठीक करने के लिए तत्पर है, इसका भरोसा आपको होना चाहिए कि सरकार इसकी व्यवस्था करने में हर संभव कदम उठाएगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभानेत्री महोदया, जो बीकानेर और चूरू के लिए कहा कि वहां पर अनाज दे दिया गया है और जहां जहां पर राहत-कार्य कराने की जरूरत थी उसके भी आदेश दे दिए गए हैं, तो उप-मंत्री महोदया कृपया उनका खुलासा कर दें कि कहां कहां राहत-कार्य शुरू कर दिए गए हैं और कितना कितना अनाज दिया गया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : चेयरमेन महोदया, मैं बहुत एक्चुअल फिगर्स तो अभी नहीं बता सकती, लेकिन बीकानेर जिले में पिछले महीने तेरह सौ टन का अलॉटमेंट किया गया और इस महीने में दो हजार, सवा दो हजार टन का अलॉटमेंट कर दिया गया है । और दो सड़कें खास तौर से फैमिन स्केटर्ड एरिया की हैं जहां कि गरीब इलाका है और जिसको बनाने के लिए प्रपोज करके भेजा है, उसकी इजाजत दे दी है । आगे जैसे-जैसे जिला राहत कमेटी और जिलाधीश मांगते जायेंगे उनको देते जायेंगे । मैं सदन को बताना चाहती हूं कि फैमिन के दौरान में किसी भी इलाके में किसी भी कार्य को इसलिए नहीं रोका जाता है कि यहां पर इसकी जरूरत नहीं है । जहां पर भी लेबर टर्न-अप होती है, जहां पर भी इसकी जरूरत होती है, जब तक लेबर आती रहती है, उस काम को चलाया जाता है, उसमें वित्तीय व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जो बीकानेर को पिछले महीने तेरह सौ टन दिया और इस महीने दो हजार टन दिया तो इस प्रकार जो यह सात सौ टन अनाज अधिक दिया है तो क्या इसके लिए कलेक्टर को भी आदेश दे दिया है कि इसको ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाय ? आपके यह आदेश हैं कि इम्पोर्टेड व्हीट ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई नहीं किया जाय, तो जो यह आपने सात सौ टन अधिक अनाज दिया है वह पिछले महीने की कमी को पूरा करने के लिए दिया है या ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया है ? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ग्रामीण जनता को उन्होंने एक टन अनाज का वितरण नहीं किया है, उन्होंने कोई इम्पोर्टेड व्हीट नहीं दिया है । हम नहीं कहते कि आप हमें इम्पोर्टेड व्हीट दीजिए, आप मोटा अनाज ही दीजिए, लेकिन कुछ तो दीजिए । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह कलेक्टर को स्पष्ट रूप से आदेश दें कि जो अतिरिक्त व्हीट दिया गया है उसको ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किया जाय ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं नहीं कह सकती कि इस बाबत स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं या नहीं । इस बात की व्यवस्था की गई है कि बाहरी क्षेत्रों के लिए खास तौर से अनाज सुरक्षित रखा जाय ।

श्री दयाचन्द सोन (बारा-सु.): जितना कोटा इम्पोर्टेड व्हीट का आपने दिया

(श्री दयाचन्द सोन)
है उसका भाव सोलह रुपये का है लेकिन वह २१) रु० में बिक रहा है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने समझा नहीं आपकी बात को, आप दुबारा कहिए।

श्री दयाचन्द सोन : इम्पोर्टेड व्हीट का भाव सोलह रुपये का है और वह २१-२२ रुपए बिक रहा है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह आप खाद्य मंत्रीजी से पूछें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री रामकिशन (वैर) : यह आप उत्तर के लिए कह सकती हैं लेकिन इसकी जानकारी तो सारे मंत्रिमंडल को होनी चाहिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय खाद्य मंत्रीजी इसका उत्तर दे सकते है।

(खाद्य मंत्री के सदन में प्रवेश पर)

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक प्रश्न यह है खाद्य मंत्रीजी, आप आए उससे पहले माननीय उप-मंत्री महोदया ने बताया कि पिछले महीने तेरह सौ टन बीकानेर को दिया गया है और इस बार दो हजार टन दिया गया है, लेकिन यह अनाज ग्रामीण जनता को उपलब्ध नहीं हो रहा है। उनकी आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए यह आवश्यक है कि यह अनाज ग्रामीण जनता में वितरित किया जाय। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के निर्देश बीकानेर और चूरू के कलेक्टर को दे दिए गए हैं कि यह अनाज ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : यह जो धान भेजा है वह गांव वालों के लिए ही एक्सक्लूजिवली नहीं भेजा है, लेकिन जिन इलाकों में कमी है उनके लिए प्रावधान किया गया है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : यह भवानी मंडी में जो ३७।।) रु० पर क्विन्टल मक्का खरीदी गई थी उसको आप दे रहे है साढ़े बासठ रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से बिहार और गुजरात को, क्या यह बात सही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जिस तरीके से जो बात कह रहे हैं वह सही नहीं है। वह यों सही है कि कुछ मक्का जो खरीदी थी वह खराब होने की स्थिति में हो गई थी। उसको डिस्पोज करने का एक मात्र यही तरीका था कि जो इसको खरीदना चाहे वे अपने बिड्स लगायें। जिन लोगों ने बिडस लगाये थे उनको हमने कहा कि यह मक्का खराब हो गई है और खाने के काम में आने की गुन्जायश नहीं है तो इसको वे चाहे जैसे-डिस्पोज ऑफ कर सकेंगे।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या यह ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुआ ? क्या यह मुनाफाखोरी नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी अक्ल में होगा। मेरी अक्ल में नहीं किया गया है।

श्री जोधसिंह चौहान : आपकी अक्ल में तो जाने क्या भरा है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं नहीं समझा था जो कि आपने कहा। जो एडिशनल गल्ला कलेक्टर को दिया है ७०० टन तो

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

यह इन्डीकेशन है कलेक्टर को कि यह ग्रामीण जनता के उपयोग के लिये है और उन्हीं को उपलब्ध कराना है, जहां भी आवश्यक हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : कलेक्टर्स को फुल डिस्क्रीशन है कि जो कुछ भी उन्होंने मांग रखी है और जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध था उसको राजस्थान के सारे इलाकों की स्थिति को देखकर उनको दिया है, उसको कलेक्टर अपने इलाके में जो कुछ भी सप्लाई उनके पास आये, चाहे वे गांव हों, चाहे वे शहर हों, चाहे कितनी ही आबादी के इलाके हैं, उनको डिस्क्रीशन है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करें कि लोगों को जहां ज्यादा तकलीफ हो उनकी तकलीफ को रिलीव कर सकें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपने पहले जवाब दिया था कि मक्का खराब हो गई उसके लिए उचित समझा गया कि ज्यादा बोली बोलने वाले लोग हैं वे उसको अपनी मर्जी हो वहां भेज दें, तो क्या आपकी जानकारी में है कि वह मक्का ७३) रु० क्विन्टल में बिहार में भेजी गई है और ७३) रु० में बिहार में जाये तो वह गेहूं से ज्यादा बढ़कर उसका भाव है तो वह मक्का कैसे खराब है ? जिस खराब मक्का को बेचने में तना फायदा हुआ तो उसको एक्वायर करके वहां भेजते तो क्या होता ? ७३ रु० पर क्विन्टल में वह खराब मक्का बिकी तो उस मक्का को ७३ रु० क्विन्टल में बेचने के बजाय जो बीकानेर और चूरू में गड़बड़ी पा रहे हैं उसकी पूर्ति के लिये सरकार ने नहीं सोचा ? इससे जहां पर आपने उसको एक्वायर किया तो वहां पर गलतफहमी पैदा होती है कि क्यों तो एक्वायर किया गया और क्यों ७३ रु० में बाहर भेजा गया है। सरकार ने लिया तो यहां के लोगों के लिए लिया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : श्री ज्वालाप्रसादजी साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वह इस साल की मक्का नहीं थी, पुराने साल की मक्का थी और उससे भी पहले के साल की थी। जो मक्का पहले खरीदी थी वह मक्का ऐसी थी कि उसकी हालत यहां पर खपत के लायक नहीं देखी गई और उसका इन्स्पेक्शन होने के बाद में यह तय किया गया कि यह मक्का राजस्थान में बिकेगी नहीं, उसकी खपत यहां पर नहीं होगी। राजस्थान के अन्दर लोग उसको लेने को तैयार नहीं थे। इसी वजह से सारे फाइनेन्स, ऑडिट वगैरह की दूसरी बातों को ख्याल में रखते हुए किसी भी भाव में बेची है जब कि राजस्थान में लोग ले नहीं रहे थे तो कैसे दें, किसको दें, इन सारी चीजों से बचने के लिये एक मात्र यही उपाय था कि जो व्यापारी इसको लेना चाहें वे बिड्स लगा दें और उसके बाद देश के दूसरे हिस्सों में भेजें। अब आपने सवाल उठाया कि ६३ रुपये में गया या ७२ रुपये में गया, यह मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है कि काफी ऊंची कीमत में गया हो। इसका मुख्य कारण यह है कि हिन्दुस्तान के दूसरे इलाकों के अन्दर खाद्यान्नों की स्थिति बहुत काफी ग्रेव है जिसकी वजह से लोगों की डिमाण्ड ज्यादा थी और व कुछ ज्यादा पैसा देकर भी जो कुछ भी मिले उसको लेने को तैयार थे। मैं सोचता हूं कि उनके ऐसा करने की कैपेसिटी नहीं भी हो तो भी वे मजबूर हो गये कि पर-क्विन्टल इतना ऊंचा दाम दिया।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह मक्का खाने के योग्य नहीं रही थी तो राजस्थान के आदमी उसको खाते तो बीमार हो जाते तो क्या वह कॉमर्शियल पर्पज़ के लिये दी गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : न मैं बीमारी की बात करता हूं और न खाने के लायक का कहता हूं, क्योंकि राजस्थान में अच्छी क्वालिटी का माल जब अवेलेबल है तो इस प्रकार की जो उसकी हालत खराब हो चुकी थी तो राजस्थान में डिस्पोज़ ऑफ होने की स्थिति में नहीं थी इसलिये वे बिड्स लगाई गईं ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : मैं निवेदन करूंगा जैसा आपने कहा कि मक्का खराब हो गई थी तो उस मक्का को झालावाड़ के रहने वाले व्यापारियों ने लिया है । अगर मक्का खराब हुई होती और वहां का नहीं लेता और बाहर का आदमी लेता तो जस्टीफाइड थे । झालावाड़ के व्यापारियों ने ७३ रु० क्विन्टल के हिसाब से लेकर बाहर भेजा है । जिसके लिए आप फर्माते हैं वह मक्का पिछले साल की नहीं थी । आपने ३२ रुपये क्विन्टल के हिसाब से ली वह इसी साल की मक्का है । जब आज भवानीमंडी में गेहूं की शोर्टेज नजर आती है उसका कारण यही है कि जब वहां पर ७३ रु० क्विन्टल में मक्का बिक सकती है तो ६१ रुपये क्विन्टल में गेहूं कैसे बेचेंगे? खास समस्या यही है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझ गया आपकी भावनाओं को । साढ़े ६२ रुपये में बेचने में आपको क्या तकलीफ होती है? आपको तो पैसा मिला ही है । आप जरा खोपड़ी पर जोर दीजिए और विचार कीजिये ।

श्री जोधसिंह चौहान : कुल कितनी मक्का बेची है और उससे कितना लाभ हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह एक ट्रान्जेक्शन नहीं है कि पांच बोरी बेच दी और २५ बोरी ले ली । सरकार की करोड़ों रुपयों की खरीद और बेचान है और उसके नफे और नुकसान की बात जिस तरह से आप सोच रहे हैं वह दिखाने की बात नहीं है ।

श्री जोधसिंह चौहान : अगर आपने इतना लाभ उठाया है तो क्या यह मुनाफाखोरी नहीं है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): यह मंत्री महोदय बता दें कि आपने जो मक्का खरीदी थी वह दूसरे प्रान्तों को नहीं बेची और अधिक रेट्स पर नहीं बेची, यह केटेगोरिकली जवाब दे दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सारा जवाब दे दिया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केटेगोरिकली रिफ्यूज़ किया जाय कि हमने इस तरह का प्रोफिटियरिंग नहीं किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिन बातों के लिए आप पूछ रहे हैं वह मैं कह चुका हूं, आप उस वक्त मौजूद नहीं थे इसलिए आपको पता नहीं कि क्या बहस हो चुकी है । इसीलिए आप बीच में बुलबुले की तरह उछल पड़े ।

श्री दयाराम (नोहर) : इस मक्का को बेचने से पहले जो दूसरे राज्यों में मक्का के भाव थे उनका पता लगाया था क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ब्लैक करने की आवश्यकता थी ।

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

अनुपूरक अनुदान की मांग पर बहस समाप्त हुई । अब मुखबन्ध का प्रयोग किया जाय ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४० लाख रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २८ स्वीकार की गई ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रकम बहुत थोड़ी है ।

श्रीमती सभानेत्री : ४० लाख रुपये हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बहुत कम है ।

श्रीमती सभानेत्री : क्या मतलब है ? क्या बोलने में कम है ?

एक माननीय सदस्य : नहीं ।

शेष मांगों पर मुखबन्ध

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८—संसद, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र विधान सभाएं

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक १८–संसद राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र विधान सभाएं के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,२८,००० रु० की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८ स्वीकार की गई ।

श्री रामकिशन (डेर) : आपने २ लाख ८८ हजार कहा है इसमें २८ हजार है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : २ लाख २८ हजार ही कहा है ।

श्रीमती सभानेत्री : मैंने २८ हजार ही कहा है, आपके सुनने में फर्क रहा है ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ९—सामान्य प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता ।

विपक्ष के अनेक सामान्य सदस्य : 'ना' पक्ष जीता ।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न फिर से रखा जाता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सफेद हाथियों को इस एमर्जेन्सी में चारा नहीं देना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न फिर से रखा जाता है। प्रश्न यह है कि प्रस्तुत मांग स्वीकृत की जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता

विपक्ष के कुछ सदस्य :'Noes' have it.

(मत-विभाजन घंटी)

(३.२० म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Before the voting proceeds I raise a point of order.*

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! मैं फिर से प्रश्न रखता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : वोटिंग के लिये जाने से पहले कुछ लोगों को जो मत देने का अधिकार है हम उनको चुनौती देना चाहते हैं। इसमें विशेष सदस्य भाग नहीं ले सकते, इसलिये आपके डिवीजन की मांग करने से पहले इस पोइन्ट को तय करना जरूरी है। जिन माननीय मंत्रियों की नयी नियुक्ति हुई है उनके बारे में मांग है कि वे इसमें इन्टरेस्टेड पार्टी हैं इसलिये उनको इस मांग में वोट देने का अधिकार नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : वोटिंग राइट तो है, एज़ ए मेम्बर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उनको सदन से बाहर निकाल कर वोटिंग लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 'Noes' have it.

श्री उपाध्यक्ष : Ayes to the Ayes gallery Noes to the Noes Gallery.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : इन चारों मिनिस्टरों को बेंच पर खड़ा कर दिया जाय, फिर पास कर देंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : इस एमर्जेंसी में जो चार-पांच लाख रुपया खर्च करना चाहते हैं ४–५ महीनों में, वे कैसे बड़े आदमी हैं उनको जनता देखे तो सही।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपकी आज्ञा हो चुकी है 'हां' और 'ना' पक्ष में चले जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : यदि सदन की मंशा है तो पुनः प्रश्न रखा जा सकता है।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६ स्वीकार की जाय।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग संख्या ९ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-१२–पुलिस–

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,११, ०१,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १२ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १३–विविध विभाग

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-विविध विभाग के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,६१,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १३ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १८–कृषि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १८ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २१–उद्योग

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २१ स्वीकार की गई।

अनुदान की मांग संख्या २४–विविध सामाजिक तथा विकासशील गठन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९–विविध सामाजिक तथा विकासशील गठन के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २४ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २६-सिंचन नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३ सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री उपाध्यक्ष)

महोदय को २,७१,०२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २९ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३४–विविध

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७१–विविध के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७,१४,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३४ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३६–राष्ट्रीय आपत्काल १९६२ से सम्बन्धित व्यय

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ७८-का–राष्ट्रीय आपत्काल १९६२ से सम्बन्धित व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १४, ९०, ०००)रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३६ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३९–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी का लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,१५,०१,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३९ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४०–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,५०,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४० स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४२–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,४०,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४२ स्वीकार की गई ।

(३. ३२ म.प.)

राजस्थान विनियोग (सं. ५) विधेयक, १९६५ (पुरः स्थापन व विचार-विमर्श)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग

(श्री बालकृष्ण कौल)
(संख्या ५) विधेयक, १९६५ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६५ को विचारार्थ लिया जाय।

(सर्व श्री नाथूलाल करौल, रामकिशन, योगेन्द्रनाथ हांडा भाषण देने को खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल करौल।

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एप्रोप्रिएशन बिल सन् १९६५ (नं० ५) सदन के सामने विचारार्थ उपस्थित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १९ करोड़ २९ लाख ८४ हजार रुपयों की एक सप्लीमेंट्री डिमाण्ड माननीय वित्त मन्त्रीजी ने रखी है यह बिल १९ करोड़ २९ लाख ८४ हजार की डिमाण्ड का है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूर वित्त मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि यह सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड बाद में क्यों आई? जिस वक्त बजट बन रहा था उस वक्त बजट बनाने वालों ने क्या विचार नहीं किया था, या बजट बनाने वालों ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी भारी मांग हमें बाद में लानी पड़ेगी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इतनी बड़ी भारी रकम की मांग, जिस समय कि पाकिस्तान के और हमारे बीच में बड़ा भारी युद्ध चल रहा है, तो यह क्यों लाये हैं और इतना बड़ा भारी बजट क्यों रखा है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी मांग उनको नहीं करनी चाहिये थी। हां, आपने जो फेमिन रिलीफ की मांग रखी है, इसका तो मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि फेमिन हमारे सामने आ गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फेमिन के लिये जो ४० लाख की मांग रखी है इसके बजाय यदि और भी ज्यादा मांगते तो मैं उसका भी स्वागत करता क्योंकि फिर आपको और मांगना पड़ेगा। लेकिन जो पुलिस और दूसरे विभाग एडमिनिस्ट्रेशन या मिसलेनियस या पशु पालन या एग्रीकल्चर आदि की मांग है तो जब बजट बन रहा था तो उस वक्त बजट बनाने वालों ने यह नहीं सोचा था कि इसके लिए हमको दुबारा मांग करनी पड़ेगी इसलिये पहले ही सोच-विचार करके मांगते? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी मांग को उन्होंने बजट में रखा है, यानी १९ करोड़ २९ लाख ८४ हजार की डिमाण्ड एप्रोप्रियेशन बिल में रखी है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि इतनी बड़ी मांग दुबारा सप्लीमेन्ट्री बजट में नहीं आनी चाहिये और ऐसी सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड मैंने इस सदन में प्रस्तुत होते हुए नहीं देखी। १९६५ में मैंने पहली बार ही यह देखा है कि इतनी बड़ी सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड रखी है, ऐसा मैंने पिछले आठ साल के अर्से में नहीं देखा है। इतनी बड़ी भारी डिमाण्ड सप्ली-

(श्री नाथूलाल करील)

मेन्ट्री बजट में लाई गई हो, यह मेरी समझ में नहीं आता कि किसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, क्या यह बजट बनाने वालों की गलती थी जिससे कि इतनी बड़ी भारी डिमाण्ड रखी और यह घोटाला हुआ ?

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फ़ेमिन के मुतल्लिक जो ४० लाख की डिमाण्ड रखी है और जो सदन से मन्जूरी कराई है, उसके लिये मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि फ़ेमिन के लिए जितना पैसा रखा है उसका सदुपयोग होना चाहिये। फ़ेमिन तमाम राजस्थान भर में हो चुका है और होगा, और इसके लिए बड़े भारी कदम उठाने पड़ेंगे जयपुर ज़िले में, सवाई माधोपुर में या टोंक में या सीकर में या झुन्झुनू में या अलवर में या भरतपुर में-भरतपुर में सबसे बड़ा अकाल होगा क्योंकि वहां बड़ी भारी बाढ़ आई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाढ़ का इलाज तो हो सकता है लेकिन जयपुर के अन्दर ज्यादा बारिश नहीं हुई है और नाम मात्र की बारिश हुई है, तो वर्षा नहीं होने की वजह से तमाम फसल सूख गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि फ़ेमिन के कारण, अकाल की स्थिति के कारण मैं माननीय खाद्य मन्त्री जी से विनम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि जयपुर के दस मील के रेडियस में कन्ट्रोल रेट पर गेहूं देवें, जो राशन का गेहूं देते हैं वह कम से कम काश्तकारों को और मजदूरों को जरूर देवें। मैं आपसे निवेदन करूं कि खाद्य मन्त्री जी ने जो बफर स्टॉक बनाया था उसको काम में लावें और काश्तकारों और मजदूरों में उस बफर स्टॉक को बांटा जावे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय जहां जहां जिन जिलों में खाद्य की कमी हो चुकी है वहां पर जो बफर स्टॉक बनाये हैं उसमें से निकाल कर वितरण करने की नीति को अपनायें। जो राशन का गेहूं दे रहे हैं, वह राशन का गेहूं जयपुर शहर में तो दिया जाता है लेकिन बाहर नहीं दिया जा रहा है जबकि जयपुर के दस मील के रेडियस में ज्यादातर मजदूर लोग रहते हैं, उनको राशन का गेहूं जरूर देना चाहिये। मेरा यह नम्र निवेदन है कि जयपुर के दस मील के रेडियस में, जिसमें मजदूर वर्ग ज्यादा है और कम से कम पचास प्रतिशत गरीब लोग हैं और शहरों में मजदूरी करने के लिए आते हैं, उनको राशन का गेहूं, जौ, चना, मक्का, ज्वार आदि देना चाहिये। जयपुर के बाहर त्राहि-त्राहि मची हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस समय जो अकाल हो गया है, उस अकाल का सामना अपन को करना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और निवेदन करनी है कि जब ओलों की वर्षा हुई थी तो सांगानेर और बस्सी तहसील के इलाकों में ओलों की वर्षा के कारण रबी की फसल साफ हो गई, लेकिन उनको आज तक राशन का अनाज नहीं मिला है। मैं खाद्य मंत्री जी को निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिन गांवों में ओले पड़ गये थे, जिन गांवों में फसल नष्ट हो गई थी वहां राशन के अनाज को देने के लिए जिलाधीश को आज्ञा कर दी जाय। इसके साथ ही मैं खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ा हुआ है, वहां अपने बफर स्टॉक का अनाज, राशन का गेहूं या अमेरिकन गेहूं देने के लिए पूरी कोशिश करें। इतना ही कहते हुए मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर के दस मील के

(श्री नाथूलाल करील)
रेडिग्रस में राशन का गेहूं जरूर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो विधेयक पेश किया है उसके संबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है। जो बातें अभी सदन में कही गयीं, इसे मंत्रीजी भी स्वीकार करते होंगे कि केवल छः महीने पूर्व राज्य का बजट आया था। उस बजट के समय के बाद आज कोई संकट की नई स्थिति पैदा हो गई; वैसे मैं समझता हूं कि सरकार यह तर्क दे सकती है लेकिन चीन के आक्रमण के बाद हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिये और खास कर बजट के मामलों में और खर्चों के मामलों में, इसके लिये हमको सन् ६२ में चेतावनी मिल चुकी थी। मगर फिर भी हम उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि मंत्रि-मंडल के पक्ष के लोग एमर्जेन्सी की बात कह कर अनुचित मामलों को भी उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। इसलिये मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी धनराशि की मांग की गई है उसको देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट किस तरह से आया है और जो मांग की गई है वह किस प्रकार से की गई है और यह जो मांग की गई है उससे यह मालूम होता है कि वित्त विभाग और बजट बनाने वाले मंत्री जी जिस तरह से बजट के मामलों में उनको सतर्क रहना चाहिये नहीं रहते और बजट की जैसी परम्परा तैयार करने की होती है और उसके बनाने के पीछे जो तथ्य होते हैं उसकी परवाह नहीं करते। बजट जिस समय प्रस्तुत किया जाता है उस समय जनता को राज्य के खर्चे और आमदनी का ज्ञान होगा और उसको यह पता लगता है कि सरकार को इस तरह के टैक्सेज हमको देने होंगे और सरकार कितने टैक्स बढ़ा रही है। मगर यह जो मांग प्रस्तुत की है और उसमें आपने नोट दिया है उससे यह अन्दाजा लगता है कि राज्य सरकार खुद भी अभी तक कोई निश्चित नहीं कर पाई है कि इस खर्चे को किस प्रकार से मीट करेगी। अभी सरकार इस मामले में अंधेरे में है कि जो मांग सरकार ने पेश की है उसकी पूर्ति के लिये सरकार क्या प्रबन्ध करेगी। सर-कार ने अपने नोट में लिखा है कि अभी तक हमारे ध्यान में कोई बात नहीं है कि खर्चे की पूर्ति किस प्रकार से होगी। मैं यह कहूंगा कि आप मांग तो पेश करते हैं मगर आमदनी का जरिया नहीं बताते कि आमदनी का जरिया कहां से आवेगा ? समाज के कौनसे वर्ग से आप यह पैसा वसूल करेंगे ? मैं कहूंगा कि यह नोट अपने आप में राज्य सरकार की एक प्रकार की निन्दा है। मैं समझता हूं कि सरकार खुद अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रही है कि बढ़ते हुए खर्चे पर रोक कैसे लगाई जावे और कौन कौन से साधन प्राप्त करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक मांग पर बहस हुई है। कुछ नए मंत्रियों की नियुक्ति हुई है, उसके लिये छः लाख की मांग की गई है। मैं लोक तंत्र में मंत्रियों की नियुक्ति को बुरा नहीं मानता क्योंकि जनता जिस दल को शासन के लिये चुनती है तो कुछ अधिकार आपको जनता ने दिये हैं उन अधिकारों का आप दुरुपयोग न करें। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्रियों को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि जब राजस्थान में ६ या ८ मंत्री

(श्री रामकिशन)
भी काम करते थे तब भी काम अच्छी तरह से चलता था और अब जब इतने मंत्री और उप-मंत्री बढ़ा दिये गये और ज्यादा हो गये तो भी काम पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है।

मन्त्री जो बढ़ाये गये हैं वे कोई जनता के कल्याण के लिये नहीं बढ़ाये गये हैं, मगर महज एक व्यक्ति को मन्त्रि-मण्डल में लेने के लिये और अपने गुट को मजबूत बनाने के के लिये इतने मन्त्रियों को बढ़ाया गया है। आज राज्य के मुख्य मन्त्री यहां नहीं हैं. वे कुछ कारण बताते लेकिन मैं कहूंगा कि वे भी कोई कारण नहीं बता सकते कि मन्त्रियों को बढ़ाने में जनता का क्या कल्याण हो सकता है। आज मन्त्रियों के पास पूरे विभाग नहीं और विभागों की यह हालत होने के कारण मन्त्रियों को किसी को समाज कल्याण मन्त्री के नाम से मन्त्री बनाया जिसका बजट नहीं है, नियुक्ति की जाती है तो किसी मन्त्री को पब्लिसिटी विभाग दे दिया जाता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार के सामने जनता के कल्याण की कोई बात मन्त्रि-मण्डल में मन्त्रियों को बढ़ाने की नहीं है। अगर मन्त्रियों के बढ़ाये जाने से जनता का भला होता या कोई कल्याण होता तो उसका कोई औचित्य होता। मगर आज हम देखते हैं कि दल-बन्दी के कारण मन्त्रियों को अपने गुट को मजबूत बनाने के लिये बढ़ाये जाते हैं। आज राजस्थान सरकार और हिन्दुस्तान की सारी कांग्रेस पार्टी दलों में विभक्त है। आज चार नये मन्त्रियों की नियुक्ति हुई है वह महज दलबन्दी के करण हुई है और इसका दण्ड सारी जनता को भुगतना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : आपको तो फायदा ही है।

श्री रामकिशन : आप लोग शान्ति से सुनें तो मैं कहूंगा कि आपको भी इससे कोई फायदा ही होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अगर वर्ष के अन्त में जब सरकार ठीक तरह से काम कर रही है और चुनाव होने वाले हैं कुछ ही समय में, उस समय नये मन्त्रियों की नियुक्ति की क्या ज़रूरत थी ? या तो मुख्य मन्त्री यह कहते कि मन्त्रियों का काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है इसलिये नये मन्त्रियों की नियुक्ति से जनता को कुछ फ़ायदा होगा और काम अच्छी तरह से होगा, तब तो कोई बात होती। मगर आप और हम सभी जानते हैं कि मन्त्रियों की नियुक्ति के पीछे जनता के कल्याण की कोई बात नहीं है। इसका तो एक ही कारण है और वह यह कि अपने गुट को मजबूत बनाना और कुछ लोगों को खुश रखना, इसक लिये मन्त्रि-मण्डल में नये मन्त्रियों की नियुक्ति की गई है।

वैसे तो मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि जब हम खर्च करने की बात जनता में कहते हैं और जब चीन और पाकिस्तान से युद्ध की परिस्थिति है, तो ऐसे समय में कौनसी ऐसी विशेष बात पैदा हो गई जिससे आपको विशेष तौर पर नये मंत्रियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता हुई। नये मंत्रियों की नियुक्ति से मुझ कोई प्रसन्नता नहीं है। आपने अपने बेलेन्स को बनाये रखने के लिये चार बेकार मंत्रियों को लिया। एक ब्राह्मण को लेने के लिये आपको बाकी दूसरों को लेना पड़ा।

(श्री रामकिशन)

आज जिस समय पाकिस्तान एक तरफ अपनी फौज में सैनिकों और सैनिक अधिकारियों को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ चीन अपनी सीमाओं को मजबूत करने के लिये अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है, उस समय हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री बेकार मंत्रियों की फौज को बढ़ा रहे हैं। मैं आपको चीन से जो बुलेटिन निकला है उसके बारे में बताना चाहता हूं। उसको आप देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर ५०० मंत्री चीन में थे और वहां के मंत्रियों की यह स्थिति नहीं है जो यहां के मंत्रियों की है। उनकी अलग स्थिति है। फिर भी उन्होंने ५०० मंत्रियों में से कटौती करके २५० मंत्री ही रख दिये हैं, मगर यहां पर मंत्री बढ़ाये जा रहे हैं, इसका क्या कारण है, मैं नहीं कह सकता। पहले कामराज प्लान के तहत यह कहा जाता था कि कटौती करके मंत्रियों की संख्या कम की जाए। उसके अनुसार, उसके बहाने, आपने जिसको निकालना था निकाल दिया। ठीक है, आप कह सकते हैं कि यह तो कामराज का अन्दरूनी मामला था। मगर हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई है। पंजाब में आप देखेंगे कि मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई, पश्चिमी बंगाल में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई और राजस्थान में भी मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई है।

आप एक तरफ तो यह कहते हैं कि खर्चे को कम करेंगे और जनता से अपील करते हैं कि खर्चे को कम करके त्याग की भावना पैदा करें। जब कभी इस सदन में कहते हैं तो यही कहते हैं कि खर्चे को कम करके और सोशियल एमीनीटिज को खतम करके हमें देश की रक्षा करनी होगी। मगर आप फालतू मंत्रियों को बढ़ाते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने जो मंत्रियों की संख्या बढ़ाई है यदि उसमें आदिवासियों के मंत्रियों की संख्या में वृद्धि होती या सेना में लड़ने वाले सिपाहियों के मंत्री होते तो उनको उचित कह सकते थे। मगर आपको एक व्यक्ति को मंत्री मंडल में लाना था उसके लिये आपको चार अन्य व्यक्तियों को भी मंत्री मंडल में शामिल करना पड़ा। मुझे इस बात का बहुत दुख है और मैं यह कहूंगा कि यह जाति वाद और गुटबन्दी ही हिन्दुस्तान की तबाही का एक मात्र कारण एक हजार वर्षों से कायम रहा है। मैं कोई द्विज विरोधी नहीं हूं, मैं भी उसी कुल में से आया हूं, लेकिन देश और समाज का ध्यान पहले रखा जाता है। इस लिये गुटबन्दी और जातीयता के आधार पर आपने फैसला किया है वह नहीं किया जावे; लेकिन हम देखते हैं कि जितने भी सरकार को चलाने वाले हैं उनका दृष्टिकोण इस मामले में बहुत अच्छा नहीं है। आपने जो नये मंत्रियों की संख्या बढ़ाई है उसके लिये आप छः लाख की धन-राशि मांगते हैं, मगर मैं यह कहूंगा कि आज एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान युद्ध की परिस्थिति को देखते हुए हमको ज्यादा आवश्यकता धन को सैना की आवश्यकता के लिये खर्च करने की है और मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री भी इसके लिये सहमत होंगे कि हमको ज्यादा धन देश की रक्षा के लिये खर्च करना चाहिये। मगर आज हम देखते हैं कि मंत्रियों के लिये रेफरीजेटर खरीदे जाते हैं। यदि आज की परिस्थितियों में आप रेफरीजेटर नहीं भी खरीदें तो काम चल सकता है। हमारे बाप-दादों ने कभी रेफरीजटरों में पानी नहीं पीया। इसलिये यदि हम भी इस संकट-कालीन स्थिति में रेफरीजेटर नहीं खरीदें तो काम चल सकता है।

श्री उमरावसिंह ढावरिया (बनेड़ा) : आप देखिये कि डेढ लाख का बंगला रेफरीजेटर के बिना कैसे शोभा दे सकता है?

श्री रामकिशन : मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार इतनी बड़ी धन-राशि अकारण ही खर्च कर रही है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि जब चीन और रूस में क्रांति हुई, मैं रूस और चीन की कोई प्रशंसा नहीं करना चाहता और न मैं उनका प्रशंसक हूं; लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूस की क्रांति के बाद वहां के मंत्रियों का रहन-सहन कैसा था? आज हमारे यहां हालत यह है कि मंत्रियों के लिए नई कारें ६५ हजार की खरीदेंगे ५५ हजार की राजभवन के लिये विशेष तौर पर विदेशी कार खरीदी जावेगी। देशी कार में व नहीं चल सकते। समझ में नहीं आता कि आखिर यह हो क्या रहा है? एक तरफ तो आप चीन और पाकिस्तान के संघर्ष के समय में संकटकालीन स्थिति में खर्च को घटाने की बातें करते हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह खर्चे को बढ़ाते हैं। सरकार को मैं कहूंगा कि ईमानदारी से जनता के मन को जीतना चाहिये। आप आज अपनी बहु-संख्या के बल पर, अपनी ताकत के आधार पर इस मांग को स्वीकार करवा लें, लेकिन मैं यह कहूंगा कि आज आप अपने बहुमत से जो कार्य करते हैं उसका असर जनता पर एक एक बोझ का पड़ता है। जनता हमसे पूछती है।

जब चीन और पाकिस्तान अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं उस समय राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अपने यहां बेकार मंत्रियों की फौज को बढ़ा रहे हैं। अगर मंत्री मोर्चों पर लड़ने के लिये जाते तो उनकी उपयोगिता कही जा सकती थी। आपने केवल गुट के आधार पर, अपने दल को मजबूत बनाने के लिये, मंत्रियों की संख्या बढ़ाई है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिये, खास तौर से देश को बनाने और बिगाड़ने की जिम्मदारी आप पर है, कांग्रेस पर है। आप जो परम्परा डालेंगे उसके अनुसार आगे वाली संतति जब वह सत्ता में आयेगी तो वह भी उसी राह पर और आपकी परम्परा पर चलेगी। इसलिये मैं सभी सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस मांग का दृढता के साथ विरोध किया जावे।

अब इसमें एक बात ऋण देने के लिये कही गयी है। आपने कोटा की नाइलोन फैक्टरी को २० लाख देने की बात कही और १॥ लाख धौलपुर हाई टैक्निक को देने की। मैं नहीं समझता कि आपकी संकटकालीन स्थिति में किस प्रकार से सहायता देने और ऋण देने की नीति है? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति न तो पूंजीवादी है, न समाजवादी है। आपकी सरकार की नीति तो 'अफसरवादी' नीति है। मुझे इससे कोई विरोध नहीं कि आप नाइलोन फैक्टरी को क्यों ऋण देते हैं। आप दीजिए लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि जब समाज को आगे बढ़ाना होता है और देश को आगे बढना होता है तो पिछड़े हुये देश की मर्यादा कायम करनी होती है? आज हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में मोटे कपड़े की जरूरत है। चीन और पाकिस्तान की समस्या हिन्दुस्तान के सामने है। आज हमारे सैनिकों को चीन का मुकाबला करने के लिये कम्बलों की जरूरत है, उनको सर्दी से बचाने के लिये मौजों की जरूरत है और भी तरह तरह की चीजों की जरूरत है, लेकिन आपने नाइलोन के लिये २० करोड़ रुपये दिए हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, चाहे लोग चमकदार

(श्री रामकिशन)
कपड़े पहने और उनसे लोगों के उन कपड़ों से चमकदार चहरे लगें। मगर मैं कहूंगा कि आप यदि रूस में जावेंगे तो आप देखेंगे · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : आप रूस की बातें कहते हैं, वे क्या रूस की सुनते हैं ?

श्री रामकिशन : आप में से कई माननीय सदस्यों ने विदेश की यात्रा की होगी और देखा होगा । आप जानते हैं कि उनका पहनावा क्या था ? जो उत्तर वियतनाम के किसान पहनेंगे वही वहां का प्रेसिडेन्ट पहनेगा। लेकिन हमारे यहां की हालत क्या है, वह सब आपके सामने है, किसी सेठ को नायलोन में ज्यादा नफा होगा तो वह नायलोन की फैक्टरी लगायेगा, राजस्थान सरकार उसको कर्जा देगी; यदि किसी सेठ को लिपस्टिक में ज्यादा मुनाफा होगा तो वह लिपस्टिक की फैक्टरी लगा देगा और उसको सरकार कर्जा देगी। हमारे देश को आज इस समय किस किस चीज की जरूरत है उन चीजों के लिये उद्योग नहीं लगाते, आज हमारे देश में इस प्रकार के धंधों को लगाते हैं जिनकी जरूरत १५ साल बाद हमें थी। आज जिस चीज की सबसे पहले आवश्यकता है उस चीज के धंधे लगाने के लिये, उन चीजों की फैक्टरियां खोलने के लिये, कारखाने खोलने के लिये सरकार पैसा नहीं देती, इस प्रकार के कारखाने नहीं लगाती – इस सम्बन्ध में मैं तो यही समझता हूं कि इस सरकार में सूझबूझ की कमी है। किस तरह पैदावार बढ़ावें किन चीजों को प्राथमिकता दें, इस सबका आभास इन मांगों से कतई नहीं होता।

अभी कृषि मंत्रीजी बोल रहे थे कि हमें सूअर पालने चाहिये, हमें मुर्गे पालने चाहिये, बजट में उसके लिये विधान किया है। मैं कोई धार्मिक पहलू पर विचार नहीं करता। कोई मुर्गा खाना चाहे तो एक की बजाय दो मुर्गी खाये, एक अंडे के बजाय १५ अंडे खाये, पर इनके लिये भवन बनाने पर, लेबोरेटरीज बनाने पर, सरकार चार पांच लाख रुपया खर्च करेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): कौनसे भवन हैं, जरा बताइये तो ?

श्री रामकिशन : मैंने इसे अच्छी तरह पढ़ा है, चार-पांच लाख रुपया भवनों पर लेबोरेटरीज पर खर्च किया जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बताइये, मैं नहीं मानता · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) ये मानने वाले भैरव हैं क्या? आप भाषण जारी रखें।

श्री रामकिशन: कुक्कुट शालाओं के लिये भवनों के लिये पैसा मांगा है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर पैसा आपके पास होगा, अगर देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो आप ही कुक्कुटशालाएं खुल जायेंगी। आप इस समय खेती और कारखानों के लिये मांगिये, खेती और कारखाने जहां खड़े हो जाते हैं, वहां बाकी ये सब चीजें आसान हो जाती हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क में प्रगति हुई वह खेती और कारखानों में तरक्की करने से हुई। पिछड़े देशों में

(श्री रामकिशन)

इस प्रकार से व्यवस्था नहीं की जाती जिस प्रकार की आप कर रहे हैं। राजाओं के, जागीरदारों के भवन बने पड़े हैं, इस एमर्जेन्सी के समय में इन भवनों के लिये पैसा खर्च मत करिये। मुर्गीपालन को, मछली पालन की तादाद बढ़ाओ पर इनके भवनों के लिये पैसा खर्च मत करिये, आज हमें जिन चीजों की सबसे पहले आवश्यकता है उनके लिये पैसा खर्च करिये। इमिजियेटली हमें किन किन चीजों की प्रमुखता से आवश्यकता है, उन चीजों के बनाने के लिये, उद्योग लगाने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो देश कमजोर होगा, लोगों से आप ज्यादा टैक्स वसूल करेंगे इससे आम लोगों में असंतोष पैदा होगा और चीन जो चाहता है कि हिन्दुस्तान में असंतोष पैदा हो, सैनिक दृष्टि से हिन्दुस्तान कमजोर हो, तो आपकी इस प्रकार की व्यवस्थाओं से चीन के ये दोनों उद्देश्य सफल होते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और कोई बोलने वाला तो है नहीं . . . . .

कुछ माननीय सदस्य : हम बोलेंगे।

श्री रामकिशन: अभी मुझे दो-तीन आवश्यक बातें और कहनी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ! आप दो मिनिट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री रामकिशन: जैसे धौलपुर के लिये आपने हाई टेक्निक के लिये डेढ़ लाख का प्रावधान किया है। इसी सदन में पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था कि धौलपुर के उद्योग की स्थिति क्या है ? वहां के मालिकों ने, शेयर होल्डरों ने ६० हजार रुपये का पानी का खर्चा बताया। वहां कोई नल नहीं, कोई कुआ नहीं, पाइप नहीं और कह दिया कि ६० हजार रुपया पानी पर खर्च हो गया। मैंने देखा कि यह कोई ताज बीबी का रोजा है या ताजमहल बनेगा, कहीं शाहजहां को वापिस बुलाना पड़ेगा कि ताजमहल के बनाने में पानी का क्या खर्चा आया, उस समय राजकीय उद्योगों के मंत्री हैं उन्होंने कहा कि पाइप पड़े हैं, कुएं खुदे हैं, आपको पता नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि वहां कौनसे पाइप लगे हैं, कौनसे कुए खुदे हैं कुछ भी तो नहीं। मेरे तो एक बात समझ में आती है, वह यह है कि सरकारी उद्योगों को, राजकीय उद्योगों को ये मंत्री जान-बूझ कर बदनाम कर रहे हैं क्योंकि ये असमाजवादी मंत्री हैं। मुंह से तो इस प्रकार की बात कह नहीं सकते पर इस प्रकार का आचरण करते हैं कि राजकीय उद्योग बदनाम हों। ये राजकीय उद्योगों को बदनाम करना चाहते हैं। मंत्रि-मंडल के सारे लोगों का जो अचरण है इनकी जो कार्यवाह हैं वे निश्चित रूप से राजकीय उद्योगों को बदनाम करने वाली हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि सदन इन सारी मांगों को अस्वीकार कर दे, सेनाओं के लिये, युद्ध-पीड़ितों के लिये जो मांगें रखी हैं उनको पास कर दें। आज हमें कमाण्डरों की, सूबेदारों की, हवलदारों की जरूरत है, इधर-उधर वाले लोगों को इकट्ठा कर के धन का दुरुपयोग नहीं करें।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानसिंह महार ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो २० करोड़ की सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड्स आई उनको देखा तो मैंने समझा कि हमारे व त्रीजी ने, चूंकि राजस्थान की सरहद पर बहुत बड़ी उथल-पुथल हो रही है तो वाजिब चीज ही है कि वहां के इन्तजामात के लिये २० करोड़ है । पर दुख की बात है कि इसे पढ़ा गया तो मैंने देखा कि आर. ए. सी. के जवानों की तनख्वाह बढ़ाने के लिये या उनको हथियार देने के लिये सरकार पैसा नहीं ले रही है । फिर भी पुरानी चाल की दो बटालियन बढ़ा दीजिये उनके लिये रुपया चाहिये । कोरी बटालियन बढ़ाने से क्या होता है ? आपको उनके लिये आधुनिक अस्त्र-शस्त्र मंगाने चाहिये, उसके लिये कोई प्रावधान नहीं इसमें ।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि बोर्डर पर जो सेना के आदमी हैं उनसे अधिक खतरे में हमारे आर. ए. सी. के जवान हैं । पांच-पांच, दस-दस आदमी हैं कुल एक पोस्ट पर लेकिन सेना के मुकाबले उनको जो एमेनिटीज हैं वे आधी हैं । उनको अस्त्र-शस्त्र नहीं, खाने-पीने का इन्तजाम अच्छा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स में उनके लिये एक पैसे की मांग नहीं है, यह दुर्भाग्य की बात है । मुख्य मंत्रीजी जैसलमेर जाते हैं सब चीजें अपनी आंखों से देखते हैं और देख कर आंखें बन्द कर लेते हैं । आज जो खतरे में हैं जिनमें से बहुतों ने वीर गति को भी प्राप्त किया है उनके लिये कोई विचार नहीं । यही कि दो बटालियन और खड़ी कर दीं । दो क्यों चार कीजिये, लेकिन आर. ए. सी. वालों को भी वैसी ही एमेनिटीज दीजिये जो मिलिटरी को देते हैं । मिलिटरी को किस प्रकार फल वगैरह देते हैं लेकिन आर. ए. सी. वालों के लिये कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं मिलता ।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले कुछ रियायतें आर. ए. सी. वालों को सरकार ने दी थीं, लेकिन जिस रोज कच्छ सीमा पर युद्ध विराम हुआ उस दिन से सारी एमेनिटीज विथड्रॉ कर ली । अंग्रेजी में कहावत है कि "आर्मी फाइट्स ऑन इट्स स्टमक" यानी जो फौज होती है वह पेट पर लड़ती है । अगर उनको अच्छा खाना वगैरह दिया जाता है तो अच्छी तरह लड़ते हैं । ऐसी कौम से आया हुआ होने के नाते जो कि लड़ाई वगैरह के मामलों को समझती है, मैं बताना चाहता हूं कि वहां चूर्मा-बाटी के जीमण से पार नहीं पड़ती है । आर्मी के लिये अपने ढंग का खाना चाहिये, अपने ढंग के हथियार चाहियें । उन लोगों को एमेनिटीज दीजिये, उनकी फैमिलीज के लिये भी कुछ कीजिये । यह दुख की बात है कि आर्मी का कोई मरे तो फौरन परमवीर चक्र मिले और आर.ए.सी. वालों के लिये कुछ भी नहीं । क्या किया आपने उनके लिये ?

आज सदन का मूड इस प्रकार का नहीं होना चाहिये कि कृषि के अन्दर दो कुवे खोद दिये या किसी उद्योग को दस-पांच रुपये दे दिये, कुछ रुपये इनायत कर दिये, आज सदन का मूड यह होना चाहिये कि आज हमको एक देश से नहीं, दो देशों से, दो दुश्मनों से लड़ना है और अपना सर्वस्व बलिदान करना है । अगर यह मूड लेकर चलते हैं

(श्री मानसिंह महार)

तो पाकिस्तान तो क्या, चीन तो क्या, कोई भी देश होगा उसका आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे मंत्री महोदय ढीले ढाले बैठे हैं। उनको ध्यान नहीं कि बोर्डर पर क्या हो रहा है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे वित्त मंत्री २० करोड़ रुपये के बजाय ५० करोड़ रुपये की डिमांड ले आते लेकिन लाते राजस्थान की सीमा की रक्षा के बारे में। जोधपुर के अंदर बमबारी हुई। वहां के जो क्षतिग्रस्त लोग हैं उनको सहायता देने की बात करते तो मैं मानता, लेकिन इसमें ४ लाख किस बात के दिए जाते हैं कि उदयपुर में हिंदू-मुस्लिम दंगे हो गए हैं, उन लोगों को ४ लाख दिए जायें। यह शर्म की बात है। आप खतम हो जायं, मुझे चिन्ता नहीं, भगवान आपको जल्दी खत्म करे तो अच्छा है, लेकिन आप अपनी हरकतों से देश को खत्म कर रहे हैं।

(४.००म.प.)

(एक माननीय सदस्य के कुछ बोलने पर)

यह "मीं-मीं" मैंने सुनी नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): यह "मीं मीं" क्या बला है?

श्री मानसिंह महार: आज राजस्थान में गली-गली में हम सुन रहे हैं और हमने देखा कि जिस समय देश पर आफत आई, जिस समय पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया, हम सब एक थे, हम सब ने एक होकर मुकाबला करने का प्रण लिया लेकिन राजस्थान सरकार ने क्या कर दिया था? जिस दिन गडरा रोड़ पर हमला हुआ उस दिन राजस्थान सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, यह नहीं कहा कि सब आकर, मिलकर, मीटिंग करें। हम तो आपके साथ थे क्योंकि भारत के बाशिन्दे हैं लेकिन उस दिन जयपुर में मीटिंग किसकी होती है? जयपुर जिला कांग्रेस की ओर से मीटिंग होती है, सुखाड़िया जी पहुंचते हैं, हरिदेवजी भी अपने नए मंत्रित्व को लेकर पहुंचते हैं; कहते हैं कि हमने भारत के प्रधान मंत्री से मांग की कि राजस्थान को भी कुछ बहादुरी दिखाने का गर्व प्रदान किया जाय और हमने फौज को इजाजत दी कि तुम आगे बढ़ो। हम जानते हैं सुखाड़िया जी, कि आपको कौन इजाजत देता था, फौजियों के पास आप जाकर बात कर सकते हैं, आपका लेना देना कोई नहीं। लेकिन जनता को गुमराह करें, यह दुर्भाग्य की बात है ...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): इसमें दुर्भाग्य की क्या बात है?

श्री मानसिंह महार: राजस्थान के मुख्य मंत्री को झूंठी बात नहीं कहनी चाहिए। एक गलत स्टेटमेंट के लिये ऑल इंडिया रेडियो को दस दिन तक उस चीज को छुपाना पड़ा। मंत्रियों को अपनी जुबान पर कन्ट्रोल करना चाहिये। हम जब सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की मीटिंग से होकर जा रहे थे तो लोग कह रहे थे कि सर्वदलीय मीटिंग है। हमने कहा 'होगी'; उधर जाकर देखा तो डी.सी.सी. की मीटिंग है; फिर भी उसके दूसरे दिन सर्वदलीय मीटिंग हमने चौपड़ पर बुलाई। उस मीटिंग से जिसमें गड़रा रोड़ की फतह की बात की गई उससे तिगुने आदमी थे। फिर भी हम आपके साथ हैं, पर मैं दोहराना चाहता हूं कि "First deserve and then desire" आप लोग अगर हमारा सहयोग चाहते हैं तो आपके दिमागों में सहयोग की भावना चाहिए।

(श्री मानसिंह महार)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने भूमिका ही बांधी है। बड़े दुःख की बात है कि सरकार अभी कहती है कि पार्लियामेंट की तरह यहां भी सर्वदलीय कमेटी बनाई जाय। मुझे सर्वदलीय कमेटियों का बहुत अनुभव है। इसी सदन में मुख्य मंत्रीजी और खाद्य मंत्रीजी ने ऐलान किया कि कुछ जिला-वाइज और सब-डिवीजन वाइज सब—कमेटियां बनेंगी, उनमें सब विधायकों को रखा जायगा। हमारी जयपुर जिला सब-केमेटी बनी, एक सब-डिवीजन कमेटी बनी। तीनों की एक मीटिंग तो बुलाई। उन मीटिंगज में अनाज, शक्कर, वगैरह के वितरण के बारे में जो हम लोगों ने ऐसे सुझाव दिये जिनसे इंतजामी मामला ठीक हो सकता था तो हमारे कलेक्टर महोदय और एस.डी.ओ. ने आज तक उसके बाद कोई मीटिंग नहीं बुलाई। कृषि मंत्री मौजूद हैं, मैं उनके सामने कहना चाहता हूं। जो एडवाइजरी कमेटीज थीं वे कहां गईं; जिनके लिए आपने सदन में इस तीर्थस्थान पर ऐलान किया? इस तीर्थस्थान पर आप गलत ऐलान करते हैं। आप क्या समझते हैं? वे कमेटियां आज फंक्शन नहीं करतीं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): आप तीर्थस्थान पर बोलते कैसे हैं, वह ध्यान रखें।

श्री मानसिंह महार: मैं इस तरह से बोलता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): भाषा आपसे सुंदर है। आपने तो ऐतिहासिक रिकार्ड क्रिएट किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा: वह तो जैसा दिमाग वैसी समझने की शक्ति।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: वह तो आपको धन्यवाद। आप जैसा प्रेक्टीकल डिमोंस्ट्रेशन सदन में नहीं किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): रिकार्ड दिखा दो।

श्री मानसिंह महार: अब समय वह है जब कि हम सबको एक होकर काम करना है। आपकी फिसीपेरियस टेन्डेंसीज हैं कि जयपुर में विधान सभा से हारे हुए सदस्यों को रीइन्स्टेट डिफेंस के नाम पर किया जाय, यह टेन्डेंसी अब चलने वाली नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम् सवाल है, देश की आजादी का सवाल है, मैं इस पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: यह अनुपूरक मांगों का सवाल है। आप १२ मिनट बोल चुके हैं।

श्री मानसिंह महार : मैं पांच मिनट और बोलूंगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जयपुर शहर में हारे हुए लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनसे लम्बे भाषण दिलाए जाएं; श्री रामकिशोर व्यास, नवाब अमीन अहमद और न मालूम कौन से आदमी बुलाए। यह डिफेन्स के मामलों में चलने वाली बात नहीं है। आप औरों की जबान बन्द कर सकते हैं, लेकिन मानसिंह को सही कहने के लिए बन्द नहीं कर सकते। आज जयपुर जिले में अकाल के बादल छा रहे हैं। सहायता के लिए डिमान्ड होती है तो ४० लाख रुपये मिलते हैं। ४ मन्त्रियों के लिए ६ लाख और जयपुर जिले की जनता के लिए जब अकाल पड़ता है तो उसके लिए ४० लाख रुपये। कितनी मेहरबानी आपकी

(श्री मानसिंह महार)
जयपुर जिले के १० लाख लोगों के लिए ४ रुपये की पांती आएगी ? लोग त्राहि-त्राहि मचा रहे हैं और मन्त्री महोदय हंस रहे हैं। क्यों नहीं हंसें ? उनकी अंगूर की बेलें तो जोधपुर में फल–फूल रही हैं, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं हुई तो एक बम वहां पर भी गिरने वाला है । वे नहीं रहेंगे, जनता के खून से सींची हुई बेलें भी नहीं रहेंगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : बड़ा सुन्दर आपका भाषण हो रहा है।

श्री मानसिंह महार : बैठ जाइये । मैं बिल्कुल सही कहता हूं। आपने जनता के खून से बेलें सींची हैं, उनके लगने वाले अंगूर भी सूखेंगे, जनता के खून से सींची हुई बेलें, फलेंगी-फलेंगी नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : कई कौए टांय टांय करते ही रहते हैं, मुझे परवाह नहीं।

श्री मानसिंह महार : वैसे काठ के उल्लू कई बैठे रहते हैं। हमें भी इन काठ के उल्लुओं की परवाह नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल) : मेरा निवेदन है कि कौए और उल्लू दोनों सदन से बाहर चले जावें।

श्री मानसिंह महार: कौए होंगे वे चले जावेंगे। उल्लू तो बैठे रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज?

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, एक नई व्यवस्था हुई है। इधर घोर अकाल है और उधर बिजली ठप्प । गांवों के लोगों को नोटिस मिल गया कि समय से मोटरें चलाइये। कुओं में बारिश न होने से पानी कम हो गया। पानी कम हो गया और समय से मोटरें चलायें तो खेतों में पानी पहुंचता नहीं है। एक काश्तकार दिन-रात छः छः बार मोटर चलाये तब जाकर बीघा दो बीघा जमीन काश्त होती है। कल मैं हमारे इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन चौमूं पर गया और कहा कि काश्तकार त्राहि-त्राहि कर रहे हैं , क्या बात है ? जवाब मिलता है कि ट्रान्सफॉर्मर नहीं है । एक यह है जो ओवर लोडेड है। १५ मिनिट चलने के बाद फ्यूज उड़ जाता है। ओवर लोड कैसे हुआ ? कहा कि अन्धाधुन्ध कनेक्शन दे दिये। अगर अन्धाधुन्ध दे दिये तो दूसरा ट्रान्सफॉर्मर रखिये । दस-बीस ट्रान्सफॉर्मर्स की मांग होती या अकाल के लिए बड़ी रकम होती तो मैं मानता कि जनता को तकलीफ हो रही है और यह मांग वाजिब है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कन्क्ल्यूड ही कर रहा हूं।

किन यह पैसा काहे का चाहिये ? मन्त्रियों के लिये नयी नयी मोटरें हों या नये नये मन्त्री हो जायं । एमर्जेन्सी हो गई, काम बढ़ा। चार-पांच नये मन्त्री हो गये। जनता से कहा जाता है कि खर्चा कम करो, नये नये टैक्स लगाये जावेंगे। खर्चा कहां होता है ? मन्त्रियों की तनख्वाहों पर; इनकी नयी नयी मोटरों पर। इससे अधिक दुरुपयोग और कहां होता है ? सुखाड़ियाजी को नये मन्त्री लेने थे तो चार पुरानों को धक्का देते। बेकार हैं उनको धक्का देते ; जो नाकाबिल हो चुके हैं उनको हटा देते तो संतोष कर लेते।

एक माननीय सदस्य : वे कौन हैं जिनको हटा देते ?

(आवाजें "फूड मिनिस्टर")

श्री मानसिंह महार : वे तो नम्बर १ हैं। सब लोग मर जावेंगे तो नाथूरामजी अकेले ही होली का राम राम करेंगे।

आज राजस्थान की यह हालत है। आज २० करोड़ की सप्लीमेन्टरी डिमान्ड पेश हुई है वह समायानुकूल नहीं है। यह एमर्जेन्सी का समय है। इसमें कोई नयी चीज होती तो सहर्ष उसको पास करते जैसे राजस्थान की सरहद के बारे में कुछ होता, अकाल को दूर करने के लिये युद्धस्तर पर कोई योजना होती। लेकिन यह तो नाइलोन की फैक्टरी को देने के लिये वगैरह वगैरह। इसलिये माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि इस डिमान्ड को फैंक दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि समय कम है और ४॥ बजे से मैं चाहूंगा कि सरकार जवाब दे। इसलिये बहुत संक्षेप में अब भाषण हों।

श्री दयाराम (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो सप्लीमेन्टरी बजट रखा है उससे चौगुना बजट भी रखा जाता तो हमें उसकी खुशी होती, लेकिन फिलहाल हालत को देखते हुए जिस परपज के लिये, जिस काम के लिये यह रकम काम में लायी जावेगी उसको देखते हैं तो बड़ी चिन्ता का विषय है। आज के दिन मुल्क पर संकट है। सारे मुल्क पर संकट है और अन्य राज्यों को देखा जाय तो वहां केवल युद्ध का संकट है। लेकिन राजस्थान पर तीन तीन संकट हैं। युद्ध का संकट, अकाल का संकट और तीसरा इतना बड़ा सप्लीमेन्टरी बजट आने का संकट है। आज जनता जब कि दुःखी है, उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है उस समय इतना बड़ा बजट रख कर जनता से कर वसूल करने की कोशिश करेंगे जब कि वह सरकार की हमदर्दी के लिये उसकी तरफ उसका मुंह ताकती है, उनसे सरकार और टैक्स वसूल करना चाहती है, इस तरह से तो एक संकट और खड़ा किया जा रहा है इतना बड़ा बजट लाकर। मैं समझता हूं यह बिल्कुल अनुचित है। अकाल सहायता के लिये पचास लाख रुपया, सुरक्षा के लिये केवल एक करोड़ रुपया। देश की सुरक्षा और अकाल के लिये ६० करोड़ का बजट भी लाये होते तो देश के लिये सब कुछ लोग दे देते। सुरक्षा के नाम पर थोथी बातें कही जाती हैं। मनोबल की बात कही जाती है। जो लोग सीमावर्ती इलाकों से आते हैं उनसे पूछो कि जनता की क्या हालत है ? जो सीमा के पास वाले इलाके में पैसे वाले हैं वे सबसे पहले भागे। अधिकारियों से इस विषय में शिकायत की, अधिकारियों ने कोई रुख नहीं अपनाया। उनसे कहा गया कि इस तरह से भागने से जनता का मनोबल बिगड़ता है लेकिन अधिकारियों ने, क्योंकि पैसे वाले भाग रहे थे, अधिकारियों के बीबी-बच्चे भाग रहे थे, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। गंगानगर की ही बात कहदूं। पैसे वाले लोग भाग कर नोहर और भादरा में इकट्ठे हो गये। कलेक्टर गंगानगर से कहा, रायसिंहनगर, करणपुर और फाजिलका तक के लोग भाग कर नोहर-भादरा में इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसी सूरत में आपको चाहिये कि अनाज वह भिजवायें। हमारे वहां आगे ही अकाल पड़ रहा है। मगर कलेक्टर साहब चुप हो गये।

(श्री दयाराम)
आप अकाल डिक्लेयर करें या न करें; पर ऊपर वाले ने तो इतना भयंकर अकाल डाला है कि पिछले १८ वर्ष में इससे अधिक भयंकर अकाल पड़ा नहीं। आंखें मींच लेने से और मुस्कराने से समस्या हल नहीं हो जाती। मुल्क के सामने खतरा है उससे,निबटने के लिये कुछ न कुछ करना होगा। फिलहाल सरकार का रवैया चल रहा है वह वैसा ही है।

"आप डूबत पांड्या ले डूब्या जजमान"

यह सरकार खुद डूब रही है और मुल्क को भी डुबोयेगी। ऐसे आसार नजर आते हैं।

(विरोधी पक्ष द्वारा "हियर-हियर")

पाकिस्तान ने मुजाहिदों की सेना खड़ी की। हमारे इलाके की जनता सरकार के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर लड़ने के लिये तैयार है लेकिन जब हथियारों और सामग्री और ट्रेनिंग देने का सावल किया जाता है तो अधिकारियों का मुंह बन्द हो जाता है। ऐसे भयंकर समय में जनता ने लड़ाई लड़ी है। जनता का मुल्क है। आगे भी वह लड़ेगी। आप सहयोग दें या नहीं। आप लड़ें न लड़ें, जनता लड़ेगी आगे भी। जब जनता सहयोग देना चाहती है तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाना चाहते हैं ? आपको फायदा उठाना चाहिये। आज पाकिस्तान धमकी देता है टर्की, इरान और पाकिस्तान तीनों एक सीध में हैं इन तीनों की तोपों और टैंकों का मुंह हिन्दुस्तान की तरफ हो जावेगा। चीन की तोपों का मुंह हिन्दुस्तान की तरफ हो जावेगा, उस हालत में आप सोचते हैं कि पचास लाख की छोटी सी राशि राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हो काफी होगी और १ करोड़ सुरक्षा के लिये काफी होगा? आपकी बुद्धि का दिवाला निकल चुका है जिन प्लान्स पर काम चल रहा है चालू रखें, बाकी बन्द कर दें।

आप युद्धकालीन स्तर पर योजनायें बनाते। गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक का इलाका ऐसा है कि उसमें मिलिट्री के जाने के लिये वहां पर सड़कों का प्रबन्ध नहीं। आज उधर का इलाका इस प्रकार का है कि मैं इस बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता, ईश्वर ऐसा न करे रातो–रात यदि हमला हो जाय तो दुश्मन की फौजें बिना किसी रुकावट के हिसार और रेवाड़ी तक पहुंच सकती हैं। सरकार ऐसे ही डीगें मारती हैं कि हमने सब प्रकार का इन्तजाम कर रखा है। आज देश के सामने और राजस्थान के सामने भयंकर खतरा है। जब तक हम–आप लामबन्दी का प्रबन्ध नहीं करेंगे और अपने खर्चे के तौर-तरीके में बदल नहीं करेंगे इस मुल्क की रक्षा नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं सरकार से अपील करता हूं कि अब भी वह अपने सोचने के ढंग में परिवर्तन करे, अपने अनाप शनाप फिजूल खर्चों को कम करे और देश की सुरक्षा की तरफ और अकाल की छाया से लोगों को बचाने के लिये राहत कार्य शुरू करे और जो जनता को ऑपरेशन देना चाहती है वह स्वीकार करें नहीं तो यह वक्त आ गया है जो आपको बकसेगा नहीं।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न १५५, विषयक कागज सदन की मेज पर रखने सम्बन्धी वाद-विवाद।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो कागज सदन की

(श्री भैरोंसिंह)
टेबल पर रख रहा हूं। क्वेश्चन अवर के समय इसके लिये कहा गया था; एक तो है :

"Government of Rajasthan, Cabinet Secretariat D. O. No. F. 6 (23) Cab./65 dated 16th May, 1965 on the subject "fortnightly Report for the second help of April, 1965 addressed to Shri Singh." यह रिपोर्ट मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

दूसरी रिपोर्ट है जिसके बारे में राजा हरिश्चन्द्र जी ने लिखा था प्रेस के मामले के विषय में, उस रिपोर्ट के ऊपर होम सेक्रेटरी, कमला बेनीवाल और राजा हरिश्चन्द्रजी का एन्डोर्समेन्ट है। बाद में चीफ सेक्रेटरी का एन्डोर्समेन्ट है; उसके बाद में राजा हरिश्चन्द्रजी का एन्डोर्समेन्ट है, जो इस प्रकार है:—

"I have fully examined the proposal for compulsory retirement of Shri Iftekhar Ali under rule 244 of the R.S.R. and notes thereunder in the light of the reasons given in the above note before I agreed to the proposal. The main reason in view of which it has been considered necessary in the public interest to do so have already been fully explained in the notes of the Deputy Secretary and Home Secretary. In brief these are as follows:—

1. He has been *Prima facie* found responsible for both financial and administrative irregularities and lapses in the enquiries under examination before receipt of enquiry report of Shri M. U. Menon as well as in the reports of the enquiries conducted by Shri Menon.

2. Successive Heads of the departments and Secretaries have given adverse C. Rs. on this officer vide extracts enclosed in the appendices 'C' and 'D'. From C. I. D. and police reports also it is evident that he is communalist in his ideas and action.

3. The fact that he is due to superannuate by the end of the next calender year is known to us. Yet, in view of the special circumstances of the case it was considered a fit case for being brought to the notice of the Committee as his record was particularly adverse.

Thus it will be seen that it is not a question of a particular officer having quarrel with Shri Iftekhar Ali and giving adverse remarks but other officers have also given adverse remarks and these have also been endorsed by successive Secretaries of the department. Besides the facts enumerated above are also equally important which cannot be easily brushed aside. I, therefore, reiterate my views already expressed in para 8/N and request for taking expeditious action on these proposals. Moreover, this note has only to be placed before the Committee appointed by the Government to draw up list of officers to be compulsorily retired which alone will take final decision after examining the proposal.

Sd./ Harishchandra

श्री मथुरादास माथुर (मुद्रण एवं लेखन सामग्री मन्त्री) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य यह दूसरी रिपोर्ट रख रहे हैं वह किससे सम्बन्धित है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : you challange the documenti

श्री भैरोंसिंह : यह राजा हरिश्चन्द्रजी की रिपोर्ट है और प्रेस से जो कागज गायब हुआ था उसका डॉक्यूमेन्ट है।

श्री मथुरादास माथुर : प्रेस से जो गायब हुआ था उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने उस वक्त जिस समय प्रश्न पूछा गया था उसी समय उस फाइल को मंगाकर रख लिया है। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि इस बात की सूचना माननीय भैरोंसिहजी ने कलेक्टर जयपुर को दी थी उसके ऊपर होम सेक्रेटरी ने डी० आई० जी०, सी० आई० डी० द्वारा जांच करायी थी। डी० आई० जी० की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास पहुंच चुकी है। उसके आधार पर किसी आदमी को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया है, इस रिपोर्ट में वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि इस कागज के टूल्स किसने उठाये। So far as that document is concern, I do not know which document has been placed.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप जरा लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्क्वायरी की क्या फाइंडिंग्ज हैं वे जानना चाहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : उस रिपोर्ट के अन्दर किसी आदमी पर जिम्मेदारी नहीं डाली गई है। इसके प्रूफ हैं वे किसने हटाये, किस प्रकार लीकेज हुआ, इसके बारे में रिपोर्ट में कोई भी पिन डाउन नहीं हो सका है। इसके लिये आदेश दिया गया है कि डाइरेक्टर, प्रेस और स्टेशनरी हैं वे डी० आई० जी०, सी० आई० डी० के साथ मिलकर फिर से जांच करें। हो सकता है उसमें किसी कम्पोजीटर का हाथ हो सकता है, प्रिन्टर का हाथ हो सकता है, इस सब की जानकारी पूरी करके इसके लीकेज के लिये कौन जिम्मेदार है वे विदिन ए वीक रिपोर्ट पेश करें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे इस बात की खुशी है कि जो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गई है उसके बिना यह मामला आगे जांच के तलब नहीं हो सकता था। अब यह डाक्यूमेन्ट सदन की मेज पर आ गया, अब इसकी जांच में इससे काफी सहायता मिलेगी ? इससे पता चल सकेगा कि यह कहां से निकलता है, जो माननीय सदस्य ने रखा है, इससे हमें इन्क्वायरी में मदद मिलेगी। उसके बाद रिपोर्ट आने पर जिसकी गलती पाई जायगी, जो उसके लिये जिम्मेदार होगा उस पर केस रजिस्टर करके, उसको प्रोसीक्यूट किया जायगा।

जहां तक दूसरी रिपोर्ट का सवाल है वह कोई रिपोर्ट नहीं है, वह जो पढ़ा है फाइल पर का नोटिंग है जिसको माननीय सदस्य ने पढ़ा है। यह मैं ऑफ हैंड नहीं कह सकता कि वह हूबहू वही नोटिंग है, जब तक मैं फाइल को नहीं देख लेता, नहीं कह सकता। वैसे फाइल पर पचासों नोटिंग होते हैं; मिनिस्टर के होते हैं, सेक्रेटरी के होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी के होते हैं, सैक्शन ऑफिसर के होते हैं, हैड ऑफ दि डिपार्टमेन्ट के होते हैं। इसलिये जब तक फाइल नहीं देख लेता इस बारे में

(श्री मथुरादास माथुर)
मैं कुछ नहीं कह सकता । इसके अलावा माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हमें सदन में एक परम्परा कायम करनी चाहिये कि कोई भी नोटिंग फाइल पर हो जाता है उसको सदन में न रखा जाय । क्योंकि नोटिंग किसी के भी द्वारा किया गया हो सीक्रेट होता है, भले ही वे अपनी जानकारी के लिए कहीं हांसिल कर लाये हों । लेकिन इस प्रकार के नोटिंग जो सीक्रेट होते हैं उनको सदन की मेज पर लाकर रखने से एक बड़ी गलत परम्परा पड़ जायगी । इससे अधिक मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता ।

प्रेस से संबंधित जो रिपोर्ट है उसके बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि मैंने आदेश दे दिया है कि इस बारे में पुनः इन्क्वायरी करके संचालक प्रेस और डी० आई० जी०, सी० आई० डी० मेरे पास एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करें । उसका जिस प्रकार कन्क्लूजन होगा हम उसके बारे में सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक जानकारी करना चाहता हूं । जो नोटिंग मैंने पेश किया उसके बारे में जैसा मंत्री महोदय ने जवाब दिया उससे यह पता चलता है कि उनको इस बारे में अनभिज्ञता है । उन्होंने जो वर्ड टू वर्ड नोट पढा है उससे अनभिज्ञता प्रगट की है । इसका यह अर्थ निकलता है कि जो नोट मैंने पढ़ा है वह सही नहीं है । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इसको उठालें और अपनी फाइल से वर्ड बाई वर्ड मिलान कर लें, उसके बाद में हाउस को कम से कम यह तो इत्तिला दे दें कि मैंने जो पढा है वह बिल्कुल सही है । आप यदि एफर्मेटिव जवाब नहीं देते हैं तो उससे यह भावना बनती है कि मैंने जो नोट पेश किया है वह गलत है । इसलिये सदन को इस बारे में जानकारी मिलनी चाहिये ।

श्री मथुरादास माथुर : नोटिंग को सदन की मेज पर रखने की आवश्यकता क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : आवश्यकता है क्योंकि इस नोटिंग को नोटिस में नहीं लिया तो उसकी जिनआइननेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिये जरूरी है ।

श्री मथुरादास माथुर : यह आप कैसे कहते हैं ? एक तरफ तो यह भी कहते हैं कि मैंने एक एक चीज को नोट किया है, पढा है ।

श्री भैरोंसिंह: फिर 'हां' कर लीजिये कि मैंने पढा है ।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे पता नहीं, कैसे 'हां' कर लू ।

श्री भैरोंसिंह : इसीलिये मैंने कहा है ।

श्री मथुरादास माथुर : आप किसी का भी नोटिंग लाकर रख दें सदन में, पर इसकी यहां रिलेवेन्सी क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : यह तो मैं जानता हूं कि क्या रिलेवेन्सी है । हाउस के सामने बहुत बडा क्वेश्चन है ।

श्री मथुरादास माथुर : इस नोटिंग के लिये मैं पहले यह जानना चाहूं गा कि आप किस सोर्स से लाये हैं ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्रीजी को पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस का एक्सपीरियेन्स नहीं है। होता तो यह नहीं पूछते ।

श्री मथुरादास माथुर : अगर जानकारी आपको होती तो इस तरह के नोटिंग फाइल के सदन की मेज पर नहीं रखे जाते। आप एक भी उदाहरण बता दीजिये, अगर कहीं इस तरह से रखे गये हों तो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पटनायक वगैरह सबके सीक्रेट डॉक्यूमेन्ट्स रखे गये हैं पार्लियामेन्ट में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो गवर्नमेन्ट का काम है, एक्सेप्ट करे उसे या रिजेक्ट करे, आप डिनाई भी कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : How can I say. ऑफ हैण्ड एक्सेप्ट करना या नहीं करना, यह बात नहीं है। I get hundred and one notings on files every day. It is not incumbent on me to admit or deny them here.

श्री भैरोंसिंह : मेरा निवेदन करना केवल इतना है कि मंत्रीजी ने यह इम्प्रेशन बनाने की कोशिश की है कि यह जिनुआइन भी है या नहीं। इसके बारे में आपने कोई कमिटमेन्ट नहीं किया है तो आप यह फाइल देख कर बतादें कि यह राजा हरिश्चन्द्रजी का नोटिंग फाइल में है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई कमिटमेन्ट मेरा नहीं है। मैंने फाइल देखी नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं थी, फिर भी आपने रख दिया। इससे मुझे क्या लेना-देना है ? उस डॉक्यूमेन्ट का तो पर्पज़ था। लीकेज हुआ था और इन्क्वायरी हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर आप एक इन्क्वायरी और करवाइये। आपकी सीक्रेट फाइल से ये कागज कैसे पहुंचे बाहर ? This is also a case to be enquires.

श्री मथुरादास माथुर : इतना सहयोग आप जरूर मुझे देंगे, यह मुझे आशा है कि आप बता देंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं बताने वाला नहीं हूं। तो आप इस संबंध में भी मालूम करिये कि सेक्रेटेरियेट की फाइल से यह कैसे निकला ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो इसकी भी एन्क्वायरी कर लूंगा। आपका सहयोग तो मुझे मिलेगा ही।

श्री भैरोंसिंह : बिलकुल मिलेगा। पर उस हालत में नहीं मिलेगा कि कागज ही यह पेश कर रहा हूं। यह तो राष्ट्रदूत में प्रकाशित हो चुका है। अगर आप विजिलेन्ट होते तो तभी पता लगा लेते।

श्री मथुरादास माथुर : इस तरह की तो पचास बातें पेपर्स में निकलती रहती हैं। पर हाउस की टेबल पर रखने के बाद में उसका दूसरा मतलब होता है।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर तो आप यह जरूर बतावें कि यह जिनुआइन हैं या नहीं। नहीं तो अगर यह गलत हुआ तो सदन की टेबल गन्दी होगी और अगर ठीक हुआ तो आप पर रिफलेक्शन होगा।

श्री मानधातासिंह (मडुवा) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर जो दो पेपर्स सदन की मेज पर रखे गये हैं उनमें से जो अव्वल है उसको बतलाया गया कि यह सीक्रेट डॉक्यूमेन्ट है और वह कोई रिपोर्ट है जो कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजी थी। उस डॉक्यूमेन्ट के संबंध में माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि वह आर. ए. सी. के मूवमेन्ट के संबंध में है।

Page No 111

(श्री मानधातासिंह) :

यह कौनसी आर. ए. सी. के मूवमेन्ट के बारे में है ?

श्री मथुरादास माथुर : हां है।

श्री मानधातासिंह : तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे नेशनल एमर्जेन्सी के वक्त में सदन की मेज पर रखा जा सकता है ऐसा डॉक्यूमेन्ट। क्योंकि सदन की मेज पर रखे जाने से उसकी पब्लिसिटी होती है। तो देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए क्या मुनासिब होगा इसका यहां रखा जाना ?

श्री भैरोंसिंह : आपके स्पष्टीकरण के लिये बता देता हूं कि यह मई की बात है।

श्री मथुरादास माथुर : यह १५ अप्रेल की है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है कि इस तरह का डाक्यूमेन्ट सदन की मेज पर आज रखा जा सकता है या नहीं। सदन की परम्परा का सवाल अलग है। इस प्रकार का डॉक्यूमेन्ट रखने में वे स्वयं स्पष्ट हैं या नहीं, यह कह नहीं सकते। परन्तु जो अधिकार सदस्य को रखने का है वह चीज एक तरफ है। इस दृष्टि से इसको मेज पर रखने के विषय में नियमों की कोई बाधा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेज पर तो रख दिया गया, पहले ही स्पीकर साहब ने इस पर रूलिंग दे दी है।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो पहले डॉक्यूमेन्ट के लिये है। दूसरा तो ऐसा ही है।

राजस्थान विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६५
(पूर्वक्रम से)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे समय को देखते हुए बोलें। इसके बाद अब मंत्री महोदय जवाब देंगे। आप जल्दी जल्दी इसे खत्म करें।

After that I think the Government should reply so that the business can be finished within time. If the House desires that the time be extended, it can be extended, otherwise it will have to be finished within 20 minutes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, समय तो बढ़ाने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर ऐसी सदन की मंशा है तो मुझे ऐतराज नहीं।

श्री भैरोंसिंह : कल ले लीजिये इसे और।

श्री उपाध्यक्ष : कल का बिजनेस काफी है।

श्री भैरोंसिंह : कल कोई अधिक बिजनेस नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सिविल कोर्ट का है, एक एक क्लॉज का है। लॉ कमीशन की रिकमन्डेशन को इम्प्लीमेन्ट करने के बारे में है। दो-तीन घंटे का काम है।

श्री उपाध्यक्ष : कल तीन हैं। लम्बा चल सकता है। इसलिये आज का बिजनेस आज ही समाप्त हो तो ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जनता का मनोबल बढ़ाने के लिये इस पर सदन के सदस्य बोलेंगे, जयसिंहजी बोलेंगे। भैरवलालजी 'कालाबादल' एप्रोप्रियेशन पर नहीं बोलेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : फिलहाल हांडा साहब बोलेंगे। पांच-सात मिनिट में वे समाप्त करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : १५ मिनिट साहब।

श्री उपाध्यक्ष : fifteen minutes too much. पांच-सात मिनिट that's all।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं १९८४ लाख की एप्रोप्रियेशन करने की मांग, वित्त मंत्रीजी जो लाये हैं, उसके संबंध में कुछ कहूं, मैं २० अगस्त के पेट्रियोट की एक खबर पढ़कर सदन में सुनाना चाहूंगा :

"Jaipur, August 20th:

The number of mental patients in Rajasthan is fast increasing according to an official review on medical facilities in the State. The reasons for the increase in number of mental patients are social changes like divorce, disintegration of joint family system, economic hardship, un-employment and complicated city life".

इसके आखिरी पैरा को ही पढ़ देना चाहता हूं :

"According to the review, the State Government is alive to this problem and has proposed to increase the number of beds in the existing mental asylum by 200. There are at present 280 beds for mental patients in the State."

उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर सरकार यह कुबूल करते हुए कि आर्थिक अवस्था में खराबी के कारण और अनएम्प्लोयमेन्ट के कारण राजस्थान में पागलों की संख्या बढ़ रही है, उनका इलाज क्या वे यह मुनासिब नहीं समझते कि अनएम्प्लोयमेन्ट को दूर करें, उसका इलाज यह मुनासिब नहीं समझती कि अपने सोशियल सिस्टम को चेन्ज करें, सोशियल थिंकिंग को चेन्ज करे और अपनी प्लानिंग को चेन्ज करें ?

इस प्रकार आज जब देश पर संकट है तो सरकार देश की सारी समस्याओं का समाधान चार मंत्री बढ़ाकर एमर्जेन्सी के समय करना चाहती है ?

उपाध्यक्ष महोदय, यहां कुछ लोग मेलॉकली अवस्था में चल रहे थे और बैलेन्स सरकार का बिगड़ रहा था, उसको ठीक करने के लिये सरकार ने छः लाख रुपया बहुत आराम से इस मद में खर्च करना स्वीकार कर लिया।

यह २० करोड़ रुपये का सप्लीमेन्टरी बजट जो कि एक रेकॉर्ड है, इतना बड़ा सप्लीमेन्टरी बजट पहले कभी नहीं आया। इसके मुद्दे भी अगर आप आज की स्थिति में दृष्टिपात करें तो बड़े रोचक हैं। देश के दिग्गज पूंजीपतियों को इसमें १९६ लाख रुपया देने के लिये, जो कि विनायल फैक्टरी, धौलपुर ग्लास फैक्टरी, पिग आइरन फैक्टरी और जे. के. की नाइलोन फैक्टरी को देने के लिए १९६ लाख रुपये हैं। इसमें भेड़-पालन के विस्तार के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। एक ओर जे. के. के मालिकों को जैसलमेर में ३० हजार एकड़ भूमि मेड इन्डस्ट्री को लगाने की बात को गंभीरता से विचार करके सरकार संतुष्ट नहीं हुई तो २० लाख रुपये उस फैक्टरी को दिये जिसकी बैलेंस शीट में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लाखों रुपयों का फायदा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें राजस्थान कैनाल के ऊपर व्यय को जाने वाली राशि का बहुत मोटा आंकड़ा है जो कि ६६१ लाख से भी अधिक एक्सीड करता है। साथ ही साथ राजस्थान कैनाल के लिए लिये गए ऋण के संबंध में जो ब्याज है इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा, २ करोड़ के करीब उस ब्याज के चुकते करने के अन्दर चला जाता है। सन् १९५८ के अन्दर हमने इस योजना को आरम्भ किया।

आज सारे देश के अन्दर हम १० अरब से ज्यादा रुपया राजा और महाराजाओं को दे चुके हैं। इस योजना का रिवाइज्ड एस्टीमेट २ अरब के करीब चला जाता है। अगर देश की समाजवादी सरकार ने यह मूर्खता नहीं की होती तो ५ राजस्थान कैनाल देश के अन्दर निर्मित हो सकती थीं। इस बजट के अन्दर इसके साथ ही साथ एक आंकड़ा और भी मौजूद है कि जो ६५ लाख रुपया कर्मचारियों को अनाज खरीदने के लिये दिये गये हैं उसको सरकार वापिस ले रही है और उसके दिये जाने को एप्रोप्रियेट कर रही है। आज अगर सरकार हमारे राजस्थान के कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों के स्टेन्डर्ड के मुताबिक तनख्वाह देती, फेसिलिटीज देती तो राजस्थान सरकार को केवल इसमें ९४ करोड़ रुपया खर्च करना पडता था जब कि ८६ करोड़ से अधिक राशि २१ परिवारों को दे दी और राज्य के १ लाख ६१ हजार ७५३ परिवारों को ठोकर मार दी। अनाज खरीदने के लिए जो ६५ लाख रुपया इसमें दिया गया वह उस समय दिया गया जब कि अनाज बाजार के अन्दर नहीं था। आज उस समय वह रुपया वापिस ले रहे हैं जब कि सारे राजस्थान के अन्दर अनाज की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। बीकानेर के अन्दर १ रुपया किलो बाजरा जैसा अनाज भी बहुत मुश्किल से मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे बजट की राशि के अन्दर केवल मंत्रियों के लिये ४ लाख का प्रावधान नहीं किया गया, महात्मा गांधी के चेले १० न. पै. पर गुजारा करने वाले और कसम खाने वाले मेरे प्रिय कांग्रेसी बन्धु १ लाख रुपये की ४ गाड़ियों के ऊपर ये मंत्रिगण चलेंगे। वह भी फियेट नहीं होगी जो कि १४ हजार की आ जाती है, वह एम्बेसेडर नहीं होगी बल्कि वह तो २५ हजार की एक एक गाडी होगी और केवल इतना ही नहीं रेफ्रीजरेटर्स और बंगलों के डेकोरेशन, डनलप्पिलो और दूसरी सारी एमीनिटीज होंगी। वह श्री अमृतलालजी यादव जो कि गद्गद हो जाते हैं हरिजनों की दुर्दशा पर भाषण देते हुए और जिनकी आखों से कई दफा अश्रु गिरे हैं उनके यहां भी रेफ्रीजिरेटर की आवश्यकता है जब कि देश का जवान अपना खून बोर्डर के ऊपर बहा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इस बजट के अंदर जो कि राजस्थान कैनाल के संबंध में राशि खर्च की जा रही है मुझे कोई एतराज नहीं। आज एक तरफ जहां हमको दुश्मनों से लड़ना है वहां हमें पैदावार भी बढ़ानी है। वर्ना यह कहना चाहूंगा कि एक लज्जा की बात है राजस्थान सरकार के लिये कि जो ७ साल के बाद हम इस राजस्थान कैनाल का अपने प्लान प्रोग्राम के मुताबिक २०-२५ परसेन्ट टार्गेट भी एचीव नहीं कर सके और हतोत्साह होकर इस राजस्थान कैनाल को भारत सरकार को दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, देश की महान

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
विभूतियां श्री कंवरसेन जैन जैसे व्यक्ति को हम राजस्थान के अन्दर इन्जोनियर रिटेन नहीं कर सके। एक लामा साहब थे जो कि चीफ इन्जीनियर थे, उन्होंने इस प्लान के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी थी उसको रद्दी समझ कर फाड़ दी। लेकिन आज उसी के प्लान पर वापिस आया जा रहा है। लामा ने अपने प्लान में यह कहा था कि राजस्थान कैनाल को यदि आप निर्मित करना चाहते हैं तो इसके पेरेलल एक रेल्वे लाइन बनाओ और अलग अलग जगह से वाटर की लोडिंग करो। लामा ने कहा था कि हमको स्टील पाइप के जरिये पानी कई पोइन्ट्स के ऊपर ले जाना पडेगा और उसके बाद ही राजस्थान कैनाल का निर्माण होगा। केवल ४ वर्षो में पंजाब ने मेन कैनाल का ११० मील का टुकडा पूरा कर लिया और हम ५१ मील पूरा नहीं कर सके और आज ६०वें मील के पत्थर पर १॥ करोड़ रुपया की राशि उस पाइप लाइन पर लगाने की बात सोच रहे हैं। राजस्थान कैनाल का बोर्ड है जिसमें राजस्थान कैनाल को ऑथोरिटीज बैठती हैं–उसमें ६ सदस्य बैठते हैं, चैयरमैन बैठते हैं, वे स्वयं भी इन्जीनियर हैं, राजस्थान कैनाल के चीफ इन्जीनियर बैठते हैं, हमारे फाइनेन्स सेक्रेटरी उसमें बैठते हैं, अकाउन्ट्स ऑफिसर बैठते हैं और सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन के लोग बैठते हैं। आज तक एक भी निर्णय इस प्रकार का नहीं हो सका जिसमें छओं का एकमत रहा हो। कभी तो कोई फाइनेन्शल ऑब्सट्रक्शन है, कभी इन्जीनियर्स के अन्दर मतभेद है।

उपाध्यक्ष महोदय, ३ करोड २७ लाख रुपये के अन्दर सन् २३ के अन्दर आरम्भ होकर २८ के अन्दर दुनिया को सबसे बडी गंग कैनाल पूरी कर दी गई। उस समय न तो ट्रक्स थीं और न जीप थीं और न कोई मशीनरी थी। लेकिन आज राजस्थान कैनाल के अन्दर एक चीफ इन्जीनियर, ५ सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर जिसमें से २ सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर्स केवल मेकेनिकल डिवीजन से बिलोंग करते हैं और ३ सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर्स दूसरे कार्य को करते हैं, १४ से ज्यादा एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स और करीब ५० से ज्यादा असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स और २५० ओवरसीयर्स का काफिला लेकर केवल ५१ मील तक बना सके और इसके ऊपर अटूट राशि खर्च कर दी। आप उस समय के पैसे से और रुपये की वैल्यू को लेकर देखें तो १० गुना ज्यादा है। मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की कैनाल १० वर्ष से ज्यादा की योजना नहीं है।

हमारे देश में राजस्थान के अन्दर अकाल पडता रहता है। बीकानेर का क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें हर साल अकाल पडता रहता है, दूसरे क्षेत्रों के अन्दर भी अकाल पडता है। अकाल लगातार राजस्थान की धरती पर नाचता रहता है। राजस्थान कैनाल की योजना एक निरन्तर अकाल राहत कार्य है जो कि राजस्थान के अन्दर चलता रहे तो हम मजदूरों को राहत दे सकते हैं। हमें कुए खुदवाने की जरूरत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। कुछ घग्घर की बाढ़ के संबंध में अर्ज करना चाहूंगा·······

श्री उपाध्यक्ष: २ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: हनुमानगढ टाउन से लेकर जंक्शन तक जाने वाली सडक जो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कि सन ५९ से लेकर आज तक अनेक बार टूट चुकी और जो करीब १५ हजार क्यूसेक्स पानी से टूटा करती थी और आज तक जिसके ऊपर ५० लाख रुपया से ज्यादा की राशि १ मील के टुकडे में खर्च हो चुकी है, वह सडक जो कि १५ हजार क्यूसेक्स पानी के फ्लड से टूटा करती थी अब केवल २ हजार क्यूसेक्स पानी से ही टूट गई। एक नया करिश्मा राजस्थान के अन्दर हुआ। नहरी विभाग के लोगों ने ३६ हजार क्यूसेक्स वाटर की बात कही थी और इस फ्लड के आने से २ महीने पहले ही तलवाडा गांव को वेकेट करा लिया गया था, लेकिन वे केल्कुलेशन इतने फेल हुए कि पानी ८ हजार क्यूसेक्स से नहीं बढा सरकार ने ४ गुना गप्प मारकर लोगों को टेरीराइज किया। लेकिन यह २ हजार क्यूसेक्स वाटर से ही कैसे सडक टूट गई। सडक के सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर व एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के खिलाफ एक मुकदमा हनुमानगढ कोर्ट के अन्दर दर्ज हुआ। उनके खिलाफ प्रोसीक्यूशन करने के लिये दफा १५७ की सेंक्शन चाही गई थी। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने इस सेंक्शन को आज तक एवार्ड क्यों नहीं किया?

क्यों नहीं उन लोगों के जो कि सडक के टूटने के लिये जिम्मेदार है उनके खिलाफ अदालत के अन्दर मुकदमा चलाने की आज्ञा देते? इसका कारण आज तक नहीं समझ सके हैं। इसके अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, एस्टेब्लिश्ड फेक्ट है कि उस सडक के टूटने से एक दिन पहले जिस जगह पर सडक टूटी थी, एक जीप उस सडक के अन्दर सिंक हो गई। उसके बाद चौबीस घण्टे के बाद वह सडक टूटी थी। उस जीप के सिंक होने के बाद वह सडक टूटी थी। उस सडक के टूटने का रहस्य मैं सदन के सामने रख रहा हूं।

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

हमारे लायक इंजीनियर सेंट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन की सिफारिश को मानना अपनी शान के खिलाफ समझते ह। सेंट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन ने आर्म्स का एक डिजाइन बना कर भेजा लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे इंजीनियर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया और अपनी मर्जी से उसको बनाया और वह टूट गया। सरकार को नुकसान हुआ। सेंट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन ने अपनी रिकमण्डेशन करके भेजा कि तलवाडा साइड में ३२ कुए सिंक किए जाएं लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने ३२ कुओं को सिंक किया जाना अपनी शान के खिलाफ समझा और वहां ११ कुए सिंक किए। अब वहां पर पानी का प्रेशर क्यों नहीं आया यह भगवान जाने। हमारे इंजीनियर्स जितनी मोटाई, बाईंडिंग मेटर की होती है उसमें किफायत करना चाहते हैं, वे टेक्नोलोजी और साइंस में किफायत की बात सोचते हैं उपाध्यक्ष महोदय, हुआ यह कि अबकी पानी की वेलोसिटी ज्यादा क्यों थी? यह हमारे इंजीनियरों की प्लानिंग की वजह से बारह हजार क्यूसेक्स का तलवाडा साइफन से डाईवर्शन केनाल बना रहे हैं। जहां उस केनाल को नीचे से पूरा करना था वहां तलवाडा साइफन से चार माईल से उसको पहले पूरा कर लिया, नतीजा यह होता है कि एक तो बुलेट बन्दूक से निकलती है और एक गोली यों ही फेंक दी जाती है, उस दोनों का जिस प्रकार से असर होता है, उसी प्रकार से एक तो पानी वैसे ही फ्लो हो जाता है जिसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती लेकिन उसी को चार मील

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

तक चैनल के अन्दर करके बाकायादा उसकी वेलोसिटी हण्ड्रेड टाइम्स कर दी गई और वह दो हजार की वेलोसिटि से सडक टूट गई। यह इतनी सी टेक्निकल समझ की बात उन्हें नहीं सूझी। यह तो छतीस हजार क्यूसेक्स पानी नहीं आया, लेकिन अगर यही पानी छत्तीस हजार क्यूसेक्स आ जाता तो जिस प्रकार बन्दूक से निकली गोली का असर होता है उसी प्रकार इस चार माइल के चैनल से पानी निकलता तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि न हनुमानगढ़ नजर आता और न सूरतगढ़ नजर आता।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

अन्त में मैं यही अर्ज करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ये तो बडी टेक्निकल बातें कह रहे हैं, इनको समझने वाला यहां कोई नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह मैंने समझदार लोगों के लिए कही है, आपके लिए नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नमेंट प्रेस के संबंध में एक चीज अर्ज कर देना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केवल एक मिनिट के लिए।

एक चीज बडी सनसनीखेज गवर्नमेंट प्रेस के अधिकारी इफ्तिखार अली के बारे में कही गई है। मैं इस बात में कतई नहीं पड़ना चाहता कि यह रिपोर्ट कहां तक सही है या नहीं है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वह सुपरिन्टेंडेंट गवर्नमेंट प्रेस जिनके समय में, जिनकी ऑफिसरशिप के अन्दर एक प्रकार का सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो जाय और उसी के संबंध में एक पहले से ही उनके कॉम्यूनल होने की चर्चा है और इस प्रकार की इन्वेस्टीगेशन पहले से मौजूद है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश की रक्षा के हित में और प्रेजेंट स्थिति के हित में यह बात बडी गम्भीरता से कह देना चाहूंगा कि ऐसे सुपरिन्टेंडेंट को एक मिनट भी उस स्थान पर नहीं रखना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इन सब बातों के अन्दर गम्भीरता से काम नहीं लेती है। मैंने दो सौ परिवारों की बात की, सी. आई. डी. के लोग आए, सेंट्रल इन्टलीजेंस ब्यूरो के लोग जांच करने के लिए। आज उसी सुपरिटेंडेंट को बचाने के लिये माननीय मंत्री महोदय किसी प्रूफ रीडर या किसी छोटे कर्मचारी का गला फांसना चाहें तो यह उचित नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसको सदन कभी सहन नहीं करेगा। यह इतना बडा काण्ड हो गया और उसके लिए किसी एल. डी. सी. या किसी और छोटे कर्मचारी, किसी प्रूफ रीडर का गला तलाश किया जाय कि जिस एल. डी. सी. या छोटे कर्मचारी के गले में वह फन्दा फिट आ जाय उसी के गले में इसे फिट कर दिया जाय।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

ऐसे प्रयत्नों को सदन के माननीय सदस्य कभी वर्दास्त नहीं करेंगे।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस बजट से जो मदें जैसे, आर. ए. सी.

Page No 117

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
वगैरह के लिये रखा है वह तो स्वीकार किया जाय, लेकिन जो पूंजीपत्तियों को पैसा दिया जा रहा है, जो मंत्रियों की मोटरों के लिये छः लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं, उनको आउट-राइटली रिजेक्ट कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय,•......

श्री उपाध्यक्ष : श्री हजारीलाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अब तो टाइम हो गया है। पांच मिनट में पूरा होने का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो फिर ये पांच मिनिट मुझे ही ले लेने दें।

(दो-तीन सदस्य एक साथ बोलने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! इसको कल ले लिया जाए, इस दृष्टि से मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि टाइम का विभाजन इस प्रकार से हो कि जो कल बिल्स लेने हैं वे भी कल ही समाप्त होंगे और यह भी ले लिया जाय। मैं समझता हूं कि १२ बजे तक प्रश्न हों और उसके बाद में डेढ़-दो बजे तक इसको समाप्त कर दें।

श्री भैरोंसिंह : जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप तो बड़े आज्ञाकारी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अभी जो बोलना चाहते हैं उनको बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : हां, जब तक समय समाप्त न हो तब तक बोल लें।

श्री भैरोंसिंह : मैं समाप्त कर देता दो तीन मिनिट में। अगर समाप्त नहीं होता और टाइम एक्सटेन्ड करने की जरूरत हो तो वह कर दें।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : आप एडजोर्न कर दीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४ बजकर ५९ मिनिट पर बुधवार, दिनांक २९ सितम्बर, १९६५ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५३ का उत्तर देखिये)

जोधपुर जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये जोधपुर खास में चलाये जाने वाले छात्रावासों की सूची:

सूची

क्रम संख्या	स्थान जहां छात्रावास चल रहे हैं	स्वीकृत संख्या
१	राजकीय छात्रावास, समाज कल्याण विभाग, जोधपुर छात्रों के लिये	७०
२	राजकीय छात्रावास जोधपुर कन्याओं के लिये	३०
३	ज्ञान गंगा छात्रावास सहायित, जोधपुर।	४०

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बारां नगरपालिका

१५६. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-सु.) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बारां नगरपालिका ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा है कि पॉवर हाउस को सरकार शीघ्रातिशीघ्र स्वयं संभाल ले?

(२) यदि हां, तो सरकार ने अभी तक उस पॉवर हाउस को अपने हाथ में क्यों नहीं लिया और अब कब तक लेने का विचार है?

(३) नगरपालिका को पॉवर हाउस के संबंध में सरकार द्वारा कितना कर्जा दिया गया है और उसमें से कितना रुपया पालिका ने खर्च किया और कितना खर्च करना बाकी है?

उत्तर

(१) अध्यक्ष नगरपालिका ने लिखा है कि नगरपालिका बारां को राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को देने को तैयार है।

(२) राज्य विद्युत मंडल की इस विषय में कार्यवाही जारी है।

(३) यह सूचना स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग दे सकेगा।

राजस्थान विमुक्त जाति संघ

१५७. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): **क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—**

(१) राजस्थान विमुक्त जाति संघ राजस्थान में कब से क्या क्या कार्य करता है और उनमें कितने रुपये सालाना खर्च करता है?

(२) इस संघ को राज्य सरकार से कितना रुपया सालाना किस कार्य के लिये मिलता है? गत पांच सालों में मिली धनराशि के आंकड़े सालवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या इस संघ द्वारा छात्रावास भी चलाए जाते हैं? यदि हां, तो कहां कहां और उनमें सालाना औसतन कितने लड़के रहते हैं व कितना खर्चा होता है? आंकड़े देने की कृपा करें।

उत्तर

१. राजस्थान विमुक्त जाति सेवक संघ राजस्थान में समाज कल्याण विभाग के अनुदान से १५ जनवरी, सन् १९५४ से कार्य कर रहा है। गत पांच वर्षों में जो २ कार्य किये और उन पर कितना सालाना खर्चा हुआ है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

२. गत पांच वर्षों में संस्था ने जो २ कार्य किये और इनके लिये समाज कल्याण विभाग से अनुदान की धनराशि प्राप्त हुई उसकी जानकारी उपरोक्त तालिका में अंकित है।

३. जी हां, इस संस्था द्वारा अजमेर, देवली व सोजत में तीन छात्रावास चलाये जाते हैं। तीनों छात्रावासों के लिये स्वीकृत संख्या १५० है। सन् १९६४ से औसतन छात्र संख्या निम्न प्रकार रही :—

(१)	श्री बापा छात्रावास, अजमेर	४८
(२)	श्री बापा छात्रावास, सोजत	२९
(३)	श्री बापा आश्रम, देवली	५०

इन छात्रावासों पर सन् १९६३-६४ में ५३८०५.८६ रुपये व्यय हुए हैं।

परिशिष्ट

राजस्थान विमुक्त जाति सेवक संघ सन् १९६० से १९६४-६५ तक किये गये खर्चे का ब्यौरा विभिन्न किये गये कार्यों का विवरण व उन पर प्रति वर्ष खर्च

तालिका "अ"

वर्ष	शिक्षण कार्य	छात्रावास खर्च	समाज सुधार	प्रधान कार्यालय	औषधि वितरण	योग	समाज कल्याण विभाग से प्राप्त अनुदान की रकम
६०-६१	१४०५०.८९	४५६२६.३८	२४३४.८०	६८१७.१५	११२८.३०	७०८५७.५२	७०९१२.७२
६१-६२	१३१२०.५८	५०४०६.५८	१७९७.५९	६१२९.७८	९६६.०८	७२४२०.५६	७०४१७.९९
६२-६३	१७०१९.६५	४५४८९.८७	१७०३.३२	५६४९.१८	४९५.००	६४०५७.०२	६३३७६.८९
६३-६४	११०७२.४६	५३८०४.८६	६५०.००	६६१३.०७	२३६.१६	७२३७७.५५	५१०३७.४३
६४-६५	७०७३.५०	५८५२७.९२	३०४.००	६३२१.२३	..	७२२२६.६५	६९३४.५०
योग ..	५६०३७.७८	२५३८५६.५६	६८८९.७१	३१५३०.४१	३६२५.५४	३५१९३९.३०	३२५०९३.५३

नोट :—सन् १९६४-६५ में छात्रावासों पर खर्च ५८५२७.९२ पैसे हुआ है जिसमें से ७९९८.६५ अनावर्तक सामान, जैसे बिस्तर, बर्तन आदि पर खर्च किया गया है।

चेचट पंचायत समिति क्षेत्र में बिजली

१५८. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चेचट पंचायत समिति क्षेत्र में अब तक कितने गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है और आगे कौन कौन से गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना है?

(२) क्या यह सही है कि अनेकों ऐसे गांवों में भी जहां बिजली पहुंचाने की योजना नहीं है, कृषकों से विद्युत विभाग द्वारा सिक्योरिटी व लाइन कनेक्शन की रकम जमा कराली गई है, जैसे ग्राम लखारिया, हरिपुरा, हेमल खेडी आदि में? यदि हां, तो इन गांवों को योजना में कब तक शामिल कर लिया जावेगा?

(३) क्या यह सही है कि ऐसे अनेकों गांवों को भी जैसे गुगोरी, कुदायला आदि जिनमें से बिजली की लाइन गुजरती है, योजना में शामिल नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इन गांवों को प्राथमिकता पर बिजली देने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(१) दोनों सूचियां सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(२) जी नहीं, केवल ऐसे ही कृषकों से प्रतिभूति ली जाती है जहां से हमारी विद्युत लाइन जाती है।

(३) १. केवल कुदायला को इस वित्तीय वर्ष में बिजली देने की योजना है।

२. अन्य ग्राम वित्ताभाव के कारण प्राथमिकता की दृष्टि से इस वर्ष की योजना में स्थान नहीं पा सके।

३. जी हां, यदि वितीय कठिनाई न हो।

४. कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता।

सूची

चेचट पंचायत समिति क्षेत्र में अधोलिखित गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है:

(१) हनुमत खेडी (२) सुकेत (३) खेराबाद (४) सातल खेडी (५) मोडक ग्राम (६) मोडक स्टेशन (७) चेचट (८) डाबाडेह (९) सालावास (१०) कुम्भ कोट (११) देवली (१२) मुंडला (१३) नियामत खेडी (१४) रामगंज मंडी।

निम्नांकित गावों में बिजली पहुंचाने की योजना है।

(१) खेडिया (२) गोवनपुरा (३) कुकारिया लाइन (४) सीमच (५) लेखारिया (६) मंडा (७) हेमा खेडी (८) हिमानलिया (९) रोशोलिया (१०) धीमपुर (११) मूंडा खेडी (१२) गोवन्दा।

इन्डो ईस्टर्न ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड में खनिज विभाग की बकाया रकम

१५९. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि श्री इन्डो ईस्टर्न ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड में अथवा उसके किन्हीं डाइरेक्टर्स में खनिज विभाग की बहुत अधिक रकम बकाया है?

Page No 122

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
यदि हां, तो कब से व कितनी? इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सत्य है कि इन भारी बकायात के बाद भी इनको विभाग द्वारा ठेके दिए जाते रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(१) जी नहीं। आगे का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(२) जी नहीं।

गंगानगर नगरपालिका के रिक्शा चालकों के लाइसेन्स की व्यवस्था

१६०. श्री जोरसिंह चौहान (गिरवा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गंगानगर नगरपालिका में रिक्शा चालकों को कोई नम्बर या लाइसेन्स देने की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(२) वहां कितने रिक्शा चलते हैं? और उनसे क्या फीस ली जाती है?

उत्तर

(१) यह सही है। नगरपालिका के पास कोई अनुमोदित बाईलॉज नहीं हैं।

(२) ८०० रिक्शा हैं चेकोई फीस बाईलॉज के अभाव में नहीं ली जा रही है।

तहसील बांसवाडा के गांव दानपुर में आदिवासी छात्रावास

१६१. श्री विट्ठल भाई (बांसवाडा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील बांसवाडा के गांव दानपुर में आदिवासी छात्रावास खोलने के विषय में पंचायत दानपुर व पंचायत समिति पीपलखूंट की ओर से सरकार से मांग की गई है?

(२) यदि हां, तो सरकार का कब तक छात्रावास खोलने का विचार है? यदि नहीं है, तो क्यों?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

मोटर कार आदि का टोकन प्राप्त करने की प्रणाली

१६२. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि मोटर कार आदि का टोकन प्राप्त करने का मौजूदा तरीका इतना लम्बा है कि टोकन प्राप्त करने वाले को ट्रान्सपोर्ट ऑफिस, बैंक तथा टोकन प्राप्त करने के स्थानों पर चक्कर लगाने में दो-तीन दिन लग जाते हैं?

(२) क्या सरकार हमारे राज्य में भी टोकन प्राप्त करने की उसी प्रकार की विधि चालू करने का विचार रखती है जो दिल्ली में है जिससे टोकन तुरन्त प्राप्त हो जाता है?

(श्री यातायात मंत्री)

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं। परन्तु सुविधाजनक पद्धति अपनाने का अवश्य विचार है।

नगरपालिका के सफाई मजदूरों की वेतन शृंखला में अन्तर

१६३. **श्री हरिराम घारू** (सवाना-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या नगरपालिकाओं के सफाई मजदूरों और राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतन शृंखलाओं में अन्तर है? यदि हां, तो क्या सरकार इस अन्तर को मिटाने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

सूरतगढ़-रावतसर सड़क निर्माण कार्य

१६४. **श्री मनफूलसिंह** (सूरतगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सूरतगढ़ के रावतसर सडक बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस सडक का काम कब तक शुरू हो जावेगा ?

(२) क्या घग्घर बाढ़ आने पर सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ की रेल्वे लाइन और सडक टूट जाती है और क्या रेल्वे लाइन और सड़क टूट जाने पर सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ जाने के लिये रावतसर होकर जाना पड़ता है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां, अधिक बाढ आने पर।

जयपुर स्पिनिंग एन्ड विविंग मिल में राज्य सरकार के शेयर

१६५. **श्री मुक्तिलाल मोदी** (कोटपुतली) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल में राज्य सरकार के कितने शेयर हैं ?

(२) इस मिल के शेयरों का आज बाजार में क्या मूल्य है ?

(३) राज्य सरकार को इन शेयरों से अब तक कितनी हानि व कितना लाभ हुआ ?

उत्तर

(१) ४,९८७ सामान्य हिस्से १००) रु० प्रति हिस्से की दर से	४,९८,७०० रु०
(२) १२,४७१ अधिमान्य हिस्से १००) रु० की दर से	१२,४७,१०० रु.
योग	१७,४५,८००) रु०

२. मैसर्स दलाल व शाह चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के मूल्यांकन अनुसार सामान्य हिस्सों का मूल्य ६१) रु० आंका गया है।

३. सरकार को अधिमान्य हिस्सों पर दिनांक ३१-८-५३ तक का डिविडेंड २,७२,५५०.३५ रुपया मिला है।

(श्री उद्योग मंत्री)

सामान्य हिस्सों पर कोई डिविडेंड नहीं मिला। उक्त रकम में आयकार शामिल नहीं है।

जयपुर से सांभर वाया सावरदा बस मार्ग के लिये प्रार्थना-पत्र

१६६. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या जयपुर से सांभर बस रूट वाया सावरंदा के बारे में बस मालिक यूनियन्स व पब्लिक की तरफ से बस आने की इजाजत के लिये संबंधित विभाग को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

(२) अगर हां, तो इस रूट से इजाजत देने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) मामला आर. टी. ए. के विचाराधीन है।

कस्बा राजगढ़, जिला चूरू के लिए पीने के पानी की योजना

१६७. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) कस्बा राजगढ़ जिला चूरू के लिये स्थाई तौर से पीने के पानी की राज्य सरकार ने क्या योजना बनाई है ? उसकी रूपरेखा बताने की कृपा करें।

(२) इस योजना में पानी कहां से लिया जायेगा ? क्या सरकार ने कोई सर्वे करवाया है कि इस तहसील के गांव चान्दगोठी, लीलावटी आदि में पानी पर्याप्त मात्रा में है और वहां से पाइप लाइन के जरिये पानी लिया जा सकता है ?

(३) क्या यह सही है कि इस कस्बे को सिद्धमुख कैनाल से भी पानी देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(४) इस कस्बे के लोगों को पानी कब तक मिल सकेगा ?

उत्तर

(१) कस्बा राजगढ़ में पानी पीने की व्यवस्था है, पर पानी कम होने के कारण और अधिक मीठे पानी के साधन की तलाश की जा रही है। रूपरेखा योजना बनने के बाद ही बताई जा सकती है।

(२) मीठे पानी के साधन की तलाश नल कूप अन्वेक्षण विभाग द्वारा जारी है। चान्दगोठी गांव में कुए खोदने का कार्य चालू है। लीलावटी गांव में भी पानी की तलाश की जावेगी।

(३) जी नहीं। इस विभाग द्वारा कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(४) मीठे पानी का साधन उपलब्ध होने पर ही पानी मिल सकेगा।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित फालना जिला पाली में स्थित छात्रावास

१६८. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित फालना, जिला पाली में स्थित

(श्री मोहनराज)

छात्रावास में कितने छात्रों को रखने के लिये व्यवस्था है ?

(२) क्या यह सही है कि फालना पर स्थित इस छात्रावास में प्रवेश न मिलने के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से महरूम रह जाना पड़ता है ? कृपया बतावें, पिछले तीन वर्षों में भर्ती होने के लिये प्रतिवर्ष कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितने छात्र भर्ती किये गये।

(३) क्या यह सही है कि फालना कॉलेज में वाणिज्य एवं कला विषय के अतिरिक्त इस वर्ष विज्ञान कक्षाएं खुल जाने के फलस्वरूप अब आगे इस छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पहले से अधिक आवेदन-पत्र आवेंगे और क्या इन पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक प्रगति हेतु सरकार इस छात्रावास की अधिक छात्रों को भर्ती करने की क्षमता बढ़ाने का सोच रही है ?

उत्तर

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा फालना, जिला पाली में संचालित छात्रावास में ६० छात्रों के रहने की व्यवस्था है।

(२) जी नहीं। इस छात्रावास में सर्व प्रथम कॉलेज के छात्रों को भर्ती किया जाता है और बाद में अन्य कक्षाओं के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष प्रवेश के लिये जो आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और उनमें से जितने छात्र भर्ती किये गये उनकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) फालना कॉलेज में वाणिज्य एवं कला विषय के अतिरिक्त इस वर्ष विज्ञान कक्षाएं खुल जाने के फलस्वरूप अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त होने की संभावना है। कॉलेज के उन छात्रों को इस छात्रावास में प्राथमिकता दी जायेगी। वित्तीय प्रावधान के अभाव में इस छात्रावास की संख्या बढ़ाना संभव नहीं है।

सूची

पिछले तीन वर्षों में भर्ती होने के लिये प्रतिवर्ष निम्न आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और निम्न भर्ती किये गये उनकी सूची 'अ' :--

वर्ष	कुल आवेदन-पत्र प्राप्त हुए	भर्ती किये गये
१९६३-६४	१२३	६०
१९६४-६५	९९	६०
१९६५-६६	१११	६०

तहसील तारानगर में स्थित साहवा, धीरवास, बडा बांय और चंगाई में विद्युतिकरण की योजना

१६६. **श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या** विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार द्वारा साहवा, धीरवास, बडा बांय और चंगाई जो तहसील तारानगर में स्थित है, के विद्युतिकरण की कोई योजना है ?

(२) यदि हां, तो इस पर काम कब तक शुरू किया जावेगा और कब तक पूरा होगा ?

(श्री मोहरसिंह)

(३) यदि कोई योजना नहीं है तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) सब गांवों की योजना एक साथ बनाना संभव नहीं है ।

दौसा-गंगापुर रूट पर चलने वाली बसें

१७०. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) दौसा-गंगापुर रूट पर इस समय कितनी बसें चल रही हैं तथा इस रूट पर किस किस मॉडल की बसें पास है ?

(२) क्या बसों की जांच करके पास किया गया है ? यदि हां, तो जांच किसने की है ?

उत्तर

(१) दौसा-गंगापुर रूट पर इस समय २४ बसें चल रही हैं तथा उनके मांडल संलग्न सूची में प्रस्तुत हैं । ८ बसें रोड पर नहीं चल रही हैं ।

(२) जी हां । बसों की जांच बोर्ड ऑफ इन्सपेक्शन ने की है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील सांचोर के लिये सिविल कोटे का सीमेन्ट

१७१. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पिछले दो सालों में सिविल कोटे का सीमेन्ट तहसील सांचोर के लिये कब कब दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या सांचोर की जन संख्या को देखते हुए इन वर्षों में तहसील सांचोर में कम सीमेन्ट सिविल कोटे का एलॉट किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार भविष्य में उपरोक्त कमी को पूरा करने का और समान रूप से जिला जालौर में सिविल कोटे का सीमेन्ट वितरण करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) तहसीलदार सांचोर को जनवरी, १९६५ तक कुल १२२० सीमेन्ट की बोरियां दी गई :—

जनवरी १९६४	१७० बोरी सीमेन्ट
फरवरी, १९६४	१०० बोरी सीमेन्ट
सितम्बर, १९६४	२०० बोरी सीमेन्ट
अक्टूबर, १९६४	१५० बोरी सीमेन्ट
जनवरी, १९६५	६०० बोरी सीमेन्ट
	१२२० बोरी सीमेन्ट

(२) यह सत्य है कि तहसील सांचोर को सिविल कोटे का सीमेन्ट कम दिया गया क्योंकि पिछले दो सालों में कृषि व विकास कार्य हेतु अधिक सीमेन्ट दिया गया था ।

(३) सीमेन्ट आते ही उचित मात्रा में तहसील सांचोर को देने की व्यवस्था की जायेगी ।

पंचायत समिति दौसा को समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृति के लिये दी गई रकम

१७२. श्री **मूलचन्द चौधरी** (दौसा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति दौसा को समाज कल्याण विभाग द्वारा १९६३–६४ में कितनी रकम छात्रवृति के लिये दी गई थी और उसमें से कितनी रकम बांटी गई ?

उत्तर

सन् १९६३-६४ में पंचायत समिति दौसा को २,२७५) रु० दिया गया था जिसमें से उन्होंने कुछ भी खर्च नहीं किया।

हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन के बीच सड़क निर्माण कार्य

१७३. श्री **केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) हनुमानगढ़ टाउन-जंक्शन के बीच की सड़क के पहली बार निर्माण में कितना खर्चा हुआ था ?

(२) यह सड़क अब तक कितनी बार टूटी तथा कितनी बार इसके पुल टूट कर गिर हैं ?

(३) शुरू से लेकर ३१ जुलाई, १९६५ तक इस सड़क की मरम्मत में कुल कितना खर्चा हुआ है ?

(४) क्या सरकार ने कभी पुलों और के टूटने के बारे में कोई जांच की है? अगर नहीं, तो क्या सरकार अब ऐसा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) १२२,०८८ रुपया व्यय हुआ है।

(२) सड़क ५ बार टूटी है तथा पुल एक बार टूटा है।

(३) वर्ष १९५६-५७ से जुलाई, ६५ तक ३,३८,९१८.३८ रुपया मरम्मत पर व्यय हुआ है।

(४) जी हां, सडक टूटने का कारण पंजाब स्थित भाखरा योजना के कारण पानी का अधिक बहाव है।

हिन्डौन नगरपालिका को चुंगी से आय

१७४. श्री **श्रवणलाल** (हिन्डौन सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) हिन्डौन नगरपालिका को सन् ६३ से ६५ तक प्रत्येक साल में चुंगी से कितनी आय हुई ?

(२) इस अर्से में कितने केस चोरी के पकड़े गये हैं ?

उत्तर

(१) नगरपालिका को चुंगी से आय निम्न प्रकार हुई :—

६३-६४—१,५१,१११.६१ पैसे

६४-६५—१,७८,२१२.२१ पैसे

(२) इस अर्से में कुल १५ केस चुंगी चोरी के पकड़े गये हैं।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २८ सितम्बर, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१०९९	शीर्षक	सभा को	सभा की
११००	१	म	में
११०१	१०	तो म	तो मान
११०९	अन्तिम	गय	गया
१११०	१८	स्मैल्टर	स्मैल्टर
११११	१७	ाना	खाना
१११४	अन्तिम से ८	**श्री माणिकचन्द सुराणा**	**श्री मानिकचन्द सुराणा**
११२१	,, २	**श्री मनिकचन्द सुराणा**	,,
११२८	अन्तिम	U. I.	U.B.I.
११३१	६	मश्किल	मुश्किल
११३६	६	रकार	सरकार
११४०	१६, २६	क लिए	के लिए
,,	अन्तिम से ५	लने	लेने
११४२	४	बनान	बनाने
,,	६	क	के
११४४	११	मसल	मसले
११४६	अन्तिम से ९	भजी	भेजी
,,	,, ५	रह	रहे
११४८	१	प्रतिवदन	प्रतिवेदन
,,	अन्तिम से २	करन	करने
११४९	४	भजा	भेजा
११५५	८	जनना	जानना
११६०	१३	पट्रियोटिज्म	पैट्रियोटिज्म
,,	अन्तिम से ९	सक ।	सकते
११६४	८	मैं	में
,,	९	माहारावल	महारावल
११६५	४	बाताने	बताने
११६८	१०	्रतिलिपि	प्रतिलिपि
११७०	५	जोलाई	जुलाई
११८५	शीर्षक	कार्यवाही विषयक अध्यक्षीय व्यवस्था युद्धविराम उल्लंघन	कार्यवाही विषयक अध्यक्षीय व्यवस्था

स्कम्भ संख्या	पंक्ति सं०	अशुद्धि	शुद्धि
११८६	शीर्षक	पाकिस्तान द्वारा	पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन
१२००	२०	लेते ह	लेते हैं
,,	अन्तिम	बात न माकरन	बात न मानकर
१२०२	१२	कोदे ख-रेख	को देख-रेख
१२०८	६	भडों की	भेड़ों की
१२११	अन्तिम से १०	हैडक्वाटर्स	हेडक्वार्टर्स
१२१२	अन्तिम से ६	मैंन	मैंने
१२१५	१०	कमाण्डेन्ट	कमाण्डेन्ड
१२१६	१	बढाया जा सक	बढाया जा सके
,,	अन्तिम	अनुदा	अनुदान
१२१८	४	लिय	लिये
१२१९	१८	कमाण्डेट	कमाण्डेड
,,	अन्तिम से ३	श्री कृ णकुमार	श्री कृष्णकुमार
१२२५	अन्तिम से ११	क	के
,,	अन्तिम से ४	पूर्ती	पूर्ति
१२३१	११	काश्तकारों क	काश्तकारों के
१२३६	९	क कार्य	के कार्य
,,	११	देते ह	देते हैं
१२३७	अन्तिम से ११	निदश	निदेश
,,	,, ३	कलक्टर	कलेक्टर
१२४०	९	एसा	ऐसा
१२४३	१२	प्रबन्ध ‥ जाय	प्रबन्ध किया जाय
,,	१३	मोटा ·····	मोटा अनाज है।
,,	१४	क······ कहा गया	कई बार कहा गया
,,	१५	कोई ‥ स्था	कोई व्यवस्था
,,	१७	आप ो	आपको
,,	२३	१९ ांवों में	१९ गांवों में
,,	२४	य होते हुए	यह होते हुए
,,	२५	४ सेन	४ सेन्टर्स
१२५०	१५	इस हमारे	इसलिये हमारे
,,	१६	उसका खते	उसको देखते
,,	१७	का ··· य	का विषय
१२५१	१	गाये	गायें

स्कम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्धि	शुद्धि
१२५२	६	क लिये	के लिये
,,	८	आने वाल	आने वाले
१२५७	१३	दने को	देने को
,,	१८	उसके लि···	उसके लिये
१२६०	१४	रुपय की	रुपये की
,,	२०	फाइनन्स	फाइनेन्स
१२६५	अन्तिम से ७	चाल होना	चालू होना
१२६६	५	म यहां	मैं यहां
,,	अन्तिम	किए जायगे	किए जायेंगे
१२६८	३	आपन जो	आपने जो
१२७०	१८	ने बिडस	ने बिड्स
,,	२३	यह ब्लक	यह ब्लॅक
१२७५	अन्तिम से ५	तथा सघ	तथा संघ
,,	,, ३	समाएं	समाएं
१२७६	शीर्षक	दुर्भिक्ष सहायता	शेष मांगों पर मुख-बंध
,,	१५	अनुपरक	अनुपूरक
,,	अन्तिम से ४	अनेक सामान्य	अनेक माननीय
१२७७	९	कुछ सदस्य	कुछ माननीय सदस्य
१२७८	१४	Gallery	gallary
१२८० व १२८२	शीर्षक	पर मत-दान	पर मुख-बंध
१२८०	अन्तिम से ४	४३ सिंचन	४३-सिंचन
१२८७	१०	संमय के	समय
१२९१-१३१०	शीर्षक	मांग संख्या २८-२८ सितम्बर, ६५-दुर्भिक्ष सहायता	राजस्थान विनियोग-२८ सितम्बर, ६५-(संख्या ५) विधेयक, १९६५
१२९१	१	पाकिस्ता ।	पाकिस्तान
,,	१५	रह है	रहे हैं
,,	१९	उसके बहान	उसके बहाने
,,	२४	आप दखेंगे	आप देखेंगे
,,	२८	अप एक	आप एक
,,	२९	को म	को कम
,,	२९-३०	है खा को	है कि खर्च को

स्कम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्धि	शुद्धि
१२६१	३१	करे	करें।
,,	३२	तो ही	तो यही
,,	अन्तिम	बढ़ते हैं.	बढ़ाते हैं
१२९३	११	वहां क	वहां के
१२९४	अन्तिम से ५	ररूरत है	जरूरत है
,,	,, ३	है लोकिन	है लेकिन
,,	अन्तिम	लोग चमदार	लोग चमकदार
१२९६	४	ावधान किया	प्रावधान
१२९७	२१	बो ने वाला	बोलने वाला
१२९८	२३	अचरणहैं	आचरण हैं
,,	२४	कार्यवाह है।	कार्यवाही है
१२९९	७	वि त्री जी	वित्त मंत्रीजी
१३०२	२६	फिर भीं	फिर भी
१३०३	५	मेटियों का	कमेटियों का
,,	८	वा और	वाइज़ और
१३०४	शीर्षक	१०४	१३०४
१३०६	९	कहा काश कार	कहा कि काश्तकार
१३०७	९	वह समायानुकूल	वह समयानुकूल
,,	२६	जिस प पंज	जिस पर्पज
१३०९	शीर्षक	३ ०९	१३०९
,,	शीर्ष	(ी दयाराम)	(श्री दयाराम)
१३१०	अन्तिम से ४	१५५, विषयक	१५५ विषयक
१३१३	५	You......documenti	You......document.
,,	अन्तिम से ९	उठाये o far	उठाये। So far
,,	,, ८	do not	I do not
१३२१	६	fifteen minutes o	Fifteen minutes are too
,,	१६	officil	official.
१३२८	६	समझते ह	समझते हैं
१३३०	५	डॉ यूमेंट लीक	डॉक्यूमेंट लीक
१३३२	१५	**श्री बालकृण**	**श्री बालकृष्ण**
१३३४	"परिशिष्ट २" के नीचे	(समयाभाव के कारण प्रश्न वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)	समय में न लिये जा सकने

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१३३४	प्रश्न संख्या १५६ के तृतीय रा की चौथी रंक्ति	कना बाकी	करना बाकी
,,	द्वितीय कॉलम की अन्तिम से ७	१५० ह।	१५० है।
१३३६	प्रथम कॉलम की अन्तिम पंक्ति	वत्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
१३३७	प्रथम कॉलम की अन्तिम से ३	चेकोई फोत	कोई फीस
,,	द्वितीय कॉलम की १६	करन को	ने करने की
१३३८	प्रथम कॉलम की ७	(सवाना–	(सिवाना—
१३३९	प्रथम कॉलम की १९	लिए ोने	लिए पीने
,,	द्वितीय कॉलम की २	वठी आदि	वर्टी आदि
१३४०	प्रथम कॉलम की प्रथम	के लिय	के लिये
,,	,, १०	किये गय	किये गये
,,	,, १८	वढान का	बढ़ाने का
,,	,, २५	में अय	में अन्य
,,	,, २८	भती किये	भर्ती किये
१३४१	,, २४	विधन सभा	विधान सभा
१३४२	,, १३	भी खच	भी खर्च
,,	,, १८	बतान की	बताने की
,,	,, २१	क पहली	के पहली
,,	,, २४	कर गिर	कर गिरे
,,	,, अन्तिम	क के टूटने के बारे म	सडक के टूटने के बारे में
,,	द्वितीय ,, ३	उप्तर	उत्तर
,,	,, १२	बहाव ह	बहाव है
,,	,, १८	से कितन	से कितनी
१३४३	प्रथम कॉलम की १०	मिरलेनियस	मिस्लेनियस
,,	,, १३	और खोलन	और खोलने
,,	,, १७	में मुकदम,	क्लास में मुकदमे